Thursday, 21 November, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

Preservation Unit
17-7-92
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

[खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol.XXI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 9-गुरुवार, 21 नवम्बर, 1968/30 कार्तिक, 1890 (शक)

No. 9—Thursday, November 21, 1968/Kartika 30, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
242 सुपर बाजार, नई दिल्ली	Supper Bazar, New Delhi	1391-1393
243 पशु बीमा योजना	Cattle Insurance Scheme ...	13 8-1403
244 जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा भेड़ों का आयात	Import of Sheep by Jammu and Kashmir Government ...	14 3
246 झरिया नागरिक परिषद् का खान सुरक्षा महानिदेशक को ज्ञापन	Memorandum from the Jharia Citizens council to the Director General Mines Safety	1403-1404
247 वनस्पति घी की मिलों का बन्द होना	Closure of Vanaspati Mills	1404-1407

अ. सू. प्र./S. N. Q.

3 मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षित टेलिफोन शुल्कदरों का मनमाना घोषित किया जाना	Declaration of Revised Telephone Tariffs as Arbitrary by Madras High Court ...	1407-1412

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. सं./S. Q. Nos.

241 बर्मा शैल द्वारा कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Workers by Burmah Shell	1412-1413
245 युगोस्लाविया से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from Yugoslavia ..	1413
248 लाभप्रद जोतों पर काम करने वाले कृषक	Agricultural Population on Economic Holdings	1413-1414

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

ता.प्र.संख्या/ S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
249	संचार उपग्रह	Communication Satellite	1414
250	भूमिहीन कृषि मजदूरों का पुनर्वास	Settlement of Landless Agricultural Labourers ...	1414–1415
251	आसाम में गेंडों की हत्या	Killing of Rhinos in Assam	1415
252	राष्ट्रीय श्रम आयोग के एक सदस्य का त्यागपत्र	Resignation by a Member of the National Commission on Labour	1416
253	पी. एल. 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात	Import of Foodgrains under P.L. 480	1416
254	सुपर बाजार में कीमतों में वृद्धि	Rise in prices in Supper Bazar	1416–1417
255	बौकोला कोयला खान में मजूरी के भुगतान में विलम्ब	Delay in payment of wages in Baukola colliery	1417
256	भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj	1417–1418
257	भारतीय खाद्य निगम का कार्यसंचालन	Functioning of Food corporation of India	1418–1419
258	बिहार में परती भूमि का वितरण	Distribution of Fallow Land in Bihar ...	1419
259	'श्रम' को समवर्ती सूची से निकाल कर संघ सूची में रखना	Transfer of Labour to the Union List from the Concurrent List	1419
260	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains ...	1419–1420
261	1968-69 में चीनी का उत्पादन	Production of Sugar during 1968–69 ..	1420
262	बिहार में सूखा	Drought in Bihar	1420–1421
263	देश में सीधे टेलीफोन कनैक्शन	Direct Telephone Connections in the Country	1421
264	कर्मचारी भविष्य निधि	Employees Provident Fund	1422

ता.प्र.संख्या /S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
265	न्यूनतम मजूरी का प्रश्न राष्ट्रीय श्रम आयोग को भेजना	Reference of question of Minimum wages to national Commission on labour ...	1422–1423
266	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का अन्दमान द्वीप समूह में पुनर्वास	Rehabilitation of East Pakistan Refugees in Andaman Group of Islands	1423
267	पटमाहोना कोयला खान में कदाचार	Malpractices in Patmahona Colliery ...	1423–1424
268	संसद सदस्यों के टेलीफोनों के साथ लगी हुई लम्बी तार का किराया	Rental of long cords attached to Telephones of M.Ps.	1424
269	सोयाबीन का उत्पादन	Soyabean Production ..	1424–1425
270	राजस्थान में चारे के भंडार (बैंक)	Foolder Banks in Rajasthan ...	1425
अता. प्र. सं./U. S. Q. Nos.			
1485	नीलरतन मैडिकल कालेज तथा अस्पताल, कलकत्ता के कर्मचारियों का ज्ञापन	Memorandum from the Employees of the Neelratan Medical College and Hospital Calcutta	1425–1426
1486	संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अन्तर्गत अपराधों के लिये दण्ड	Punishment for Offences under Articles 23 and 24 of the Constitution	1426
1487	ट्रैक्टरों का आयात तथा उनका वितरण	Import of Tractors and their Distribution ...	1426–1428
1488	केरल भूमि सुधार विधेयक	Kerala Land Reforms Bill	1428–1429
1490	निर्वाचन अर्जियां	Election Petitions	1429–1430
1492	नागपुर में पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय	P.M.G's Office at Nagpur	1430–1431
1493	चान्दा कोयला क्षेत्र में आवास योजना	Housing Scheme in Chanda Coalfield ...	1431

1494	रासायनिक उर्वरकों का वितरण	Distribution of Chemical Fertilizers ...	1431
1495	सूखा ग्रस्त राज्यों को सहायता	Assistance to Drought affected States	1431–1432
1496	गेहूं की बसूली	Procurement of Wheat	1432
1497	चीनी बनाने के कारखाने	Sugar Mills ...	1433
1498	हड़तालें और तालाबन्दियां	Strike and Lockouts	1433
1499	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of displaced persons in Andaman and Nicobar Islands	1433–1434
1500	टेलीफोन संख्या 561095 (नई दिल्ली) को काटना	Disconnection of Telephone No. 561095 (New Delhi)	1434
1501	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली, के असिस्टेंट श्री वी. पी. कंवर के लिये टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connection to Shri V.P. Kanwar, Asstt., I.C.A.R. New Delhi	1435
1502	प्रधान मंत्री द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का विमान द्वारा निरीक्षण	Aerial Visit by P.M. to Drought affected Areas	1435–1436
1503	सूखे को समाप्त करना	Eradication of Drought ...	1436
1504	राज्य व्यापार निगम द्वारा सोयाबीन के तेल के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Soyabeen Oil by S.T.C.	1436–1437
1505	समाचारपत्रों के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Newspaper Employees	1437
1506	चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि महाविद्यालय	Agricultural colleges during Fourth Plan ...	1437–1438

1507	बिहार में भूमिगत जल संसाधन	Underground Water Resources in Bihar ...	1438
1508	गुजरात के लिये उठाऊ सिंचाई योजनाएं	Lift Irrigation Schemes for Gujarat ...	1439
1509	अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम	High yielding varieties programme	1439–1440
1510	राजस्थान के बांकली गांव के सम्बन्ध में विशेष डाक टिकट	Special Stamp on the village Bankli, Rajasthan	1440
1511	नंगल फर्टिलाइजर कर्मचारी संघ	Nagpal Fertilitzer Worker's Union... ...	1441
1512	मजूरी बोर्ड पंचाट को न्याय निर्णय के लिये सौंपना	Wage Board Award for Adjudication ..	1441–1442
1513	आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी	Need Based Minimum Wages	1442
1514	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के कार्मिक संघों की मान्यता	Recognition of Unions of P&T Employees	1442–1443
1515	खरीफ की फसलों की वसूली के मूल्य	Procurement prices of Khariff Crops ...	1443–1444
1516	उड़ीसा को गेहूं का सम्भरण	Supply of wheat to Orissa	1444
1517	उड़ीसा द्वारा पश्चिमी बंगाल को घटिया किस्म का चावल सप्लाई किया जाना	Supply of sub-standard rice by Orissa to West Bengal	1444
1518	विभिन्न राज्यों में सूखे के कारण लोगों की मृत्यु	Deaths in Various States due to Drought ..	1444-1445
1519	कृषि मूल्य आयोग	Agricultural prices commission	1445

1520	समुद्रपार संचार सेवा के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Overseas communications service employees	1445
1521	स्वचालित मशीनों के प्रयोग के कारण बेरोजगारी	Unemployment due to automation... ...	1446-1447
1522	राजनीतिक दलों को मान्यता	Recognition of political parties	1447
1523	सूखे की समस्या को स्थायी तौर पर हल करने की योजना	Scheme for permanent solution of Drought	1448
1524	गोरक्षा सम्बन्धी समिति	Committee on cow protection	1448
1525	विदेशों के साथ रेडियो टेलीफोन सम्पर्क	Radio Telephone link with foreign countries	1448-1449
1526	सुपर बाजार, नई दिल्ली	Super Bazar, New Delhi ...	1449
1527	समाचारपत्रों में हड़ताल	Strike in Newspapers ...	1449-1450
1528	चीनी उत्पादन का तरीका	Process for sugar manufacture ...	1450
1529	केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अनाज के उत्पादन के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न अनुमान	Different estimates of foodgrains production made by Centre and states	1450-1451
1530	शाखा डाकघर	Branch Post Offices ..	1451
1531	धातु के गोदाम	Metal Godowns	1451-1452
1532	काले बाजार में वनस्पति घी की बिक्री	Sale of Vanaspati in blackmarket	1452
1533	गन्ने की खेती वाली भूमि	Acreage of sugarcane	1452
1534	चुकन्दर से चीनी का उत्पादन	Production of sugar from sugar-beet ..	1452-1453

1535	लोबिया के बीजों का उत्पादन	Production of Lobiya seed	1453
1536	उत्तर प्रदेश में शकरकन्द का विकास	Development of sweet potato in U.P. ...	1453-1454
1537	पंजाब और हरियाणा में नलकूप लगाना	Installation of tubewells in Punjab and Haryana ...	1454
1538	राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains to States	1454 1455
1539	मध्य प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तर	Emplomyent Exchanges in Madhya Pradesh	1455 1456
1541	भूतपूर्व सैनिकों के लिये कृषि भूमि	Agricultural Land to Ex-servicemen ...	1456
1542	तिब्बत और पाकिस्तान से आये शरणार्थी	Refugees from Tibet and Pakistan	1456-1457
1543	शरणार्थियों के लिये शिविर	Camps for Refugees ...	1457
1544	पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड	Rehabilitation Industries Corporation Ltd.	1457-1458
1545	पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड	Rehabilitation Industries Corporation Ltd.	1458-1459
1546	पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड	Rehabilitation Industries Corporation Ltd.	1459
1547	पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड	Rehabilitation Industries Corporation Ltd.	1459
1548	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	Indian Telephone Industries Ltd., ...	1459-1460
1549	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन	Asian Regional Conference of I.L.O.	1460
1550	कृषि सम्बन्धी निर्यात कार्यक्रम	Agricultural Export programme	1460-1461

प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U.S. Q. No.	विषय	Subject	Pages
1551	आंध्र प्रदेश को अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Andhra Pradesh...	1461–1462
1552	टेलीफोन राजस्व सम्बन्धी सम्मेलन	Conference on Telephone Revenue... ..	1462
1553	कृषि मूल्य आयोग	Agricultural Prices Commission ..	1462–1463
1554	गुजरात को घटिया अनाज की सप्लाई	Supply of inferior Foodgrains to Gujarat ...	1463
1555	सलातपुर गांव (गुजरात) में डाक का गुम होना	Loss of Mail at Salatpur Village (Gujarat)	1463–1464
1556	कृषि मूल्य आयोग	Agricultural Prices Commission	1464
1557	भारतीय खाद्य निगम द्वारा चने की खरीद	Purchase of Gram by Food Corporation of India	1464
1558	बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment Insurance Scheme ..	1464–1465
1559	भारतीय संविधान के बारे में मुख्य न्यायमूर्ति के विचार	View of Chief Justice on Indian Constitution	1465
1560	पश्चिमी बंगाल में जोतदारों द्वारा कृषि योग्य भूमि को अपने पास रखा जाना	Retention of Agricultural land by Jotedars in West Bengal	1465–1466
1561	शहरघाट (माधवपुर) में सार्वजनिक टेलीफोन	Public Call Office at Saharghat (Madhawapur)	1466–1467
1562	भूमिहीन मजदूरों की सहकारी समितियों के लिये सहायता	Assistance for cooperative Societies to Landless Agricultural Labourers ...	1467
1563	गुजरात में मछली पालन उद्योग का विकास	Development of Fisheries in Gujarat ...	1467–1468
1564	गुजरात में गन्ने की खेती का विकास	Development of Sugarcane Cultivation in Gujarat	1468–1469
1565	गुजरात में पशु पालन, डेरी और मछली पालन कार्यक्रम	Programme of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries in Gujarat	1469

1566	गुजरात में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को पुन: रोजगार देना	Re-employment to landless Agricultural Labour in Gujarat	1470
1567	अकाल नियंत्रण बोर्ड	Famine Control Board	1470
1568	मशीनें किराये पर देने वाले केन्द्र	Machine lending stations	1470-1471
1569	चीनी का उत्पादन	Sugar Production ... –	1471-1472
1570	समुद्रापार संचार सेवा के कार्यालय में आग लगने की घटना	Fire in Office of overseas Communication Service	1472
1571	कई फसलें उगाना	Multiple Cropping	1472-1473
1572	रासायनिक उर्वरक	Chemical Manures	1473-1474
1573	उत्तर प्रदेश में भू-संरक्षण	Land Conservation in U.P.	1474
1574	उत्तर प्रदेश में भूमि बन्धक बैंक	Land Mortgage Banks in U.P.	1474-1475
1575	हरियाणा को केन्द्रीय पूल से गेहूं की सप्लाई	Wheat Supply to Haryana from the Central Pool – –	1475
1576	पंजाब में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of Foodgrains in Punjab ...	1476
1577	मतदाताओं को मुफ्त प्रवहन	Free conveyance for voters	1476
1578	पश्चिमी बंगाल में शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees in West Bengal	1476-1477
1579	जीवन बीमा निगम में छंटनी	Rehabilitation in L.I.G. consequent to Automation	1477-1478
1580	बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों का दिल्ली प्रशासन द्वारा पुनर्वास	Resettlement of Repatriates from Burma by Delhi Administration ..	1478-1479
1581	संसद् सदस्यों को ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of Tractors to M.Ps. ...	1479

अत. प्र.संख्या/ U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1582	बुलन्दशहर की फर्म मैसर्स गोपीमल एण्ड कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against M/s Gopi Mal and Co., Bulandshahar	1479
1583	बुलन्दशहर में एक फर्म द्वारा राशन के आटे में चोर बाजारी	Blackmarketing in rationed flour by a firm in Bulandshahar	1479-1480
1584	केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद द्वारा संचालित गोसदन	Gosadans run by Central Gosamvardhan Council	1480
1585	भूदान तथा ग्रामदान आन्दोलन का भूमि सुधारों पर प्रभाव	Effect of Bhoodan and Gramdan movement on land Reforms	1480-1481
1586	आवश्यक सेवाओं में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाना	Imposition of ban on strikes in essential services	1481
1587	अन्दमान निकोबार द्वीप समूह में शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation on Refugees in Andaman and Nicobar Islands	1481-1482
1588	राज्य कृषि श्रमिक सम्मेलन, केरल	State Agricultural Labourers Conference Kerala	1482
1589	बिहार में रासायनिक उर्वरक की उपलब्धि	Availiability of Chemical Fertilizer in Bihar .	1482
1590	फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) डिवीजन को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers to Faizabad Division (U.P.)	1483
1591	मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधायें	Irrigation facilities in M.P.	1483-1485
1592	मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल	Kharif Crops in Madhya Pradesh	1485
1593	अन्दमान में आरा मिलें	Saw Mills in Andamans	1485-1486

1594	उत्तर प्रदेश में जोतों की अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का वितरण	Land Distributions in U.P. under ceiling on land Holdings Act	1486
1595	उत्तर प्रदेश के खाद्य विभाग सम्बन्धी आपराधिक मामले	Crime cases relating to Food Department, U.P.	1486
1596	कृषकों की समस्याओं का अध्ययन	Study of Problems of Farmers	1487
1597	उत्तर प्रदेश कृषक समाज द्वारा विदेशों में भेजे गये शिष्ट मण्डल	Delegation sent abroad by the U.P. Krishak Samaj	1487
1598	पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल में कार्मिक संघ	Trade Unions in Punjab Bihar and West Bengal	1487-1488
1599	खाद्यान्नों का निर्यात	Export of Foodgrains	1488
1600	मनीपुर में उर्वरकों का उपयोग	Utilisation of Fertilizers in Manipur ...	1488
1601	महाराष्ट्र में चीनी मिलें	Sugar Mills in Maharashtra	1488-1489
1602	सहकारी समितियों का प्रबन्ध	Management of Cooperative Societies ...	1489
1603	अन्नपूर्णा कैफेटेरिया, नई दिल्ली	Annapoorna Cafetaria, New Delhi ...	1489-1490
1604	हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन	Hindustan Steel Workers' Union	1490
1605	जमा भण्डारों का पकड़ा जाना	Seizure of Hoarded Stocks	1490-1491
1606	छिड़काऊ सिंचाई योजना	Scheme for sprinkler Irrigation	1491-1492
1607	दूर संचार के सामान का निर्माण	Manufacturing of Tele-communications Equipment	1492

1608	पूर्वी यूरोप के देशों से आयातित ट्रैक्टरों का वितरण	Distribution of imported Tractors from East European countries	1492-1493
1609	मछली पकड़ने के लिये माल्पे पत्तन का विकास	Development of Malpe Port for Fishing ...	1493-1494
1610	श्रमिकों की शिक्षा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee on Workers' Education	1494
1611	अनाज का रक्षित भंडार	Buffer Stock of Foodgrains	1494-1495
1612	अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि प्रयोग संगठन	All India Soil and Land Use Organisation	1495-1496
1613	समोच्च बंधों द्वारा चरागाहों का विकास करने की योजना	Scheme for enriching pastures by contour Bunding	1496-1497
1614	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	1497
1615	उर्वरक की खपत	Fertilizers Consumption	1497-1498
1616	गहन खेती कार्यक्रम में कृषकों का प्रशिक्षण	Training of Farmers in Intensive Cultivation Programme	1498
1617	निर्वाचन व्यय	Election Expenses	1498
1618	सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये सहायता	Assistance for Drought affected Areas ..	1499
1619	कारखानों के श्रमिकों के लिये सेवा निवृत्ति वेतन	Pension to Factory Workers	1499
1620	स्लेटी बनाने वाले कारखानों के श्रमिक	Workers of Slate-pencil manufacturing factories ...	1500
1621	भारतीय चमड़ा उद्योग श्रमिक संघ, दिल्ली द्वारा सत्याग्रह	Satyagraha by Indian leather Industry Workers' Union Delhi ...	1500
1622	बिहार में ऋण और भू राजस्व की वसूली	Recovery of loan and land Revenue in Bihar ...	1501

अता. प्र सं./U.S. Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1623	आदिवासी कृषकों को भूमि से वंचित किया जाना	Deprivation of adivasi Farmers of Land ...	15.1–1502
1624	नोबल पुरस्कार विजेता डा० खुराना	Noble prize winner Dr. Khurana	1502
1625	सरकारी उपक्रमों में हड़ताल और तालाबन्दी	Strikes and Lock outs in Government Undertakings	1502–1503
1626	किराये के परिसरों में डाकघर	Post Offices on Rental Premises ...	1503
1627	डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थों तथा घी की बिक्री	Sale of Tinned Foodstuff and Ghee	1503-1504
1628	अमरीका, कनाडा तथा फिलीपीन को कृषि अधिकारियों का दल	Team of Agricultural officials to USA, Canada and Philipines	1504
1629	चौथी पंचवर्षीय योजना में किसानों को ऋण	Agricultural Credit to Farmers during Fourth Plan	1504–1505
1630	अपना टेलीफोन लगवाइये योजना	Own Your Telephone Scheme	1506
1631	पूर्णिया में शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees in Purnea ...	1506
1632	श्रम नीति	Labour Policy	1506–1507
1633	दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से चावल का आयात	Import of rice from South East Asian Countries	1507
1634	बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्ति	Repatriates from Burma and Ceylon ...	1507
1635	नेफा में पंचायती राज	Punchayati Raj in NEFA	1508
1636	अकाल संहिता में संशोधन	Amendment of Famine Coade	1508–1509
1637	जालोर (राजस्थान) में नलकूपों का लगाया जाना	Installation of Tubewells in Jalore (Rajasthan)	1509

1638	खाद्यान्नों का फुटकर बिक्री मूल्य	Retail prices of Foodgrains	1510
1639	टाइम पत्रिका के लिये विशेष डाक दरें	Special postages Rates for Time magazine	1510
1640	मनीपुर में धान की खेती	Paddy cultivation in Manipur ... —	1511
1641	संविधान का पुनरीक्षण	Review of the Constitution	1511
1642	उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सूखा	Drought in District Banda., U.P	1511–1512
1643	आशुलिपि प्रशिक्षकों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण	Revision of pay Scale of stengoraphy Instmetors	1512
1644	वन अनुसन्धान संस्था, देहरादून में फालतू कर्मचारी	Surplus staff in the Forest Research Institute, Dehra Dun	1512–1513
1646	भागलपुर की बांका सब डिवीजन में मक्का के बजाये कपास की खेती	Cultivation of Cotton instead of maize in Banka sub-division of Bhagalpur ..	1513
1647	प्रशिक्षार्थी अधिनियम का संशोधन	Amendment of Apprentice Act .. —	1513
1648	131 संयुक्त प्रबन्ध परिषद्	131 Joint Management Council	1513-1514
1649	सरकारी तथा अधिकृत गैर-सरकारी बूचड़खाने	Government and authorised Private Slaughter Houses	1514
1650	ट्रैक्टरों के पुर्जों का आयात	Import of Tractor spareparts	1514-1515
1651	संगणकों का लगाया जाना	Installation of Computers	1515
1652	पशु वध	Slaughtering of animals — ...	1516
1653	राज्यों को चावल की सप्लाई	Rice Supply to States .. —	1516
1654	अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत खेती	Cultivation under high yielding varieties programme	1516-1517

1655	समाचारपत्रों के कर्मचारियों के लिये मजूरी का नियतन	Fixation of wages for newspaper workers..	1517
1656	मणिपुर में मक्का की बिक्री	Sale of Maize in Manipur	1517-1518
1657	राजस्थान में नलकूपों का लगाया जाना	Sinking of Tubewells in Rajasthan	1518
1658	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के कार्डों का जारी किया जाना	Issue of Milk Cards by Delhi Milk Scheme	1518-1519
1659	बेरोजगारी	Unemployment	1519-1520
1660	भारत नेपाल सीमा पर टेलीफोन तथा तार संचार व्यवस्था	Telephone and Telegraph Communications on the Indo-Nepal Border — ..	1520
1661	पटसन मजूरी बोर्ड का पंचाट	Jute Wage Board Award	1520
1662	पश्चिम बंगाल में बीजों के भंडार	Seed Stores in West Bengal	1520-1521
1663	पश्चिम बंगाल की नई खाद्य नीति	New Food Policy of West Bengal	1521-1522
1664	मनीपुर में धान की वसूली	Procurement of Paddy in Manipur	1522
1665	पंजाब से खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on export of foodgrains from Punjab—	1522
1666	स्थायी श्रम समिति की त्रिपक्षीय समिति का प्रतिवेदन	Report of tripartite committee of standing labour committee ...	1523
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1523-1527
	केन्द्रीय सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिये चरित्र सत्यापन की विशेष प्रक्रिया	Special procedure for character verification for appointment to Central Government Posts	1523

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1527–1529
जमा बीमा निगम (संशोधन) विधेयक जारी	Deposit Insurance Corporation (Amendment) Bill—Contd.	1530
खण्ड 6 से 14 और 1	Clause 6 to 14 and 1	1530-1535
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	1538
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	1538
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	1539
दिल्ली तथा अजमेर किराया नियंत्रण (नसीराबाद छावनी निरसन) अधिनियम	Delhi and Ajmer Rent Control (Nasirabad Cantonment Repeal, Bill	1540
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha	1540
श्री म. रं. कृष्ण	Shri M. R. Krishna	1540
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	1540
श्री भोलानाथ मास्टर	Shri Bhola Nath Master ...	1542
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita ...	1542
श्री क. नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	1543
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjit Singh ..	1543
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	1544
खंड 2, 3 और 1	Claused 2, 3 and 1	1546–1547
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	1547
मद्रास राज्य (नाम बदलना) विधेयक	Madras State (Alteration of Name) Bill ...	1547
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	1547
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ...	1550
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	1551

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
देश में बाढ़ की स्थिति संबंधी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव–जारी	Motion re. Statement on Flood Situation in the country-Contd.	1552
श्री रवि राय	Shri Rabi Rav	1553
श्री बे. कृ. दास चोधरी	Shri B.K. Daschowdhury	1553
श्री बी. ना. कथ्थम	Shri B N. Katham	1555
श्री स. कुण्डू	Shri S. Kundu	1557
श्री बसुमतारी	Shri Basumatari	1557
श्री गुणानन्द ठाकुर	Shri Gunanand Thakur	1558
श्री फ. गो. सेन	Shri P.G. Sen	1559
श्री एस. डी. सोमसुन्दरम	Shri S.D. Somasundaram	1560
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	1560
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	1561
डा० मैत्रैयी बसु	Dr. Maitreyee Basu ...	1561
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	1562
श्री कांबले	Shri Kamble	1562
डा० कु० ल० राव	Dr. K.L. Rao	1562
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	1568
24 वां प्रतिवेदन	Twenty Fourth Report	1568

लोक-सभा
LOK-SABHA

गुरुवार, 21 नवम्बर 1968/30 कार्तिक, 1890 (शक)
Thursday, November 21, 1968/*Kartika* 30, 1890 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker ***in the Chair***

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सुपर बाजार, नई दिल्ली

+
*242. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :** **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री शिवकुमार शास्त्री :**
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार अब भी घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1968 से 30 अक्तूबर, 1968 तक की अवधि में इसे कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ग) घाटा होने के क्या कारण हैं और सुपर बाजार को लाभ पर चलाने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) हानि और लाभ की स्थिति का पता तब चलेगा जब भण्डार पूरा वर्ष कार्य कर चुकेगा, अर्थात पहली जुलाई, 1968 से 30 जून, 1969 तक।

(ख) सहकारी वर्ष के अनुसार हिसाब तैयार किया जाता है; जून, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के हिसाब को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और उसकी लेखा-परीक्षा नहीं की गई है।

(ग) जून, 1967 को समाप्त होने वाले प्रथम वर्ष में हुई हानि मुख्यतः प्रवर्तन, प्रशासन तथा परिचालन सम्बन्धी अधिक लागतों, जिनमें कनाट सर्कस की इमारत का अधिक किराया भी शामिल है, के कारण हुई थी। कार्यचालन में सुधार करने के लिए ये उपाय अपनाए गए हैं–सिब्बन्दी तथा परिचालन सम्बन्धी व्ययों में कमी करना, स्टाक स्तर का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण, प्रशासनिक तथा लेखा प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना और व्यापार का विस्तार करना। सुपर बाजार की प्रबन्ध समिति का भी पुनर्गठन किया गया है।

Shri R. S. Vidyarthi : The Minister has admitted that there were too much overhead charges in the Super Bazar, New Delhi. May I know whether 75 or 80 percent of its high officers are related to Under Secretaries and other high officers working under the Central Government and they are mainly responsible for the thefts and other mismanagement in the Super Bazar, but no action has been taken against them because they are relatives of high officers ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : कर्मचारियों की भर्ती एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था और भर्ती करते समय लोगों की योग्यता पर भी ध्यान दिया गया था। हमने इस मामले में छानबीन की है और यह देखा गया है कि वहां कर्मचारी आवश्यकता से अधिक थे और इसके बारे में आवश्यक कार्यवाही की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 11 लाख रुपये प्रतिवर्ष बचत होगी।

Shri R. S. Vidyarthi : I have asked a specific question : whether 80 percent of Super Bazar employees are relatives of Under Secretaries and other high officers of the Government of India.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह सच नहीं है।

Shri R. S. Vidyarthi : May I know the number of thefts committed so far in Super Bazar and the number of cases of thefts reported to the police and those not reported to the police separately ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं संख्या तभी बता सकूंगा जब मुझे इसके लिये अलग सूचना दी जाये। जब भी चोरी का मामला सामने आता है तो उस मामले में कार्यवाही की जाती है।

Shri Shiv Kumar Shastri : If Government is incurring loss in running Super Bazar, why is this experiment being prolonged, because any trade or industry is run to earn profit and not to incur loss ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : सुपर बाजार का मुख्य ध्येय फुटकर व्यापार की वस्तुओं के मूल्यों को स्थायित्व लाना है, और इस दिशा में हमें काफी सफलता मिली है। प्रारम्भ में कुछ घाटा अवश्य हुआ था। परन्तु अब हम खर्च कम करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

Shri Rabi Ray : I would like to know the difference in the prices of various articles at which they are available in the Super Bazar and in other ordinary markets and whether Government propose to bring both these prices at par ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमने एक विपणन आसूचना विभाग बनाया है, जो क्रय-विक्रय के मामलों में सर्वेक्षण करते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण से कुछ बातों का पता चला है। अन्य बाजारों की तुलना में सुपर बाजार में अधिकतर वस्तुओं के मूल्य कम हैं और बहुत थोड़ी सी वस्तुओं के ही मूल्य अधिक हैं। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि हम वस्तुओं की किस्म पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। सुपर बाजार में माल बेचने से पूर्व उसे साफ किया जाता है, पैक किया जाता है और वर्गीकृत किया जाता है, जबकि साधारण फुटकर व्यापार में ऐसा नहीं किया जाता। हम चाहते हैं कि माल की किस्म भी अच्छी हो और उसके मूल्य भी अधिक न होने पायें।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : ऐसा प्रतीत होता है कि सुपर बाजार में ग्राहकों के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। उल्टा वहां पर कुछ लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है और कुछ वस्तुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। वहां पर फैशनपरस्ती का वातावरण बना हुआ है। हावड़ा के सुपर बाजार की भी यही स्थिति है। क्या सरकार सभा को यह आश्वासन देगी कि देश के सभी सुपर बाजारों के कार्य संचालन के बारे में जांच की जायेगी ? सुपर बाजारों को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में अथवा मूल्य स्तर में स्थायित्व लाने में कहां तक सफलता मिली है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : सुपर बाजार को फैशनपरस्ती की संज्ञा देना गलत है। सुपर बाजार का काम वस्तुओं को उचित दामों पर बेचना है और बाजार के भावों में स्थायी-पन लाना है। यह उद्देश्य कुछ हद तक पूरा हो रहा है। यह बात सच है कि सुपर बाजारों को शुरु करते समय हमारे पास अपने भवन नहीं थे और हमें सुपर बाजारों के लिये किराये पर भवन लेने पड़े।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : परन्तु इतने अधिक किराये पर भवन क्यों लिये जा रहे हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यदि माननीय सदस्य कम किराये पर भवन दिलायें तो मैं लेने को तैयार हूं।

Shri Onkar Lal Berwa : The loss in the Super Bazar is being sustained on account of the fact that the various kinds of goods sold there, is not purchased on the tender-basis. The goods of low quality is purchased and sold here and it causes loss. May I know the names of the mills from which the tenders were invited for textiles, utensils and plastic goods ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हम माल लेने के लिये टेन्डर नहीं मांगते हैं। उत्पादक अपना माल सुपर बाजार के माध्यम से बेचने के लिये इच्छुक नहीं हैं। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे उत्पादकों से उनके उत्पादन का 10 प्रतिशत माल सीधे ही सुपर बाजार के लिये खरीदा जा सके। जहां तक कपड़ों, बर्तनों आदि का सम्बन्ध है, उनके मूल्य सुपर बाजार में अन्य बाजारों की अपेक्षा सस्ते हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : I asked whether the goods is purchased from those who quoted lowest rates in their tenders; if so, the names thereof.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : जहां तक मुख्य निर्मित वस्तुओं का सम्बन्ध है हम निर्माताओं से सीधा सौदा करते हैं ।

Shri Sheo Narain : I would like to know whether these super bazars are meant for super-human people or for common people. Common people do not get goods from there. May I know whether common Bazars will be opened for common people ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं माननीय सदस्य की गलत धारणा को ठीक करना चाहता हूं । सुपर बाजार सहकारी समितियां है । वे सरकार के नहीं है और नाही सरकार द्वारा चलाये जाते हैं । वे पहले सहकारियों के लिये हैं और दूसरे नम्बर पर आय उपभोक्ताओं के लिये । वस्तुतः हमारे देश में सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन का अनुसरण किया जा रहा है ।

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा : हमे विश्व की ओर नहीं, बल्कि अपने देश की ओर देखना है ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether Government have formulated any policy in respect of super bazars to the effect that Government will continue to bear the burden of loss for certain limit of time and after that super bazars will themselves bear the burden of their losses ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमने सम्पूर्ण देश में लगभग 69 सुपर बाजार खोले हैं जिनमें से अधिकांश में लाभ हो रहा है । केवल कुछ सुपर बाजार ही घाटे में चल रहे हैं। घाटे में चलने वाले सुपर बाजारों के मामले में भी ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि वे भी लाभ कमाने लगें । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह एक प्रयोग किया जा रहा है । पिछले 25 या 26 महीनों से ही हमने सुपर बाजार खोले हैं ।

श्री वि० ना० शास्त्री : माल का क्रय-विक्रय ही व्यापार कहलाता है, जिसके लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है । क्या सुपर बाजार में विक्रय करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है; यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : विभिन्न स्तरों पर इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था है । पूना में एक प्रशिक्षण संस्थान भी है । अन्य स्थानों पर सुपर बाजार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

श्री बलराज मधोक : मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध दिल्ली के सुपर बाजार से है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : सुपर बाजार एक व्यापारिक संस्था होती है । आप किसी माल को एक निश्चित मूल्य पर खरीदते हैं और खर्चा आदि जोड़कर उसका विक्रय मूल्य निश्चित करते हैं । फिर घाटा होने की नौबत क्यों आती है, यह बात समझ में नहीं आती । क्या सुपर बाजार में वर्ष के शुरु में कोई बजट बनाया जाता है ? क्या वर्ष के अन्त में बिना

बिका माल बच जाता है या वर्ष के अन्त में माल की कमी हो जाती है ? बिना बिके माल पर कितना घाटा उठाना पड़ता है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : व्यापार में लाभ और घाटे दोनों की ही सम्भावना होती है। प्रत्येक सुपर बाजार के लेखा रखने और लेखा-परीक्षा किये जाने की व्यवस्था है। स्टोक स्तर की सुधार और उत्तम लेखा प्रक्रिया के लिये दिल्ली के सुपर बाजार में कुछ उपाय किये गये हैं। मुझे आशा है कि इसके परिणामस्वरूप सुपर बाजारों का कार्यचालन सुधर जायेगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैंने पूछा था कि क्या कोई वस्तु घाटे पर बेची जा रही है; बिना बिका माल कितना है या उसमें कितनी कमी है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : कुछ बाजारों में कुछ माल बिना बिका बच जाता है। हम ऐसे माल को कुछ घाटे से बेचते हैं। ऐसे माल को शीघ्र से शीघ्र निकाल दिया जाता है। इससे जो घाटा होता है उसे अन्य वस्तुओं में हुए लाभ से पूरा कर लिया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सुपर बाजारों में दृढ़ बजट बनाये जाते हैं और हिसाब रखने के काम में भी कोई ढील नहीं की जाती।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : फिर घाटा कैसे होता है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : व्यापारिक गतिविधि होने के कारण ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : जून 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में सुपर बाजार को कितना लाभ या हानि हुई है ? प्रान्तीय सुपर बाजारों पर क्या केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण है। क्या पटना के सुपर बाजार में हुए गोलमाल की जांच की गयी है और उस मामले में कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इस बाजार पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण है। जहां तक प्रान्तीय सुपर बाजारों का सम्बन्ध है, वे सहकारी थोक भण्डारों के अधीन हैं और कुछ हद तक उन पर सम्बन्धित सरकारों का नियन्त्रण भी होता है।

दिल्ली के सुपर बाजार को 1966–67 में 7,08,778 रुपये की हानि हुई थी। वर्ष 1967–68 के लेखों की परीक्षा अब की जा रही है। इस दूसरे वर्ष भी हानि होने का अनुमान है।

Shri Balraj Madhok : The main question relates to the Super Bazar, Delhi. The Minister says that the rates of articles in Super Bazar are cheaper than elsewhere. But it is not a fact. Many things in Super Bazar are being sold at higher rates. Moreover, the operational cost in this Super Bazar is 5 percent of its total turnover whereas it is generally one or two percent all over the world The main reason therefor is that super bazars have been centres of patronage for some persons and certain things. While constituting the Management, they have not even consulted. Delhi Administration and have appointed their own stooges, who have their own way. I want to know the names of those persons

and whether the Delhi Administration was consulted ; and if so, whether the names suggested by them have been accepted ? Secondly, when you cannot run the Super Bazars on profit, why don't you hand them over to Delhi Administration ?

Thirdly what steps have been taken to reduce the operational cost of the Super Bazars ?

Fourthly, is it a fact that you have appointed a large number of relatives of Govt. servants in these Super Bazars, whereas there is no work for them ? Are you prepared to dismiss those people and run the Bazars like business concerns ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इस प्रश्न के बारे में एकदम कई अनुपूरक प्रश्न पूछे गये हैं। मेरे पास यहां पूरी सूची है और मैं इसे सभा-पटल पर रखने को तैयार हूं।

श्री एस० कुण्डू : वह सारे नाम पढ़ दें।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 30,000 मदें हैं। क्या वह उन सबके नाम और मूल्य पढ़ सकते हैं ?

Shri Balraj Madhok : We mean New Delhi. Our charge is that they have not taken any body on the Committee from Delhi Administration. They have appointed such persons from Parliament who have absolutely no concern with that. Shri Jagjiwan Ram is sitting here and I want to ask him why is he discriminating with Delhi; why does he want to create conflict between Delhi Admn. and the Centre ?

Shri Kanwar Lal Gupta : Not even a single M.P. from Delhi has been taken. Delhi Administration has not been consulted. Shri Jagjiwan Ram may please answer it.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : उन्होंने एक ही प्रश्न में अनेक अनुपूरक प्रश्न पूछ लिये हैं। एक प्रश्न दिल्ली के सुपर बाजार में नियत मूल्यों से सम्बन्धित था।

मेरे पास उन वस्तुओं की सूची है जिनके मूल्यों का सर्वेक्षण सुपर बाजार के बाजार-भाव जांच एकक द्वारा दिनांक 26 अक्तूबर 1968 को किया गया था तथा उन्होंने आवश्यक पदार्थों, जिनमें अधिकतर दालें हैं, की एक सूची प्रस्तुत की है जहां उन्होंने सुपर बाजार और अन्य स्थानों के मूल्यों में अन्तर पाया है। मैंने देखा है कि हमारे द्वारा बेची जा रही अधिकतम वस्तुओं के दाम अन्य स्थानों की अपेक्षा सस्ते हैं। केवल कुछ ही वस्तुएं ऐसी हैं जहां मूल्यों में कुछ उतार-चढ़ाव है तथा सुपर बाजार में उनके मूल्य ऊँचे हैं। इसके तीन कारण हैं....

श्री बलराज मधोक ; मैं उनके वक्तव्य को चुनौती देता हूँ। मैं स्वयं सुपर बाजार में गया हूँ तथा मैंने स्वयं ही वस्तुएं देखी और खरीदी हैं।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं उन्हें कारण बता रहा हूं कि कुछ वस्तुएं महंगी क्यों हैं। पहला कारण यह है कि गैर-सरकारी व्यापारी कम भाव पर बेच रहे हैं। दूसरे, हम वस्तुओं को साफ करके, पैक करके तथा उनकी श्रेणी निर्धारित करके बेचते हैं, जबकि व्यापारी यह सब कुछ नहीं करते........

Shri Rabi Ray : What action are you taking aginst them ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : वस्तुओं की किस्म के बारे में जो ध्यान हम रखते हैं, व्यापारी लोग नहीं रखते। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि प्राईवेट व्यापारी बिक्री कर नहीं लेते और न ही रसीद देते हैं, जबकि हम रसीद अवश्य देते हैं।

श्री बलराज मधोक : यहां भी मंत्री महोदय गलत कह रहे हैं। उन्हें सभी व्यापारियों पर आरोप नहीं लगाना चाहिये। हो सकता है कि कुछ लोग दोषी हों, जो कि रसीद न देते हों। परन्तु मंत्री महोदय सारे ही व्यापारी समुदाय पर कीचड़ न फेंके।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैंने केवल यह कहकर ही अपने वक्तव्य की पुष्टि की है कि केवल कुछ वस्तुओं के बारे में ही हमारे मूल्य दूसरों से ऊंचे हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बताद्ूं कि सुपर बाजार को मूल्य बनाये रखने पड़ते हैं। हम उतार-चढ़ाव के वश में नहीं हैं। अनेक अवसरों पर सुपर बाजार को अन्य स्थानों से बहुत ही सस्ते मूल्यों पर बेचना पड़ता है। अब तो दिल्ली के सभी बाजारों में यह एक फेशन सा हो गया है कि वह अपने बोर्डों पर सुपर बाजार जैसे मूल्य रखने का प्रचार करते हैं।

फिर, माननीय सदस्य ने समिति के गठन के बारे में पूछा था। प्रबन्ध-समिति का गठन केवल केन्द्रीय सरकार करती है। नियमों के अन्तर्गत यही स्थिति है। सहकारी संस्था के नियमों के अधीन, राज्य सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन नहीं बल्कि केवल केन्द्र सरकार ही मण्डल के व्यक्तियों को मनोनीत करती है। इस मण्डल में हमने पहले ही तीन व्यक्ति दिल्ली प्रशासन से ले रखे हैं... ...

श्री बलराज मधोक : क्या मैं उनके नाम जान सकता हूं ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमने दिल्ली के प्राधिकारियों से अनुरोध किया है ....

अध्यक्ष महोदय : वह सारी समिति के सदस्यों का नाम पढ़ें।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : श्री एस० डी० मिश्र, संसद सदस्य... ..

Shri Kanwar Lal Gupta : Not from Delhi. Do you know wherefrom he is ? Sparing Delhi, you have taken Members from outside.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : सरदार बूटासिंह, श्री एल० सी० जैन, श्री एस० सी० चोपड़ा, श्री देबालकर, श्रीमती गीता कुमारी, श्री प्राण सब्भरवाल, श्री एच० एस० लाथेर, श्रीमती सावित्री निगम, श्री बन्सीधर गुप्त, श्री के० डी० शर्मा, श्री एस० एन० गोयल, श्री डी० के० दास और श्री एस० सी० दुआ।

श्री बलराज मधोक : इसमें सब इनके अपने आदमी भरे पड़े हैं; मैं चुनौती देता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : All of them are Congressmen. Their own pets.

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली प्रशासन की ओर से तीन व्यक्ति कौन से हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : श्री एस० एन० गोयल, आयोजना सचिव दिल्ली प्रशासन, श्री डी० के० दास, राशन मुख्य नियन्त्रक, दिल्ली प्रशासन, और श्री एस० सी० दुआ, सहकारी संस्थाओं के पंजीकार, दिल्ली।

श्री बलराज मधोक : वे अपने पद के कारण समिति में हैं।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमने दिल्ली प्रशासन से एक व्यक्ति को मनोनीत करने को भी कहा था ताकि हम रिक्त हुए एक पद को भर सकें, तथा प्रशासन ने राज्य-सभा के संसद सदस्य डा० महावीर के नाम का सुझाव भी दिया था। हमने उन्हें लिखा तो उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। यह सुझाव दिल्ली प्रशासन की ओर से आया था। अब उन्होंने एक और नाम श्री खन्ना के नाम का सुझाव दिया है। हम प्रशासन द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति को मनोनीत करना चाहते हैं। यह विचाराधीन है।

श्री बलराज मधोक : परिचालन-लागत कितनी है ? यह कुल आय का कितना प्रतिशत है ? वहां के कर्मचारियों के बारे में भी बतायें।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : परिचालन लागत के बारे में माननीय सदस्य को कुछ भ्रम है। वह कहते हैं कि वह 5 प्रतिशत है, यह ठीक नहीं है। यह तो केवल 2.10 प्रतिशत है तथा हम इसे और आगे भी घटाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक प्रश्न पर हमने आधा घण्टा ले लिया। अब हम अगले प्रश्न पर विचार करेंगे।

Shri Prem Chand Verma : Please let me put one question.

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव खड़े हुए थे तथा अन्य सज्जन भी खड़े हुए थे, मैंने उन्हें अवसर नहीं दिया था।

Shri Prem Chand Verma : You have allowed Shri Balraj Madhok to have four questions let me also have one. Yesterday too there was a querrel over it. You allow only those who make a noise,

अध्यक्ष महोदय : आप अपने मंत्रियों से कह दें। मैं आपको अवसर नहीं दूंगा। आपको मेरी अनुमति नहीं मिलेगी।

Shri Prem Chand Verma : It is discrimination.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रकार गलत व्यवहार करेंगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा।

पशु बीमा योजना

*243. **श्री यशपाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या पशु बीमा योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह योजना देश में सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है; और

(घ) देश में सभी राज्यों में इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पशु बीमे की योजना के विवरण को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) से (घ) मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के चुनिन्दा क्षेत्रों में उपयुक्तता अध्ययनों के परिणाम, जिनमें इन राज्यों में चल रहे मृत्यु सर्वेक्षण भी शामिल हैं, उपलब्ध होने पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में मार्गदर्शी आधार पर पशु बीमे की योजना को शुरू करने का प्रस्ताव है ।

Shri Yashpal Singh : The Minister of Agriculture is already much over-loaded, there is very much work, and this Ministry has got the credit also to find a solution to the food problem-atleast India has got some relief. Therefore, why not this Department be handed over to the Ministry of Finance so as to secure quicker work and also to lessen the burden on Ministry of Agriculture ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सत्य है कि पशु बीमा योजना पर पहले भी कई अवसरों पर बातचीत की गई है । सभा को ज्ञात है कि पशु-विकास राज्यों का विषय है तथा पशु बीमा योजना के लिये कोई केन्द्रीय कानून बनाना आवश्यक नहीं है । हमने राज्यों को कहा है कि वे अपने 2 राज्यों में पशु-बीमा योजनायें बनायें ।

जहां तक केन्द्र द्वारा राज्यों को परामर्श देने का सम्बन्ध है, हमने राज्यों में एक मार्गदर्शी योजना का प्रचार किया है तथा माननीय सदस्य द्वारा बताये गये राज्यों में सुविधाओं के तथा मृत्यु-दर आदि के बारे में अध्ययन किये जा रहे हैं ।

Shri Yashpal Singh : Until the Ministry of Agriculture puts pressure, the State Govt. will not send their consent and statistics. Why do not the Government constitute a committee of farmers at least for the time being and hand over this job to it since the delay in this regard is causing a loss ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि कोई इस कार्य को करना चाहे तो इस बीमा कार्य को करने के लिए केन्द्र की स्वीकृति की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा : फसल-बीमा की तरह पशु-बीमा भी बड़ा महत्वपूर्ण है । मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्र द्वारा फसल-बीमा को लागू करने के सम्बन्ध में प्राप्त किये गये अनुभव को ध्यान में रखते हुए, राज्यों द्वारा इस विषय की महत्ता समझे जाने तथा इन योजनाओं के शीघ्र लागू किये जाने के बारे में वास्तव में क्या कुछ किया गया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया है, हम राज्य सरकारों को इन योजनाओं को चलाने के लिये मनाने का प्रयत्न करते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों 1966-67, 1967–68 तथा 1968–69 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण हुए थे। राजस्थान में भी वर्ष 1969–70 के दौरान ऐसा ही सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है। ज्योंही सर्वेक्षण कार्य पूरा होता है, राज्यों के लिये कुछ क्षेत्रों में यह योजना लागू करना सम्भव हो जायेगा।

श्री रा० की० अमीन : मंत्री महोदय ने कहा है कि मार्ग-दर्शी योजना के आधार पर इस योजना को चलाने के लिये राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं। क्या राज्य सरकारों को कोई आर्थिक सहायता देने की भी कोई योजना उनके पास है, तथा मार्ग-दर्शी सर्वेक्षण के कार्य पर कितनी हानि होने की सम्भावना है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : केन्द्रीय सहायता के बारे में, हमने सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि योजना पर प्रशासन सम्बन्धी लागत को केन्द्र वहन करेगा। शेष, जैसे कि पशु-चिकित्सा अनुदान और पशु-चिकित्सा विभाग द्वारा सेवा में वृद्धि का भार राज्य सरकारों को सहना होगा।

श्री रा० की० अमीन : मार्ग-दर्शी सर्वेक्षण कार्य की हानि के बारे में उत्तर दीजिये ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मार्ग-दर्शी सर्वेक्षण अभी किया जा रहा है। अभी तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। सर्वेक्षण के बाद ही हम स्थिति बता सकेंगे।

श्री के० नारायण राव : पशु किसान की निजि सम्पत्ति है। देश में भारी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनके पास केवल एक जोड़ी बैल हैं। यदि वे चोरी हो जाते हैं अथवा मर जाते है, तो किसान को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अब मैं मंत्री महोदय की ओर से यह मान लेता हूँ कि वह सहानुभूति से किसानों की सहायता करना चाहते हैं; कठिनाई केवल संविधान की है कि वह राज्यों का विषय है। सम्भव है पशु राज्यों का विषय हो, परन्तु बीमा तो केन्द्र का विषय है; तथा जब भारत सरकार की ओर से बनने वाला यह कानून लाभ-प्रद हो, तो मैं नहीं समझता कि राज्य सरकारें किसी भी रूप में इसका विरोध करेंगी। इस दृष्टि से, क्या मंत्री महोदय इस पर पुनः विचार करेंगे तथा इस मामले में कार्य-वाही आरम्भ करके तुरन्त ही कोई कानून बनायेंगे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पशु-बीमा के सम्बन्ध में सिवाय आर्थिक सहायता के केन्द्र सरकार का कोई काम नहीं है। इस कार्य के लिये किसी केन्द्रीय कानून की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य यह ठीक नहीं कहते कि राज्यों द्वारा पशु बीमा कार्य करने के लिये केन्द्रीय कानून की आवश्यकता है। इस योजना के बारे में हमने पहले ही एक योजना का प्रचार कर दिया है तथा इसमें माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त मृत्यु, दुर्घटनाओं से मृत्यु आदि के बारे में महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

Shri George Fernandes : Cattle insurance could be done only when Govt. brings in a scheme for it; but at present, in Kutch-the fort of Gujarat and also in Rajasthan, cattle are dying in large numbers, and a few Ministers of the Govt. of Gujarat have started a save-cattle compaign in Bombay, and are collecting money from the industrialists there. I would like to know from the Food Minister whether in view of this heave mortality of cattle, and also that the grass in Chharbet is the best in India, but the Collector there has forbidden the people to cut it, will he stop the compaign that is going on in Bombay and issue certain orders so as to enable the people in Chharbet to use that grass for their cattle ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कच्छ और राजस्थान में पशुओं की दशा के बारे में माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं सहमत हूं, परन्तु इस बात का सम्बन्ध इस प्रश्न से कैसे है ?

Shri George Fernandes : It is very significant question and matters whole country, Thousands of cattle are dying in Kutch. There is ample grass in Chharbet. Even if they like to give Chharbet to Pakistan, it is now with us and the grass there is withering away. Would this Department try to utilise this grass ?

अध्यक्ष महोदय : यहां पशु-बीमा का मामला है, आपका प्रश्न दूसरा है तथा पशु-बीमा से सम्बन्धित नहीं है। मैं मानता हूं कि आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस बारे में कार्यवाही करेंगे। आपके सुझावों पर विचार करेंगे, परन्तु इस सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। कोई बात नहीं, आपने कच्छ की गम्भीर स्थिति के बारे में उन्हें सूचित कर दिया है। मुझे विश्वास है कि सरकार कार्यवाही करेगी।

Shri Rabi Ray : When cattle are dying in large number, how can cattle insurance be done there ?

Shri George Fernandes : I request you to convey this to them.

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल उन्हें ही कह रहा हूं।

Shri Randhir Singh : Since my friends have particularly mentioned Haryana, and also that best breeds of cattle are found in Gujarat and Haryana, there have been several specific diseases there, not only this year but for the last several years, due to floods as a result of which even ten cattle die in one house. So, I want to know that as cattle worth crores of rupees die due to Govt.'s negligence in diagnosing the disease of the cattle, what do you propose to do about constituting a specicial research cell in Hissar and Delhi so that the cattle may be saved. Besides that, the farmers suffer a big loss of crops and livestock worth crores of rupees What plans have you got rehabilitate those farmers ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मै पहले ही कह चुका हूं कि माननीय सदस्य के क्षेत्र अर्थात हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराया जा रहा है तथा इस परियोजना के पूरा होने पर बीमारियों से मृत्यु आदि के बारे में जांच होगी, परन्तु मैं माननीय सदस्य को उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पशु-चिकित्सा सेवा की सुव्यवस्थित योजना के परिणामस्वरूप पशुओं विशेषकर भैंसों की मृत्यु-दर में कमी हुई है तथा हाल ही की पशु-गणना के अनुसार हमारे देश में भैंसों की संख्या बढ़ रही है। अतः हमें अधिक चिन्तित नहीं होना चाहिए।

Shri Om Prakash Tyagi : I thank the Govt. for such a scheme, but side by side, if the Govt. do not care for cattle prevention, the insurance companies, whether under State or Centre, will go fully in loss. Are the Govt. aware that the best breeds of buffaloes and cows are found in Haryana and many of these cattle go to Calcutta and Bombay where the climate is not suitable to them as a result of which those cattle give milk only once or twice and also they develop certain diseases in their teats which startb leeding and become useless. The butchers purchase them and sell them in the form of flesh whereas they can live usefully for 5-10 years in other parts of the country. Among nation's, animal property, Haryana has the best breed, and I want to know what do the Govt. propose to protect them.

Cows in large number, from 200 to 400 cows a day, are going to Pakistan these days·······

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बिल्कुल सम्बन्धित नहीं है। विषय पशु-बीमा का है तथा आप पाकिस्तान आदि की बात कर रहें हैं। यहां पशुओं पर बहस नहीं चल रही है। आप कृपया प्रश्न ही पुनः पढ़िये।

Shri Om Prakash Tyagi : If a cattle is lost, the Insurance Co. will not pay the cost······

Mr. Speaker : Ask only the question.

Shri Om Prakash Tyagi : Have made any arrangements for protecting the best breed of cattle in Haryana ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जी हां। अपने देश में पशु-धन का विकास करने के लिये आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

Shri Kamble : What sort of cattle are covered under the Cattle Insurance Scheme ? Does it cover cows, bullocks, buffaloes and goats also ?

अध्यक्ष महोदय : श्री झा, यदि आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपको अन्य सदस्यों की भांति खड़ा होना होगा। आपको केवल इस प्रकार उगंली ही नहीं रखनी चाहिये।

Shri Shiv Chandra Jha : In view of the increasing cattle mortality in the flood affected areas. I want to know from the Govt. whether they have any cattle insurance scheme in the flood affected areas, if so, the details, and if not, whether such a scheme would be prepared for the flood affected areas ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस समय देश के किसी भाग में भी यह योजना लागू नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, कुछ क्षेत्रों में मार्ग-दर्शी योजनाएं लागू करने का विचार है। इसके बाद हम उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी फैला सकते हैं।

Shri Manibhai J. Patel : Which countries of the world have got such cattle insurance schemes, and, secondly, what is the number of cows in our country ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुख्यतः जापान और स्केन्डीनेविया देशों में यह परियोजना काफी बड़े स्तर पर लागू है। दूसरे कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों में भी पशु-बीमा योजना लागू है।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक प्रश्न करने की ही अनुमति है। आप कभी कभी ही सभा में आते हैं तथा आप दूसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं। केवल एक प्रश्न ही करने की अनुमति है। इस सभा में दूसरा प्रश्न करने की अनुमति नहीं है।

Import of Sheep by Jammu and Kashmir Government

\+
* 244. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bibari Vajpayee :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government of Jammu and Kashmir had obtained permission from the Central Government before concluding an agreement with Australia for the import of sheep during the next five years;

(b) the amount of foreign exchange likely to be spent on the said import; and

(c) whether the said import has been considered essential ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जम्मू तथा काश्मीर ने आगामी पांच वर्षों में भेड़ों के आयात के बारे में आस्ट्रेलिया के साथ कोई समझौता नहीं किया है।

(ख) तथा (ग): प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

झरिया नागरिक परिषद का खान सुरक्षा महानिदेशक को ज्ञापन

\+
* 246. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री गफूर अली खां :
श्री शिवचरण लाल :
श्री क० लकप्पा :
श्री केदार पासवान :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया नागरिक परिषद द्वारा 18 जुलाई, 1968 को खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) नगर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि 29 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6453 के उत्तर को भी देखा जाये।

Shri Kameshwar Singh : May I know the steps Government are taking in the matter of subsidence of mines in Jharia area as it has created difficult situation for the area ?

Shri Hathi : The question was raised by Shri Beni Shanker Sharma and visited the place alongwith him. We undertook the necessary, precaustionary steps for the safety of the town. One of them is that there would only be one shot and that too during the day time. We would not take out more than 15 to 20 percent of coal. The entire colliery area would be inspected and it will be seen that the precaustionery measures are adhered to.

Shri Kameshwar Singh : Another matter is that the companies in Jharia area take out coal in a very unscientific manner and there is always danger of subsidence of the city. I want to know whether Government will appoint a Committee of offical and non-offical experts to look into this raspect ?

Shri Hathi : It is the duty of officials to take necessary measures for the safety of officials. There are about seven or eight coal mines in Jharia. Three of them have been closed. One is far away from Jharia. Necessary safty measures are bring taken in this regard.

Shri Deven Sen : During the period from 1962 to 1968 the subsidence in the Rani Ganj area has been a record. There are about 5 or 6 places where it has taken place, I want to know whether Government would appoint an enquiry commission to look into this, so that the safety workers and others could be ensured ?

श्री हाथी : इस प्रश्न का सम्बन्ध झरिया नगर और उसके आस-पास की खानों से है। जहां तक कुलटी आदि के धंसने की बात है, जांच आयोग की नियुक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 40 वर्ष पूर्व वहां पर खनन कार्य बन्द कर दिया गया था। उसके बाद यह कहा गया कि उस क्षेत्र में अधिक जन संख्या नहीं जानी चाहिये। यह राज्य सरकारों को देखना है कि ऐसे क्षेत्रों में अधिक जन संख्या न होने दें।

Shri Ramavtar Shastri : Inspite of Government's efforts, accidents do take place. I want to know the number of accidents that occured in coal mines since last January and the number of labourers that were killed ? May I know if any compensation was paid to those people who were killed, and if so, the amount thereof ?

Shri Hathi : I do not know whether any labourer was killed in Jharia coal mines about which I have mentioned.

वनस्पती घी की मिलों का बन्द होना।

\+
*247. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री बृजभूषण लाल :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पती घी की कई मिलों के बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) कोई भी वनस्पती कारखाना बन्द नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या यह सच है कि पंजाब तथा अन्य स्थानों में वनस्पती घी की मिलें इस कारण बन्द हुई है कि सरकार ने सोयाबीन तेल का आयात किया था और व्यापारियों को तिलहन के लिये दी गई अग्रिम राशियां वापिस ले ली गई हैं ? क्या इन्हीं दो कारणों से यह उद्योग बन्द हुआ हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैने पहले ही कहा है कि उक्त प्रश्न में उल्लीखित दो महीनों में कोई कारखाना बन्द नहीं हुआ है। बात केवल इतनी ही थी कि देश में कच्चे तेल की कीमत बढ़ गयी थी और कुछ कारखानों को कच्चा तेल प्राप्त करना कठिन हो गया था। इससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है, परन्तु कोई कारखाना बन्द नहीं हुआ है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या यह सच नहीं है कि डालडा घी की कीमतें बढ़ गयी हैं और देश के अनेक भागों में इसकी कमी महसूस हो रही है ? जब देश में मूंगफली और तिलहन की फसल अच्छी हुई है तो ऐसी स्थिति होने के क्या कारण हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अब स्थिति में सुधार हो गया है और समूचे देश में यह सुविधा पूर्वक उपलब्ध है । फिर भी अगस्त और सितम्बर में, जब स्थिति कुछ कठिन होने लगी थी, कीमतों पर कानून द्वारा नियन्त्रण किया गया । इस प्रकार कीमतों पर नियन्त्रण करने के लिये हमने हिदायतें जारी कर दी है ।

श्री तुलशीदास जाधव : क्या मैं जान सकता हूं कि गत मास वनस्पति की कीमतें क्यों बढ़ायी गयी थीं, और उसके तुरन्त बाद उन्हें कम कर दिया था ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वनस्पती घी की जो अन्य वस्तुओं से बनाया जाता है, कीमत अन्य कच्चे माल की कीमतों पर निर्भर करती है । उनकी कीमतों में ऊपर-नीचे परिवर्तन होते रहे हैं । इसी कारण वनस्पति घी की कीमतों में हर महीने अन्तर होता रहा है ।

श्री कन्डप्पन : यह ठीक है कि वनस्पति घी के मूल्यों पर नियन्त्रण है परन्तु कच्चे माल की कीमतों, मुख्यतः मूंगफली की कीमतों में परिवंतन बहुत होता है । कभी कमी तो यह 100 रुपये क्विंटल तक अन्तर हो जाता है । जब इसमें वृद्धि होती हैं तो वनस्पति का मूल्य बढ़ा दिया जाता है परन्तु जब इसमें कमी होती है तो वनस्पति के मूल्य में कमी नहीं की जा सकती । इसके क्या कारण हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अगस्त तथा सितम्बर के महीने में बाढ़ के कारण रेलवे द्वारा माल ले जाये जाने आदि में विघ्न पड़ गया था और वर्षा न होने के कारण सट्टेबाजों ने अगले वर्ष के उत्पादन के बारे में अनुमान लगाने आरम्भ कर दिये थे । इससे कीमतों पर कुछ प्रभाव पड़ा । हमारे अध्ययन से यह पता चला है कि समूचे देश में कच्चे तेल का मूल्य 18.5 प्रतिशत बढ़ा परन्तु वनस्पति का मूल्य केवल 14.5 प्रतिशत बढ़ा है ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच नहीं है कि सरकार की नीति के बावजूद वनस्पति घी की कीमतें बढ़ती और कम होती जा रही है ? जब मूंगफली की कीमतें अच्छी होती है, सरकार राज्य व्यापार निगम के द्वारा सोयाबीन को बाजार में लाती है और इस प्रकार व्यापारियों को लाभ हो जाता है, परन्तु क्या इससे उत्पादकों के साथ अन्याय नहीं होता ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य की धारणा ठीक नहीं है। वनस्पति या खाद्य तेल एक अत्यावश्यक वस्तु है। समूचे समाज को ध्यान में रखते हुए हमें देश में खाद्य वस्तुओं का मूल्य उपयुक्त स्तर पर बनाये रखना पड़ता है। कभी-कभी कच्चे माल की सप्लाई भी करनी पड़ती है।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether a scandanavian country offered to s pply lakhs of tons of vanaspati free of cost, but under the pressure of some vanaspati manufacturers. Government put some conditions on it and it was not supplied ? What is the real position in this regard ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

Shri Shashi Bhushan : Pure Ghee is not available, because they have not coloured the vanaspati oil. The big companies have monoply. I want to know whether Government has taken some steps to end these monoplies, so that prices were controlled ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने कानूनी रूप से वनस्पति के मूल्यों पर नियन्त्रण किया है ....

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : हमने वनस्पति उद्योग पर से नियन्त्रण हटा दिया है। उत्पादन को कुछ एक हाथों में सीमित होने को रोकने के लिये हमने यह शर्त लगायी है कि सरकार की अनुमति के बिना 100 टन से अधिक कोई क्षमता नहीं बढ़ा सकता। यह नये कारखानों पर और वर्तमान कारखानों के विस्तार पर लागू होगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has said that there is statutory control over price, but after every 15 days there is change in prices and it is not published in newspapers. Similary the supply is also not regular, Very often the commodity disppears from the market. May I know the steps Government propose to take to ensure regular supply of vanaspati and its prices are not changed so often ?

Secondly, May I know, whether Government is aware that big industrialists indluge in black marketing. I feel Government knows this but takes no actirn ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसे माननीय मंत्री ने कहा है, हमने नियन्त्रण समाप्त करने की कार्यवाही पहले ही की है, ताकि उत्पादन बढ़े। इसके फलस्वरूप सरकार को बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं। मेरे विचार में आगामी एक डेढ़ वर्ष में उत्पादन में वृद्धि होगी।

श्री कंवरलाल गुप्त : भ्रष्टाचार और चोर बाजारी के बारे में क्या हुआ ? क्या आपको निर्माताओं के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं ?

श्री जगजीवन राम : यह मामला पूर्णतया दिल्ली प्रशासन का है... ... ...

श्री कंवर लाल गुप्त : वे कारखाने दिल्ली में न होकर उत्तर प्रदेश में हैं।

श्री जगजीवन राम : ये कारखाने जहां कहीं भी हों, यदि कारखाने दिल्ली में है तो ये अधि-सूचित मूल्य से अधिक मूल्य में बेचते हैं, दिल्ली प्रशासन इन पर मुकदमा चलाने में स्वतंत्र हैं।

Shri Achal Singh : Vanaspati Ghee comes under the purview of Essential Commodities Act. Its supply is short in the market and black marketing is going on. I want to know what steps the Government are taking to stop black marketing in it ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वनस्पति तेल उत्पाद नियन्त्रण आदेश 1957 के अधीन मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जाता है, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह सब जगह उपलब्ध है और हमारे पास कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : मंत्री महोदय ने कहा है कि वनस्पति के मूल्य पर वैधानिक रूप से नियन्त्रण रखा जा रहा है। परन्तु जब तेल का मूल्य, विशेषकर मूंगफली के तेल का, कम हो जाता है तो वनस्पति के उपभोक्ता को तेल की कीमत के कम होने के बावजूद वही मूल्य चुकाना पड़ता है। (व्यवधान)

देश जानता है कि सरकार वनस्पति में रंग मिलाने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है। बीस वर्षों के अधिक समय से वनस्पति वालों ने सरकार को ठगा है। हमें सरकार पर अधिक विश्वास नहीं है कि वे वनस्पति वालों पर नियन्त्रण रख सकते हैं।

क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार वनस्पति का अधिनियमित मूल्य निर्धारित करने के बदले इसका मूल्य मूंगफली के तेल के मूल्य के साथ सम्बन्धित करके क्यों नहीं नियत करती ? जब मूंगफली के तेल के मूल्य में वृद्धि होती है तो वनस्पति का मूल्य भी बढ़ने दो और जब मूंगफली के तेल के मूल्य में कमी होती है तो वनस्पति के मूल्य में भी कमी होने दो। सरकार वनस्पति के मूल्य को इसके कच्चे माल के मूल्य के साथ क्यों नहीं जोड़ती ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य नहीं जानते कि यह व्यवस्था प्रचलन में है। वर्तमान मूल्य कच्चे तेल के मूल्य से सम्बन्धित हैं। यही व्यवस्था प्रचलन में है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षित टेलीफोन शुल्कदरों का मनलाना घोषित किया जाना

\+
3. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री मं० ला० सोंधी : **श्री पी० विश्वम्भरम :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने बढ़ी हुई पुनरीक्षित टेलीफोन शुल्क-दरों का मनमाना तथा अनुचित घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्भव परिणाम क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इसके सम्भावित परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है। अपील दायर करने और रोक आदेश के लिए कार्रवाई शुरु की गई है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Madras High Court has declared That that increase in tariff is arbitrary and unjust. Mr. Speaker, you see that Telephone tariff has been increased four times in Delhi for the last two years. The advance which was two thousand before has been increased to three Thousands. The rates have also been increased. The deposit o' connection has also been increased. The agreement between the President and the Consumer was at the time of Rs two Thousand. They have increased it unilaterally. They are going on increasing it. Because they have monopoly in it. Despite the fact, that this department is earning profit at the tune of lakhs of rupees, they are increasing the rates. With this result their other department runs on loss and the loss is due to their inefficiency.

Mr. Speaker, their rates are not discussed in the Budget. So I want to know how much rates and tariff rates should be increased and how much not. Will you make some arrangement for it ? Will you form a parliamentary committee which may determine whether the policy of the Government to increase the tariff is right or not ? Will you make such arrangement.

My second question is how much profit the Telephone Department has earned for the last two years ?

Dr. Ram Subhag Singh : I do not agree that the work is conducted in an arbitrary way. The reason is that whatever the work we do come here in some way. If it is not so than the hon. Members of this house have right to examine every things.

This case pertains to Madras Telephone District, The hon. member has talked about Delhi. I will send the figures which will show what work we have done for the last two years.

I do not agree with them on this point that the Post and Telegraph are separate departments. These are one and not separate. He has talked about forming a Committee which may examine those things. We have no idea to form any Committee.

Shri Kanwar Lal Gupta : I asked about the Proit.

Dr. Ram Subhag Singh : I have said that I will send all the figures.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. member has said wrong that both are not separate departments. It has been decided by the High Court that both are separate departments. Since if there is loss in one department, then you increase the rates in other department. I

want to know unless the Supreme Court gives verdict in your favour then will you stop the increase the tariff rates and procure in old rates. Will you also stop the increased rates in other places and let the rates be continued. If not then why ? And whether this will not be the contempt of court ?

Shri Ram Subhag Singh : I regard it absolutely incorrect and unfair what the hon. member has said that the Post and Telegraph department are not the only department. We bring its budget n the house every year.

Shri Kanwar Lal Gupta The court has declared it.

Shri Ram Subhag Singh : The appeal has been filed against the judgement of Court but I regard absolutely incorrect what you have said. It is one department I have already informed about the figures.

Shri Ranwar Lal Gupta : Will the old tariff be procured in Madras after the verdict of Court ?

Dr. Ram Subhag Singh : We have issued instructions to take action in accordance with the verdict.

Shri Kanwar Lal Gupta : Will it be procured in old rates or new rates ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सन्तुष्ट हूं। श्री कोठारी।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : इस निरंतर कर वृद्धि से जनता को करीब हर दो वर्ष पश्चात् तकलीफ उठानी पड़ रही है, मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए क्या मंत्री महोदय बंबई, कलकत्ता और अन्य शहरों के टेलीफोन के शुल्कदरों को कम करने के लिए संशोधन करेगी और इस विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि करेगी ताकि जनता को अच्छा लाभ मिल सके। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठा रहे है ताकि आम आदमी को टेलीफोन सुलभता और सस्ते में मिल सके। आम आदमी के लिए यह आसान नहीं है कि वह टेलीफोन विभाग को टेलीफोन के लिए 2,000 रूपये या 2,500 रूपये या 3,000 रूपये दे। अगर मुझे टेलीफोन की आवश्यकता है तो मुझे यह नहीं मिल सकता।

डा० राम सुभग सिंह : प्रस्ताव दर को कम करने और कार्यक्षमता को बढ़ाने का है। हम इसको पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए वे क्या ठोस कदम उठा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे इसको एक वाक्य में कैसे कह सकते हैं कि कार्यक्षमता में सुधार कैसे लाया जाये ? यह सामान्य प्रश्न है, मंत्री महोदय इसको अनुपूरक में कैसे उत्तर दे सकते हैं ?

श्री कंवर लाल गुप्त : हम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहते है ?

अध्यक्ष महोदय : अगर वे इस प्रकार विस्तृत नीति वाले मामलों को अनुपूरक प्रश्न में पूछेंगे तो मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर वे कार्यक्षमता में सुधार लाने का विस्तृत नीति वाला प्रश्न पूछते हैं तो मैं नहीं जानता कि इसका उत्तर देना कैसे संभव है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है, क्या मंत्री महोदय ऐसी योजना बनाएगें जिसके अन्तर्गत 1,000 रूपयों से कम आय वाले लोगों को ओ० वाई० टी० योजना के अन्तर्गत 2,500 रुपये अथवा 3,900 रुपये जमा नहीं करने होंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : हम निरंतर अपनी कार्यविधियां, जिसमें ओ० वाई० टी० योजना शामिल है, का पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं। हमें लोगों की कठिनाइयों के बारे में मालूम है इसलिए हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। परन्तु इस पर पुनर्विचार करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पी० विश्वम्भरन : मंत्री महोदय ने कहा है कि डाक तथा तार विभाग के टेलीफोन विभाग को एक अलग यूनिट के रूप मे माना जाता है। परन्तु मद्रास उच्च न्यायालय में टेलीफोन विभाग ने दूसरा ही तर्क प्रस्तुत किया है। मैं इस सन्दर्भ में "दी हिन्दु" दिनांक 15"/68 से उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें लिखा है : —

"अधिकारियों के टेलीफोन तथा ट्रंक काल की शुल्क दर बढ़ाने का मुख्य आधार डाक, तार तथा रेडियों विभागों में हुई हानि को दूर करना था, इस शीघ्र तथा अचानक वृद्धि इस आधार पर न्यायोचित ठहराई गई थी कि डाक तथा तार विभाग एक यूनिट है"

अतएव जो मंत्री महोदय ने यहां कहा है वह उसके विभाग के उच्च न्यायालय में कहे हुए तर्कों से मेल नहीं खाता है। मैं जानना चाहता हूं कि, जहां तक सभा का संबंध हैं, इन में से कौन सा तर्क सही है। दूसरा, मुझे सूचना मिली है कि मद्रास टेलीफोन सिब्बंदी ने यह आदेश जारी किये हैं कि न कोई जमा स्वीकार की जाय और न नए बिल जारी किए जाएं। उच्च न्यायालय ने शुल्क दर को पूर्णतः समाप्त नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने केवल 1966 से वृद्धि किए हुए शुल्क दरों को रद्द कर दिया है। मैं जान सकता हूं कि अपीलीय न्यायालय अथवा सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय नहीं हो जाने तक मद्रास स्थित टेलीफोन सिब्बंदी को यह अनुदेश जारी किया जायेगा कि 1966 से पहले वाले दरों में भुगतान प्राप्त किया जाये, नहीं तो जनता को परेशानी होगी।

श्री नाथ पाई : मद्रास में ही नहीं अपितु समस्त भारत में ऐसा किया जायेगा।

डा० राम सुभग सिंह : हमने मद्रास टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के महाप्रबन्धक और अपने विभाग को उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने को कहा है, इस निर्णय पर अमल किया जा रहा है,

जैसा कि सभा जानती है कि हमारा डाक तथा तार विभाग को छोड़कर कोई रेडियो विभाग नहीं है, यह केवल एक यूनिट है, और यह डाक तथा तार विभाग है।

श्री नाथ पाई : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री एस० कन्डप्पन : इस विभाग तथा मंत्री महोदय के तर्क में क्या कमी है ?

डा० राम सुभग सिंह : इसका उत्तर है कि डाक तथा तार विभाग में हमारे बहुत से विभाग नहीं है ; यह तो केवल एक विभाग है न कि रेडियो, डाक, तार तथा टेलीफोन विभाग।

श्री एस० कन्डप्पन : माननीय सदस्य ने जो परिपत्र पढ़ कर सुनाया है, उसके अनुसार वे उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू नहीं कर रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि मैंनें कहा है कि उच्च न्यायालय के निर्णय में जो कुछ कहा गया है, उसको लागू किया जा रहा है।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : सरकार उस निर्णय के विरुद्ध क्यों अपील कर रही है ? हम कोई अपील नहीं करना चाहते।

डा० राम सुभग सिंह : हमने उस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की है।

श्री स० कुण्डू : मद्रास उच्च न्यायालय ने डाक तथा तार विभाग के अनेक स्वैच्छाचारी निर्णयों में से एक के विरुद्ध फ़ैसला दिया है, पिछले 10 वर्षों से इन टेलीफोन की दरों में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को रद्द करने अथवा अनुमोदन करने तक मंत्री महोदय वर्त्तमान शुल्क दर को, जो कि मद्रास में प्रचलित है, इस निर्णय के बाद समस्त भारत में एक समान करेंगें ? जब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा यह रद्द नहीं किया जा सकता तब तक यह देश का कानून रहेगा। दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं.......

अध्यक्ष महोदय : अगर वे एक प्रश्न पूछते हैं तब उत्तर ठीक रहेगा। अगर उसमें (क), (ख), (ग) आदि भाग हों तो प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री स० कुण्डू : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वही दर समस्त भारत में समान रूप से लागू होगी।

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में उस समय समस्त भारत में एक समान दर नहीं थे। कुछ हद तक ये दर विभिन्न स्थानों जैसे कलकत्ता, दिल्ली आदि में अलग-अलग थे।

श्री एस० एम० जोशी : अगर विभाग एक है तो वे ऐसा क्यों कहते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : मद्रास में 150 काल पर तिमाही 50 रूपये किराया था और उसके बाद प्रति काल 10 पैसे थी, उसके बाद 150 काल पर तिमाही 75 रूपये किराया कर दिया और उसके बाद प्रति काल 15 पैसे हुआ। बम्बई में 150 काल पर तिमाही 54 रूपये था और उसके बाद 12 पैसे प्रति काल है, इसी प्रकार ये दर विभिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न हैं, हम मद्रास न्यायालय के निर्णय को लागू कर रहे हैं क्योंकि ये निर्णय मद्रास डिस्ट्रिक्ट से सम्बन्ध रखते है जैसा कि विधि मंत्रालय ने हमें इस बारे में सलाह दी है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप स्थिति का लाभ उठाते हुए इसमें एक रुपता लायेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : जी नहीं मुझे अफसोस है कि मैं इस सुझाव को स्वीकार नहीं करूंगा।

Shri Manibhai Patel : I want to know whether action has been taken to get stay order against this decision of High Court.

Dr. Ram Subhag Singh : I have already stated that appeal has been filed.

Shri Rabi Ray : On the one hand the Government appoint Shri Bibhudendra Mishra, a defeated former congress minister as a chairman of Telephone Industries of Bangalore just as they have made another defeated former Congress minister Shri Malviya as a Chairman of another Public industry and on the other hand they are increasing the tariff rates of Telephone and giving troubles to the public. I want to know what Shri Mishra know about this industry. He has no experience in this respect.

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या मैं जान सकता हूँ कि मंत्री महोदय को मालूम है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने समस्त देश के लिए इस वृद्धि की दर को रद्द कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : वे समस्त देश के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं ?

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का इसको कर न मानकर फीस के रूप में लेने का विचार है। क्योंकि अगर यह कर है तो सरकार को इसमें वृद्धि करते समय संसद् में लाना पड़ेगा। वास्तव में इसका प्रभाव अतिरिक्त कराधान के रूप में है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं किसी आकस्मिकता की आशा नहीं करता क्योंकि अभी हमें निर्णय की प्रतिलिपि नहीं मिली है यह आज या कल तक मिल जायेगी। इसको भलि भांति अध्ययन करने तथा जांचने के बाद ही हम निर्णय करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बर्मा-शैल द्वारा कर्मचारियों की छंटनी

241. **श्री स०कु० तापड़िया :** **श्री राममूर्ति :**
श्री ए० श्रीधरन : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री प० गोपालन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा-शैल के प्रबन्धकों द्वारा कलकत्ता स्थित अपने प्रतिष्ठानों से 350 कर्मचारियों की छंटनी करने के निर्णय के विरुद्ध 9 सितम्बर, 1968 को दिल्ली के पैट्रोलियम कर्मचारी संघ ने बर्मा-शैल 'एस्सो" तथा "कालटैक्स" के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत में उक्त विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा इन कर्मचारियों की छटनी को तथा भविष्य में अन्य किसी छंटनी को रोकने के लिये हस्तक्षेप किया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में तेल कम्पनियों तथा उन के कर्मचारियों का दृष्टिकोण क्या रहा है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। 16 और 17 नवम्बर, 1968 को दिल्ली में हुई त्रिपक्षीय बैठकों के अनुसार बर्मा-शैल के प्रबन्धकों ने छंटनी कार्यवाही को 5 दिसम्बर, 1968 तक रोके रखना मंजूर कर लिया तथा कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापिस लेली। दोनों पक्षों ने विवाद तय करने के लिए तत्काल बातचीत शुरू कर दी।

(ग) बर्मा-शैल के अनुसार, व्यापार में कमी तथा उत्पादन के वितरण की प्रणाली में परिवर्तन से फालतू हुए कर्मचारियों के जमा होने के कारण ही छंटनी अनिवार्य हुई। कर्मचारियों का कहना था कि स्वचालित मशीनों तथा कम्पनी द्वारा ठेका श्रम प्रणाली इस्तेमाल करने के परिणामस्वरूप श्रमिक फालतू हुए।

युगोस्लाविया से ट्रैक्टरों का आयात

245. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उड़ीसा के किसी फार्म ने, जिसने 1966 में युगोस्लाविया से 122 ट्रैक्टर आयात करने का प्रस्ताव किया था, वास्तव में इन ट्रैक्टरों का आयात किया है अथवा नहीं ;

(ख) क्या इन ट्रैक्टरों के आयात के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति ली गई थी ;

(ग) यहि हां तो इस सौदे का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) से (ग): उड़ीसा की किसी फर्म ने केन्द्रीय सरकार से 122 युगोस्लाव ट्रैक्टर आयात करने की अनुमति-देने के विषय में कोई प्रार्थना नहीं की और इसलिए कोई अनुमति नहीं दी गई।

सम्भवत: प्रसंग विजयवाड़ा की एक फर्म द्वारा उड़ीसा सरकार को 12 युगोस्लाव क्रालर ट्रैक्टरों के प्रस्तावित विक्रय से है। यदि यही प्रसंग है, तो इस सौदे की जांच राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक जांच आयोग कर रहा है और जांच के परिणामों की प्रतीक्षा है।

लाभप्रद जोतों पर काम करने वाले कृषक

***248. श्री हेमराज :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि कितने प्रतिशत कृषकों को लाभप्रद जोतों पर लाभदायक ढंग से काम पर लगाया जा सकता है ;

(ख) इस समय कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्वाह करते है ; और

(ग) सरकार ने लोगों को कृषि से हटा कर उद्योगों में लगाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है और इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि,सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत की 1961 की जन गणना के अनुसार 1880 लाख कामगरों में से 69.5 प्रतिशत कृषक अथवा कृषि मजदूर थे।

(ग) उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाये गये विभिन्न उपायों का लक्ष्य उद्योगों और गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का है।

संचार उपग्रह

*249. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अतलांतिक उपग्रह भारत को समूचे विश्व के साथ सचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसके प्रथम संचार उपग्रह की स्थापना में सहायता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारत को क्या सहायता दी जा रही है ; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री : (श्री इ० कु० गुजराल) (क) और (ख) : भूमाण्डलिक उपग्रह संचार प्रणाली की स्थापना के लिये भारत, संसार के 62 अन्य देशों सहित अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संघ (कन्सोर्टियम) का सदस्य है। यह कन्सोर्टियम अतलांतिक तथा प्रशांत महासागरों पर पहले ही उपग्रह छोड़ चुका है तथा हिन्द महासागर पर एक उपग्रह 1969 के मध्य तक छोड़ने का आयोजन है जो कि भारत की वाणिज्यिक क्षमता को विस्तृत कर देगा।

(ग) भूमाण्डलिक उपग्रह संचार प्रणाली की कुल लागत 20 करोड़ डालर रहने का अनुमान है।

भूमिहीन कृषि मजदूरों का पुनर्वास

*250. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में भूमिहीन कृषि मजदूरों के पुनर्वास सम्बन्धी समन्वय कार्य को राज्यों में केवल एक अभिकरण को सौंपने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :—

(1) एक कालोनाइजेशन योजना के अन्तर्गत निवासियों की संख्या तथा निवास-स्थान के क्षेत्र के बारे में न्यूनतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये ।

(2) विभिन्न स्थानों पर सुधार की लागत को पूरा करने के लिये सहायता का प्रतिरूप लचीला होना चाहिये । स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए लागत की विभिन्नताओं का भी समुचित ध्यान रखना चाहिये ।

(3) ऐसे समुचित तौर-तरीके खोजे जाने चाहियें जिनसे कि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल उन्हीं परिवारों का चुनाव किया जा रहा है जोकि वास्तव में भूमि पर आबाद होंगे ।

(4) बसी हुई कालोनियों में न्यूनतम आधारित सुविधायें उपलब्ध करना आवश्यक है ।

(5) राज्य स्तर पर प्रभावी समन्वय के लिये केवल एक अकेली एजेन्सी को उत्तरदायी होना चाहिये ।

(6) जहां तक कालोनाजेशन स्कीम का सम्बन्ध है, कालोनी स्तर पर कार्यक्रम को सक्रिय रूप से क्रियान्वित करने के लिये एक क्षेत्रीय एजेन्सी का होना आवश्यक है

(7) प्रारम्भिक स्तर पर कार्य-क्रम का समुचित आयोजन आवश्यक है ताकि धन के अप-व्यय होने और प्रयत्नों को बेकार होने से बचाया जा सके ।

उपरोक्त सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिये राज्य सरकारों को भेजी जा रही हैं ।

आसाम में गेंडों की हत्या

***251. श्री प्र० के० देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आसाम में गेंडों की प्रचुर हत्या की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने गेंडे मार दिये गये हैं ; और

(ग) इस पशु को सुरक्षित रखने के लिये और शिकारियों को उनका शिकार करने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) से (ग) : पूछी गई जानकारी आसाम सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर र

राष्ट्रीय श्रम आयोग के एक सदस्य का त्यागपत्र

*252 **श्री स०मो० बनर्जी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग के एक सदस्य ने अपना त्यागपत्र दे दिया है ?

(ख) यदि हां, तो उनके त्यागपत्र का क्या कारण है ; और

(ग) क्या त्यागपत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : आयोग के अध्यक्ष को लिखे श्री डांगें के पत्र और आयोग द्वारा 4 अक्टूबर, 1968 को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव की एक-एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2235/68]

पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात।

*253. **श्री अदीचन** : **डा० रानेन सेन** :
श्री वासुदेवन नायर : **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न के आयात के लिये अमरीका के साथ एक नया करार करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न को कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा और उसका मूल्य कितना होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) हमने 23 लाख टन खाद्यान्न सप्लाई करने की प्रार्थना की है। अनुमानित लागत लगभग 1520 लाख डालर होगी।

सुपर बाजार में कीमतों में वृद्धि

*254. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सुपर बाजारों में दुर्लभ वस्तुओं को छोड़ कर अन्य अनेक वस्तुओं के मूल्य अन्य गैर-सरकारी बाजारों की अपेक्षा बढ़ने के क्या कारण हैं ; और

(ख) सुपर बाजार को चलाने वाला सहकारी प्राधिकार कितने प्रतिशत मुनाफा लेता है और दुकानों के मालिक अथवा जो किरायेदार दुकानदार कितने प्रतिशत मुनाफा कमाते हैं तथा अन्ततोगत्वा उपभोक्ताओं से कितने प्रतिशत मुनाफा लिया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) यह कहना ठीक नहीं है कि सुपर बाजार में इन वस्तुओं के मूल्य बाजार से अधिक हैं;

(ख) लाभ की मात्रा, जो कि लागत तथा बिक्री के अनुसार हर वस्तु के बारे में अलग-अलग है, 2 प्रतिशत तथा उससे अधिक है और यह औसतन लगभग 10 प्रतिशत है; उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले मूल्य, जिनमें व्यापारी का लाभ भी शामिल है, जहां लागू हो, चालू बाजार मूल्यों की तुलना में काफी उचित है।

बोकोला कोयला खान में मजूरी के भुगतान में विलम्ब

255. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोकोला कोयला खान (बर्ड एण्ड कम्पनी) द्वारा मजदूरों को साप्ताहिक मजूरी के भुगतान में नियमित रूप से विलम्ब किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) बोकोला कोयला खान में अदायगी में तथा कथित विलम्ब की केवल एक शिकायत दिनांक 5.9.68 को कोलयरी मजदूर सभा (ए० आई० टी० यू० सी०) आसनसोल से प्राप्त हुई थी। आरोप निम्न प्रकार थे: -

(1) साप्ताहिक मजूरी की अदायगी के लिए कोई नियत तिथियां नहीं थीं।

(2) अदायगी अव्यवस्थित ढंग से की जाती थी।

(3) मजदूरों को लगातार कई दिनों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था।

(4) देर से अदायगी के लिए ए० आई० टी० यू० सी० यूनियन के सदस्यों को अलग कर दिया जाता था।

(ख) जांच करने पर सभा के आरोप सिद्ध नहीं हुए। फिर भी यह सूचित किया गया है कि 29 अगस्त, 1968 से 5 सितम्बर 1968 के दौरान 2000 से अधिक मजदूरों को अदायगी कई दिन तक होती रही। क्योंकि उस समयावधि के दौरान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के परिणामस्वरूप की जाने वाली बकाया राशि की पहली किस्त, जून 1968 में समाप्त होने वाली तिमाही के बोनस, तथा 24 अगस्त, 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह की साप्ताहिक मजूरी का भुगतान किया जाना था। फिर भी साप्ताहिक मजूरी का भुगतान नियत दिनों पर किया गया।

Bharat Sewak Samaj

*256. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to State :

(a) whether Government have scrutinised the Accounts of Bharat Sewak Samaj; and

(b) if so, the result thereof and the action taken by Government in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) (a) and (b) : A statement is laidon the table of the House.

Statement

The Public Accounts Committee (3rd Lok Sabha) in their 4th Report had required preparation by the Bharat Sevak Samaj of its conolidated accounts since inception. Despite several attempts, full compliance with the recommendation has not been possible There have been demands in Parliament for an enquiry ; the Bharat Sevak Samaj themselves have suggested an enquiry by a high judicial officer.

2. The Government of India have accordingly decided to set up a Commission under the Commission of Enquiry Act, to enquire into the affairs and accounts of the Bharat Sevak Samaj. in so far as they relate to activities undertaken with Central financial assistance. The following are to be the terms of reference for the Commission :

(i) the extent to which Central Government assistance in grants, loans and other advances to the Bharat Sevak Samaj, has been utilised by it for the purpose intended ;

(ii) the extent to which Central Government loans and advances given to the Bharat Sevak Samaj are duly secured and measures required for timely recovery , and

(iii) the statement of accounts of the Bharat Sevak Samaj in respect of the Central grants, loans and advances made to it, the extent to which these have been or can be prepared and furnished, and the measure in which they conform to the procedures prescribed for assistance to voluntary organisations.

It would be open to the Commission under item (iii) of the terms of reference to examine also the question whether or not consolidated accounts should be insisted upon as a condition precedent to Government grant-in-aid.

The Commission is expected to furnish its report within six months.

भारतीय खाद्य निगम का कार्यसंचालन

***257. श्री रवि राय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान तामिलनाड के खाद्य मंत्री द्वारा कुछ समय पूर्व की गई इस आलोचना की ओर दिलाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम को न तो सरकारी संगठन होने का लाभ प्राप्त है और न ही व्यापारिक निकाय होने की स्वतंत्रता तथा पहल करने का कोई लाभ प्राप्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य-संचालन में सुधार के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम जो कि सरकारी क्षेत्र की संस्था है, को इस प्रकार कार्य करना पड़ता है जिससे सरकारी नीति के उद्देश्यों की पूर्ति होती है । सरकार द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल ऐसा मार्ग-दर्शन या निदेश जो कि आवश्यक हों, खाद्य निगम को दिए

जा रहे हैं। क्योंकि खाद्य निगम के कार्यकलापों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध निदेशक बोर्ड में निहित है और इसलिए बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि निगम के कार्य एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में सरकारी नीति के उद्देश्यों को पूरा करने की आवश्यकता के अनुरूप हों। यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना से उसके कार्य क्षेत्र और सम्भाली जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा में पर्याप्त विस्तार हुआ है।

Distribution of Fallow Land in Bihar

*258. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the former Sanyukt Vidhayak Dal Government of Bihar had decided to distribute one lakh acre fallow land of Government among the la dless agricultural lab urers by the 2nd October, 1968 viz., the date on which Gandhi Jayanti falls ;

(b) whether this decision has been shelved ; and

(c) if not, the steps taken to implement the said decision ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

"श्रम" को समवर्ती सूची से निकाल कर संघ सूची में रखना

***259. श्री मधुलिमये : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कर्मचारी संघों ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को सुझाव दिया है कि "श्रम', विषय को समवर्ती सूची से निकाल कर संघ सूची में रखा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया मालूम नहीं है। भारत सरकार इस मामले पर राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विचार करेगी।

खाद्यान्नों का आयात

***260. श्री शारदा नन्द : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों में, वर्षवार, विदेशों से कितने खाद्यान्न का आयात करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या इस संबंध में किसी सरकार के साथ कोई करार किया जा रहा है : और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) 1969-70 से आगे के लिए आयात के अनुमानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। इस समय पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात के लिए चल रही बात चीत चालू वर्ष के लिए है और वह अगले तीन वर्षों के सम्बन्ध में नहीं है।

Production of Sugar during 1968-69

261. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri R. K. Amin ;

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to State :

(a) the quantity of sugar likely to be produced in the coming crushing season, as compared to last year ;

(b) whether the price of sugar will be reduced in view of the likely increase in production ; and

(c) the likely shortfall to meet internal demands and how it is proposed to be met?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The production of sugar during 1967-68 was 22.5 lakh tonnes Production of sugar during 1968-69 will depend upon the sugarcane which becomes available to sugar factories for crushing. It is difficult to give any firm estimate of sugar production during the year, at this stage, but the production is expected to be higher than that in 1967-68.

(b) Position in this regard will be known after the production trends in 1968-69 are known, but with increased sugar production, the expectation is that free market price of sugar will be lower in 1968-69 than in 1967-68. Levy prices of sugar for 1968-69 have not yet been determined.

(c) Internal demand will be met from indigenous production by regulating releases of sugar from factories.

बिहार में सूखा

*262. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष बिहार में धान की 10 लाख एकड़ खड़ी फसल पर सूखे का कुप्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो बिहार में इस वर्ष सूखे के कारण वस्तुतः कितनी हानि हुई है ; और

(ग) बिहार के सूखे से प्रभावित जिलों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये और इस कार्य के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शन्दे): (क) और (ख) : बिहार अगस्त के उत्तरार्ध और सितम्बर, 1968 में अस्थायी तौर पर सूखे की लहर से ग्रस्त हुआ था जिससे मक्का की पछेती और ऊंची भूमि वाली धान की फसल पर प्रभाव पडा था। बाद में दूर-दूर तक वर्षा हुई जिससे खरीफ की सम्भावनाओं में सुधार हुआ लेकिन कुछ क्षेत्र सूखे की लहर के प्रभाव से पूर्णतः छुटकारा नहीं पा सके। वास्तविक क्षति का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) राज्य सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को अनुदेश दिए हैं कि सख्त शारीरिक परिश्रम कार्यों के अन्तर्गत आपातित सिंचाई योजनाएं शुरू करें और सूखे की लहर से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को बचाने के लिए उधार पर पम्प सैटों का वितरण करें। राज्य सरकार ने अब तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रार्थना नहीं की है।

Direct Telephone Connections in the Country.

*263. **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the names of cities in the country among which the facility of direct telephone connection is available at present ;

(b) the names of other cities among which direct telephone connection is proposed to be provided during the financial year 1968-69 ; and

(c) the amount likely to be spent on these schemes ?

The Minister of State in the Ministry Par'lamentary Affairs and Communications Shri I.K. Gujral : (a) At present the following stations are provided with point to point Subscriber Trunk Dialling facilities :-

	(i)	Delhi	-	Agra
	(ii)	Delhi	-	Ahmedabad
	(iii)	Delhi	-	Jaipur
	(iv)	Delhi	-	Jammu
	(v)	Delhi	-	Jullundur
	(vi)	Delhi	-	Kanpur
	(vii)	Delhi	-	Lucknow
	(viii)	Delhi	-	Meerut
	(ix)	Delhi	-	Patna
	(x)	Delhi	-	Simla
	(xi)	Delhi	-	Srinagar
	(xii)	Agra	-	Kanpur
	(xiii)	Jammu	-	Srinagar
	(xiv)	Kanpur	-	Lucknow
	(xv)	Kanpur	-	Varanasi
	(xvi)	Madras	-	Bangalore (Through Madras TAX)
(b)	(i)	Delhi	-	Hapur
	(ii)	Madras	-	Tiruchirapalli
	(iii)	Delhi	-	Chandigarh-Agra (Through DL TAX)
	(iv)	Bombay	-	Poona (Through Bombay TAX)

(c) Amount likely to be spent during 68-69 – Rs. 54 lakhs,

Employees provident Fund

*264. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Kashi Nath Pandey :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total amount of Employees Provident Fund due from factory owners as on the 31st March, 1968 and the names of the factories from which it was due ;

(b) the names and addresses of factory owners from whom more than one lakh rupees under this head were due on the 31st March, 1968 ;

(c) the reasons for Goverment's laxity in recovering this amount from them ;

(d) whether any action has been taken against some Government employees involed in this regard ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir) : (a) and (b) : As on the 31st March, 1968 about Rs. 8 crores were due as accumulated arrears from the employers of unexempted establishments/factories. A statement showing the names of major defaulting establishments which were in default of provident fund dues exceeding Rs. 1 lakh (as on 31st March, 1968) is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No LT-2236/68]** Particulars of all defaulting establishments are not readily available.

(c) The powers to recover dues as arrears of land revenue have been vested in the State Government. Prosecution of employers under Section 14 of the Employees Provident Fund Act also requires the previous sanction of the State Governments. Legal action by way of prosecution and/or recovery proceedings has been initiated by the Employees Provident Fund Organisation in consultation with the concerned State Governments against a number of defauling establishments. Criminal cases for breach of trust have also been initiated in the Courts against some of the defaulting employers. In the case of establishments which have gone into liquidation, the claims are pending before the Liquidators ; some establishments have also entered into agreements for the payment of arrears alongwith current dues according to schemes of payment settled with the Employees Provident Fund Organisation.

(d) and (e) : Do not arise.

न्यूनतम मजूरी का प्रश्न राष्ट्रीय श्रम आयोग को भेजना

*265. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग अपने अध्ययन में, राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी सहित न्यूनतम मंजूरी निर्धारित करने की आवश्यकता को भी सम्मिलित करेगा ;

(ख) क्या कुछ व्यक्तियों ने इसके बारे में आयोग द्वारा इस विषय पर विचार करने के अधिकार पर आपत्ति की और आयोग के सदस्य ने इसी बात पर त्यागपत्र दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) आयोग के एक सदस्य, श्री एस० ए० डांगे ने इस विवाद पर त्याग-पत्र दे दिया।

(ग) सरकार ने उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का अन्दमान द्वीप समूह में पुनर्वास

***266. श्री समर गुह :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए कितने शरणार्थियों को अब तक अन्दमान द्वीप समूह में बसाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये अनेक शरणार्थी अन्दमान द्वीप समूह में जाने के लिये तैयार है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें इन द्वीपों में न बसाने के क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बा० रा० चव्हाण) : (क) 1949 से 1963 के अन्तर्गत लग-भग 12,000 व्यक्तियों के 2861 परिवार अन्दमान द्वीप समूह में बसाये जा चुके हैं और लग-भग 18,000 व्यक्तियों के 425 नये प्रव्रजक परिवारों ने इस वर्ष वहां खेती का कार्य प्रारंभ कर दिया है।

(ख) और (ग): इस समय सहायता शिविरों में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रव्रजकों के 6253 कृषक परिवारों में से बहुत कम ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जाने की अनुमति दी है। ये परिवार शीघ्र ही उस द्वीप समूह में पुनर्वास स्थलों पर भेज दिये जायेंगे।

पटमाहोना कोयला खान में कदाचार

***267. श्री जनार्दनन :**
श्री जि० मो० बिस्वास :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटमाहोना कोयला खान के प्रबन्धकों द्वारा किये गये भीषण कदाचारों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें किन लोगों ने की हैं, ये शिकायतें क्या हैं तथा इनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार का प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) कोलयरी मजदूर सभा तथा कुछ अन्य लोगों से निम्न शिकायतें प्राप्त हुई :-

(i) प्रबन्धकों द्वारा कुछ कर्मचारियों को तीन महीने की छुट्टी पर जाने के लिए कहना ;

(ii) साप्ताहिक वेतन समेत वैध देय की गैर-अदायगी ;

(iii) कर्मचारियों को धमकाया जाना तथा परेशान करना ;

(iv) प्रबन्धकों द्वारा नये व्यक्तियों की नियुक्ति ;

(ग) (i) कोलयरी मजदूर सभा द्वारा इस विषय पर उठाया गया विवाद 4 नवम्बर, 1968 को न्याय निर्णय के लिए सौंप दिया गया।

(ii) देय की गैर-अदायगी के विषय में पहले ही वेतन (खान) अदायगी नियमावली के अन्तर्गत मुकदमा मंजूर कर दिया गया है।

(iii) धमकाने तथा परेशान करने के बारे में कोई ठोस उदाहरण नहीं बताया गया है। फिर भी केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है।

(iv) प्रबन्धकों द्वारा नये व्यक्तियों की नियुक्ति के बारे में की गई शिकायत के सम्बन्ध में कोलयरी मजदूर संघ ने 11 मजूरों की एक सूची दी थी। जांच करने पर मालूम हुआ कि उनमें से 9 व्यक्ति नये नियुक्त हुए थे।

संसद् सदस्यों के टेलीफोनों के साथ लगी हुई लम्बी तार का किराया

*268. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों के टेलिफोनों के साथ लगी हुई लम्बी तार का किराया देने से उनको छूट दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने संसद् सदस्यों के टेलीफोनों के साथ लम्बी तार लगी हुई है और वे उसका किराया दे रहे हैं ; और

(ग) इसके किराये का भुगतान न किये जाने के कारण प्रतिवर्ष राजस्व की कुल कितनी हानि होती है और उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) 73

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Soyabean Production

*269. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to State ;

(a) whether Government have drawn up any comprehensive plan for the development, production, marketing and consumption of Soyabeans ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food. Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) (a) Yes.

(b) The Government have prepared plans keeping in view the requirement of Soyabeans for anti-biotic units and also high protein food units. Arrangements have been made to multiply certified seed during Kharif 1968 season by importing 42 tonnes of seed of selected varieties from USA by National Seeds Corporation and U. P. Agricultural University, Pantnagar. It is proposed to bring a large area under cultivation during summer and kharif 1969 seasons. Utilisation prospects of soyabean as cattle and poultry feed and also for use in the oil industry are baing explored,

राजस्थान में चारे के भंडार (बैंक)

***270. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया**
श्री न० कु० सांघी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य के अकाल को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने इस राज्य के विभिन्न भागों में चारे के भंडार स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होते ।

नीलरतन मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, कलकत्ता के कर्मचारियों का ज्ञापन

1485. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित नीलरतन मेडिकल कालेज तथा अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों तथा शिकायतों के बारे में सरकार को एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, राज्य सरकार को।

(ख) ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार थीं :-

(1) अस्पताल के अहाते में अनधिकृत मकानों के गिराये जाने से प्रभावित हुये सभी कर्मचारियों को बिना किराये के वैकल्पिक क्वाटरों की व्यवस्था।

(2) श्रमिकों तथा उनके नेताओं के विरुद्ध अनिर्णीत सभी मामलों को वापस लेना।

(3) सभी कारण बताओ नोटिसों को वापस लेना और कर्मचारियों को न सताने का आश्वासन।

(4) दिनांक 10-4-1968 से 24-4-1968 तक की गैरहाजरी की समयावधि का छुटटी में समंजन करना।

(ग)—सारे मामले दिनांक 30-5-1968 को एक त्रिपक्षीय समझौते द्वारा तय किये गये।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अन्तर्गत अपराधों के लिए दण्ड

1486. **श्री सिद्धय्या** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कृत्यों के लिए, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अन्तर्गत अपराध घोषित किया गया है, दण्ड निर्धारित करने के लिए कोई विधि पारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण, जिसमें पारित किए गए कुछ कानून दिए गए हैं ; सभा की मेज़ पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या ऐल. टी. 2237/65]

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रैक्टरों का आयात तथा उनका वितरण

1487. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत दो वर्षों में कितने ट्रैक्टरों का आयात किया तथा उनका राज्य-वार किस प्रकार वितरण किया गया;

(ख) इन ट्रैक्टरों की लागत कितनी थी तथा उन्हें किन-किन देशों से मंगाया गया था; और

(ग) भारत द्वारा इतनी अधिक संख्या में ट्रैक्टरों का आयात किये जाने के क्या कारण हैं जबकि भारत में ट्रैक्टरों की निर्माण-क्षमता बढ़ाई जा सकती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गत दो वर्षों में आयात किये गये ट्रैक्टरों की संख्या नीचे दी जा रही है :

रूस

क्षेत्रवार वितरण

वर्ष	मोडल	उत्तरी	पूर्वी	पश्चिमी	दक्षिणी
1966	डी० टी०—14बी०	183	495	551	129
	डी० टी०—28	47	33	83	27
		230	528	634	156
योग	डी० टी०–14बी–1358				
	डी० टी०–28 – 190				
1967	डी० टी०–14बी	1347	626	859	324
	बाइलारस	175	137	103	30
		1522	763	962	354
योग	डी० टी०–14 बी–3156				
	बाईलारस – 445				

चैकोस्लोवाकिया

			संख्या
1966 जेटर 3011	(1)	पुनर्वास मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली	65
	(2)	कृषि संयुक्त निदेशक मैसूर सरकार हब्बल, बंगलौर	40
	(3)	कृषि संयुक्त निदेशक (इंजिनियरिंग) कृषि निदेशक, शिलांग (आसाम)	15
	(4)	लैंड डिवेलपमेंट सीड कारपोरेशन, 167 सेक्टर 19-A, चंडीगढ़ (भारत ट्रैक्टर्स, रोहतक के द्वारा बेचे गये)	18
	(5)	कृषि निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई (डेंकजी एण्ड कम्पनी, बम्बई द्वारा बेचे गये)	12

योग = 150

विभिन्न कृषि उद्योग निगम

1967		संख्या
जेटर 2011	पंजाब	300
	उत्तर प्रदेश	200
	बिहार	300
	हरियाणा	200*
	योग	1000

*दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र को मिला कर

रूसी ट्रैक्टर विभिन्न गैर-सरकारी अभिकर्ताओं के द्वारा क्षेत्रवार, राज्यवार नहीं वितरण किये गये। यह अभिकर्ता विभिन्न राज्यों से बने उस क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं जो उन्हें दिया गया है। जेटर 2011 ट्रैक्टरों का वितरण विभिन्न राजकीय कृषि-उद्योग निगमों द्वारा किया गया है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

(ख) वर्षवार जो ट्रैक्टर जिन-जिन देशों से मंगाये गये उनका लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य निम्नलिखित है :

लागत बीमा-भाड़ा-सहित मूल्य

रूस

		संख्या	
1966	डी० टी० 14 बी	1358	58,40,500 रुपये (अवमूल्यन से पहले का मूल्य) (लागत बीमा भाड़ा समेत)
	डी० टी० 28	190	
1967	डी० टी० 14 बी	3516	2,50,73,003 रुपये (लागत बीमा भाड़ा समेत)
	बाइलारस	445	

चेकोस्लोवाकिया

1966 जेटर–3011	150,	18,36,000 रुपये (अवमूल्यन के पूर्व का मूल्य)
1966 जेटर–2011	1009,	105, 29, 354 रुपये (लागत बीमा भाड़ा समेत)

(ग) जब तक ट्रैक्टर बनाने वाले कारखानों की पूर्ण क्षमता का उपयोग न किया जायेगा और नये बनाये जाने वाले कारखानों में जब तक उत्पादन शुरू नहीं होगा, तब तक ट्रैक्टरों को आयात करना ही पड़ेगा।

केरल भूमि सुधार विधेयक

1488. श्री वासुदेवन नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केरल-भूमि-सुधार विधेयक के उपबन्धों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधेयक के बारे में योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग को राज्य सरकार द्वारा केरल-भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1968 को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। पेड़-पौधे लगाने में कुड़िड-किडाप्पुकाजे के अधिकारों और सशस्त्र सेना के सदस्यों को पट्टे पर भूमि देने के अधिकार के बारे में प्रवर समिति के स्तर पर राज्य सरकार को विचारार्थ कुछ सुझाव भेजे गए हैं।

निर्वाचन अर्जियां

1490. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 के साधारण निर्वाचनों के परिणामस्वरूप जो निर्वाचन अर्जियां दायर की गई थीं तथा जिन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ और अभी तक विचाराधीन हैं, उनकी राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) यद्यपि निर्वाचन के बाद दूसरा वर्ष समाप्त होने वाला है फिर भी इन निर्वाचन अर्जियों का फैसला न होने के क्या कारण हैं;

(ग) श्री जार्ज फरनेन्डीज, संसद सदस्य के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय में दायर की गई अर्जी की कितनी बार सुनवाई हुई;

(घ) सुनवाई जल्दी न होने तथा मामले का शीघ्र फैसला न होने के क्या कारण हैं;

(ङ) निर्वाचन आयोग द्वारा अर्जियों के सुनने के लिये एक संक्षिप्त प्रक्रिया न बनाने के क्या कारण हैं जिससे सम्बन्धित व्यक्तियों के समय तथा खर्च में बचत हो; और

(च) क्या इन निर्वाचन अर्जियों के लिये कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष 51 निर्वाचन अर्जियां लम्बित हैं जो नीचे वर्णित हैं :

राज्य । संघ राज्यक्षेत्र का नाम	लम्बित अर्जियों की संख्या
बिहार	2
जम्मू-कश्मीर	22
मध्य प्रदेश	6
मैसूर	1
राजस्थान	2
उत्तर प्रदेश	17
मनीपुर	1

(ख) उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग से स्वतन्त्र रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें इन अर्जियों के निपटारे के बारे में प्रगति की रिपोर्ट भेजने के लिए निदेश नहीं दिया जा सकता है।

(ग) श्री जार्ज फरनेन्डीज, संसद् सदस्य के विरुद्ध फाइल की गई अर्जी से सम्बन्धित जानकारी निर्वाचन आयोग या इस मन्त्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) संसद् और राज्य विधान मण्डलों के लिए निर्वाचनों से सम्बन्धित विवादों में संक्षिप्त प्रक्रिया का अपनाया जाना न तो साध्य ही है और न वांछनीय ही। निर्वाचनों से सम्बन्धित मामलों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होता है अतः उन्हें हल्के तौर पर या संक्षिप्त रीति से नहीं निपटाया जा सकता। निर्वाचन अर्जियों का विचारण सीधे उच्च न्यायालयों को सौंपने की वर्तमान व्यवस्था, पहले के निर्वाचनों में अपनाई गई विभिन्न प्रक्रियाओं में अनुभव की गई त्रुटियों के कारण की गई थी।

(च) ऊपर स्पष्ट किए गए कारणों के लिए निर्वाचन अर्जियों के निपटाए जाने हेतु समय परिसीमा नियत करना संभव नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86 (7) यह उपबन्धित करती है कि हर निर्वाचन अर्जी यथासम्भव शीघ्रता से विचारित की जाएगी और उस तारीख से, जिसको निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय को विचारण के लिए उपस्थापित की गई है, छह मास के भीतर विचारण को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा।

नागपुर में पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय

1492. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के पुनर्गठन के समय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि नागपुर स्थित पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय को वहां से नहीं हटाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसे, तोड़ कर आधे कार्यालय को बम्बई और आधे को भोपाल ले जाये जाने के क्या कारण हैं?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चान्दा कोयला क्षेत्र में आवास योजना

1493. श्री कृ० भा० कौशिक : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4837 के भाग (ग) में उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त उत्तर में बयान की गई कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार वापूपेठ चान्दा की भूमि का, जिस पर एक समय पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के लगभग 2000 परिवार बसे हुए थे तथा जिसे अब पुनर्वास विभाग ने खाली कर दिया है, चान्दा कोयला खान की आवास योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रयोग करेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : चान्दा कोयला क्षेत्र में आवास योजना कार्यान्वित करने के लिए वापूपेठ चान्दा की भूमि के औचित्य का मूल्यांकन करने के लिए इस भूमि का निरीक्षण करने की आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

Distribution of Chemical Fertilizers

1494. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of those States where the work of supplying chemical fertilizers has been entrusted to private traders ;

(b) whether the Central Government have permitted the State Governments concerned for not distributing chemical fertilizers through cooperative societies ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Mode of distribution of fertilizers is the concern of the State Governments. The information asked for is being collected from the States and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) and (c) : Since the distribution of chemical fertilisers is the responsibility of the State Governments, the question of permission of the Central Government does not arise.

However, on the recommendation of the Committee on Fertilisers to strengthen the distribution channels, the States were advised to review the arrangements and while giving preference to cooperatives as distribution agency, to find other agencies to lift the fertilisers which the cooperative agencies are unable or unwilling to handle so as to ensure supply of adequate quantities of fertilisers to farmers in advance of the manuring season.

Assistance to Drought Affected States

1495. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the assistance given by the Central Government or proposed to be given by the Central Government to the drought-affected States is in conformity with the demands of the people of those States and State Governments concerned; and

(b) if not, the steps proposed to be taken by Government to meet their demand in full ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : Relief operations in drought affected areas are undertaken by the State Governments concerned. The State Governments have well-settled procedures for providing relief as soon as distress develops in any area. Expenditure on relief operations is met by the State Governments themselves upto certain limits prescribed by the Fourth finance Commission. When this expenditure is likely to exceed the limits prescribed by the Commission, the State Governments send a report to the Central Govt. and ask for a Central Study Team to visit the areas concerned. Financial assistance by the Central Govt. is given on the basis of the assessment made by the Central Team. All expenditure over and above the limits laid down by the Fourth Finance Commission is shareable between the Centre and the States in the ratio of 75 and 25% The Centre's share is in the form of grants (50%) and loans (25%).

Foodgrains are also allotted to the drought affected States keeping in view their needs and the overall availability of foodgrains.

Procurement of Wheat

Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Food Corporation of India purchased wheat this year in various states from the farmers at different rates ;

(b) whether it is also a fact that the States in which wheat was purchased through co-operative societies, the price of wheat was paid to the farmers in accordance with the rates fixed by the Central Government whereas the difference between the prices paid by private traders and those fixed by Government is Rs. 10/- to Rs. 15/- per quintal; and

(c) the action being taken by Government to prevent traders from indulging in such malpractices ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Food Corporation of India purchased wheat this year at prices fixed by the Central/State Governments subject to quality cuts.

(b) The Food Corporation purchases through agents appointed by them which may be cooperative societies and private traders. There is no difference as to the price policy adopted with reference to the various kinds of agents. Though there were some complaints that farmers were getting less from the traders, this was generally not true. The specific complaints were brought to the notice of the State Governments and F.C.I. for investigation.

(c) Procurement was undertaken on an extensive scale at procurement prices. Wide publicity of the Government's intention to purchase fair average quality of grain at the procurement prices was given in all the States. The F. C. I. and the State agencies also exercised effective supervision over their procuring agents.

Sugar Mills

1497. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of such sugar mills as were closed in each of the States on account of shortage of sugarcane last year;

(b) the quantity of sugar produced by each of those sugar mills which continued functioning ;

(c) the number of such cases brought to the notice of Government in which sugar millowners refused to pay reasonable price of sugarcane to the cane growers and as such the latter did not supply sugarcane to the mills and prepared gur out of sugarcane; and

(d) whether Government propose to adopt any policy with a view to bring about reconcillation between cane growers and sugar millowners and if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Out of 205 sugar mills in the country, 2 mills in Bihar, 2 in Madhya Pradesh and 1 in Maharashtra did not work during 1967-68 season mainly on account of shortage of sugarcane.

(b) A statement giving factorywise production of sugar during 1967-68, is laid on the Table. **[Placed in Library. See No. LT. 2238/68]**

(c) In almost all areas sugar factories have paid much higher prices of sugarcane than the minimum fixed by Government.

(d) Does not arise.

हड़तालें और तालाबन्दियां

1498. **श्री मुरासोली भारन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें मार्च, 1967 से अब तक निम्नलिखित की राज्यवार सूची दर्शाई गई हो;

(क) श्रम विवादों के कारण कार्य के कितने घंटे नष्ट हुए ;

(ख) तालाबन्दियों की संख्या ;

(ग) हड़तालों की संख्या ;

(घ) पुलिस की कार्यवाही के कारण कितनी घटनाओं में लोगों की मृत्यु हुई; और

(ङ) इस प्रकार पुलिस की कार्यवाही के कारण कितने लोग मरे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(घ) और (ङ) : यह सूचना श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में विस्थापितों का पुनर्वास

1499. **श्री सिद्दया :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : 1949-1963 के वर्षों के अन्तर्गत, पूर्वी पाकिस्तान से आये 2861 विस्थापित परिवारों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बसाया गया है। पुनर्वास विभाग द्वारा नियुक्त समीक्षा समिति ने फरवरी, 1968 में इन द्वीपों का भ्रमण किया था। समिति के अध्यक्ष श्री एन० सी० चटर्जी, ने बसाये गये व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य के प्रति सन्तोष प्रकट किया था।

इन द्वीप समूह में विकास की नवीन योजनाओं के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान से आये कुछ और प्रव्रजक परिवारों को वहां बसाने के सम्बन्ध में कदम उठाये जा रहे है। इन द्वीप समूहों में से एक में, कुछ भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों तथा अन्य एक में श्रीलंका से लौटने व ले भारतीयों को बसाने का भी प्रस्ताव है। हाल ही में इस ओर कदम उठाया गया है। पूर्वी पाकिस्तान के 425 प्रव्रजक परिवार इस द्वीप समूह में ले जाये गये हैं। उन्होंने खेती का कार्य आरम्भ कर दिया है और उन्हें बीज उर्वरक तथा नाशिकीटमार के रुप में सुविधायें प्रदान कर दी गई है। पहली फसल, जिसे वे अब काट रहे हैं के बारे में उत्साह पूर्ण सूचनायें प्राप्त हुई हैं। सभी अवस्थाओं में सरकार द्वारा देख–रेख तथा मार्ग निर्देशन किया जा रहा है। स्थिति का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जा रहा है। यह सम्भावना है कि भूत-पूर्व सैनिक परिवारों का भेजा जाना आगामी मार्च से आरम्भ होगा। श्रीलंका से लौटने वाले भारतीयों को तब भेजा जायेगा, जबकि उनका श्रीलंका से भारत आना प्रारम्भ हो जायेगा।

टेलीफोन संख्या 561095 (नई दिल्ली) को काटना

1500. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन नम्बर 561095 का, जिसे 24 अगस्त, 1960 को काट दिया गया था, कनैक्शन काटने सम्बन्धी कार्यवाही को अदालत में चुनौती दी गई है;

(ख) यदि हां, तो किसने और किन कारणों से ; और

(ग) टेलीफोन कनैक्शन काटने की इस कार्यवाही को अदालत में किस तारीख को चुनौती दी गई ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) टेलीफोन काटे जाने को उपयोक्ता श्री एन० एस० रेखी और उनकी पुत्री श्रीमती मोहिनी कंवर ने इस आधार पर चुनौती दी है कि टेलीफोन काटने की विभाग की कार्यवाही अवैध, उनके क्षेत्राधिकार से परे दुर्भावनापूर्ण और नियम विरुद्ध है।

(ग) 21 सितम्बर, 1968।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली, के असिस्टेन्ट श्री वी० पी० कंवर के लिये टेलीफोन कनेक्शन

1501. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री वी० पी० कंवर को, जो कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि भवन में एक असिस्टेंट हैं उनके निवासस्थान 8119 वैस्ट ऐक्सटेंशन एरिया, करोलबाग, नई दिल्ली–5 के लिये 14 सितम्बर, 1968 को एक टेलीफोन कनैक्शन दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ;

(ग) उन्होंने टेलीफोन के लिये किस तारीख को आवेदन पत्र दिया था ; और

(घ) क्या जिस आधार पर उन्होंने टेलीफोन मांगा था उसकी वास्तविकता अथवा अन्यथा का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो यह जांच किसने की थी ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां । 15 सितम्बर 1968 से छः महीने के लिए एक अस्थायी टेलीफोन दिया गया है ।

(ख) श्री कंवर ने सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता होने के आधार पर टेलीफोन की मांग की थी ।

(ग) आवेदन पर कोई तारीख नहीं दी गई थी, किन्तु यह 21 अगस्त, 1968 को प्राप्त हुआ था ।

(घ) अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन की मंजूरी देते समय जांच-पड़ताल की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई ।

प्रधान मंत्री द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का विमान द्वारा निरीक्षण

1502. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल में देश में कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विमान द्वारा सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने देश के किन-किन क्षेत्रों का दौरा किया ; और उनकी उपपत्तियों क्या है ;

(ग) भविष्य में इन क्षेत्रों में सूखे की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कोई समेकित प्रयास किये जा रहे हैं; और

(घ) क्या प्रधान मंत्री के निष्कर्षों के आधार पर इन क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए कोई योजना बनाई गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : प्रधान मन्त्री ने देश के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण नहीं किया था। उन्होंने 14 और 15 सितम्बर, 1968 को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले के कुछ क्षेत्रों और 2 नवम्बर, 1968 को राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर जिलों का दौरा किया था ताकि स्वयं वहां चल रही सूखे की स्थिति देख सकें। उन्होंने उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ राहत उपायों पर विचार-विमर्श भी किया।

(ग) लोक-सभा में 21 अगस्त, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 590 के दिये गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(घ) उनके दौरे के दौरान चर्चा से जो कुछ सुझाव निकले, उनका अवलोकन किया जा रहा है।

सूखे को समाप्त करना

1503. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने अपने हाल के वक्तव्य में यह कहा बताते हैं कि देश में सूखे को सदा के लिये समाप्त करने के लिए सरकार कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2239/68]

राज्य व्यापार निगम द्वारा सोयाबीन के तेल के मूल्य में वृद्धि

1504. **श्री मीठा लाल मीना :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री एस० पी० राममूर्ति :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों में राज्य व्यापार निगम ने आयातित सोयाबीन के तेल के मूल्यों में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई और कितनी वृद्धि की गई ;

(ग) इसके क्या कारण थे ;

(घ) क्या विभिन्न व्यापार गृहों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राज्य व्यापार निगम ने अमरीका तथा अन्य देशों से आयात किये गये सोयाबीन के तेल के रक्षित भन्डारों पर बहुत लाभ कमाया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : विभिन्न क्षेत्रों में वनस्पति कारखानों को सप्लाई किए जाने वाले अप्रैल, 1968 से समय समय पर निर्धारित सोयाबीन के तेल के मूल्यों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2240/68**]

(ग) 27 मई जबकि सभी क्षेत्रों में एक सा औसत मूल्य निर्धारित किया गया था, को छोड़कर, विभिन्न राज्यों में मूल्य मूंगफली के तेल के चलरहे मूल्यों के अनुपात में निर्धारित किए गए थे। तथापि, 9 अगस्त को निर्धारित मूल्यों में जबकि इस तारीख के बाद मूंगफली के तेल के मूल्य में और वृद्धि होने के बावजूद भी वृद्धि नहीं की गई है।

(घ) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

समाचार पत्रों के कर्मचारियों की हड़ताल

1505. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना तथा प्रसारण मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के परिणामस्वरूप समाचारपत्रों के कर्मचारियों और उनके मालिकों के बीच चल रहा विवाद समाप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके बीच यह समझौता किन शर्तों पर हुआ है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जैसा कि 14 नवम्बर, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर में बताया गया था, विवाद राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को न्यायनिर्णय के लिए भेज दिए गए हैं। इस विषय पर सरकारी आदेशों की प्रतियां 14 नवम्बर, 1968 को सभा की मेज पर रख दी गई थीं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि महाविद्यालय

1506. श्री मंगला युमाडोम : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने कृषि महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) केरल में ऐसे कितने महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय सरकार के सहयोग से कोई

नये महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है, तथापि गुजरात और मद्रास राज्य सरकारों ने यह सूचित किया है कि आने वाली चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान एक एक कृषि महाविद्यालय उनके राज्यों में खोलने के प्रस्ताव हैं।

(ख) केरल में और अधिक कृषि महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Underground Water Resources in Bihar

1507. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be plea ed to state :

(a) whether Central Government have made any survey of underground water resources in Bihar ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) the estimated acreage likely to be irrigated in Bihar with its underground water resources ; and

(e) the ratio of underground water in Bihar to that in other States ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) The Exploratory Tubewells organisation under the Union Department of Agriculture has drilled 24 exploratory bores in Bihar under the groundwater Exploration Project. The results are as follows :-

District.	No. of bores drilled.	No. of bores proved successful.
1. Shahabad.	7	3
2. Bhagalpur.	4	2
3. Gaya.	6	2
4. Champaran.	1	-
5. Muzaffarpur.	6	5
	24	12

As a result of this survey, an area of 1,100 sq.miles has been found feasible for construction of deep tubewells. Further exploration is proposed to be carried out by the Exploratory Tubewells Organisation during the Fourth Five Year Plan.

(c) Does not arise.

(d) Comprehensive and precise study about the total availability of underground water resources has not so far been completed. The long-term potential for groundwater development in Bihar may however be roughly assessed as 4.5 m. acres, based on various assumptions.

(e) A very tentative assessment of the availability of groundwater for irrigation purposes has placed the ultimate figure as 55 m. acres in the country. Out of this, as stated above, it is expected that an area of 4.5 m. acres will be covered in Bihar by groundwater Schemes. On this basis, the percentage of underground water resources of Bihar to that in the country as a whole works out to about 8.2.%.

गुजरात के लिये उठाऊ सिंचाई योजनाएं

1508 **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने तापती, नर्मदा, साबरमती और माही नदियों के संबंध में उठाऊ सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय सरकार को अनुमोदनार्थ भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) प्रश्न में उल्लिखित ऐसी कोई योजना गुजरात सरकार से खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते ।

अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम

1509. श्री एस० आर० दामानी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 25 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 834 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत सब राज्य सरकारें बीजों के उत्पादन के मामले में अब आत्म निर्भर हो गई है ; और

(ख) क्या इस वर्ष अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो यह वृद्धि किन-किन राज्यों में और कितनी हुई है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उच्च उपज देने वाली बीजों की किस्मों के उत्पादन में कुछ राज्य अभी स्वावलम्बी नहीं है, परन्तु सम्पूर्ण रूप में देश इस बारे में स्वावलम्बी हैं । प्रत्येक फसल के मौसम के शुरू होने से काफी समय पूर्व बीज सप्लाई स्थिति का राज्य सरकारों की सलाह के साथ पुनरीक्षण किया जाता है । जहां भी कोई कमी मालूम पड़ती है उसे राष्ट्रीय बीज निगम या फालतू बीज वाले क्षेत्र द्वारा सप्लाई कर के पूरा किया जाता है ।

(ख) हां । चालू वर्ष में सब राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों ने अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अधीन अधिक क्षेत्र लाने की योजनायें बनाई हैं । केन्द्रीय दलों की रिपोर्ट जिन्होंने हाल ही में ही राज्यों का भ्रमण किया है और जो रिपोर्ट राज्य सरकारों से प्राप्त हुई है, से पता चलता है कि खरीफ 1968 में इनके अधीन लगभग 9.00 मिलियन एकड़ भूमि आ जायेगी । रबी बोने का मौसम अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसलिये अभी इसके अधीन वास्तव में भूमि के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

फिर भी 1968-69 में राज्यों के अनुसार क्षेत्र इन के अधीन आने की आशा है :-

क्र० सं०	राज्य	1 लाख एकड़ 1967-68 में उच्च उपज कार्यक्रम के अधीन क्षेत्र में 1968-69 में वृद्धि
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.81
2.	असम	0.72
3.	बिहार	2.38
4.	गुजरात	3.48
5.	हरियाणा	4.48
6.	जम्मू और कश्मीर	4.67
7.	केरल	5.99
8.	मद्रास	8.01
9.	महाराष्ट्र	9.96
10.	मध्य-प्रदेश	5.20
11.	मैसूर	4.18
12.	उड़ीसा	1.87
13.	पंजाब	10.26
14.	राजस्थान	3.82
15.	उत्तर प्रदेश	15.57
16.	पश्चिमी बंगाल	5.66
17.	हिमाचल प्रदेश	0.42
18.	पांडेचेरी	0.18
19.	गोवा	0.07
20.	दिल्ली	0.19

राजस्थान जिले के बांकली गांव के सम्बन्ध में विशेष डाक टिकट

1510. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग को गांव बांकली के सम्बन्ध में राजस्थान के जिला पाटी जिसे स्वतन्त्रता दिवस समारोह, 1968 में सबसे अच्छा गांव होने के कारण इनाम दिया गया था ; डाक टिकट जारी करने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल : (क) जी हां ।

(ख) यह प्रस्ताव डाक-टिकट सलाहकार समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा ।

नंगल फर्टिलाइजर कर्मचारी संघ

1511. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री 29 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6473 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल फर्टिलाइजर कर्मचारी संघ की मांग के बारे में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कितना समय लगने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां

(ख) नंगल फर्टिलाइजर्स यूनियन ने 19 अगस्त, 1968 को 14 मांगों का एक मांग-पत्र दिया। पंजाब सरकार ने इन मांगों के बारे में समझौता कार्यवाही शुरु की, लेकिन जब समझौता कार्यवाही चल रही थी तब मजदूरों ने आम हड़ताल कर दी जो 17 अक्तूबर, 1966 से 6 नवम्बर, 1966 तक चली। पंजाब सरकार ने इनमें से 4 मांगों को न्याय निर्णय के लिये सौंप दिया और 8-12-1967 को न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय दिया जिसके अनुसार कर्मचारियों के पक्ष में तीन मांगें तय हुई तथा उत्पादन बोनस योजना सम्बन्धी एक मांग प्रबन्धकों के पक्ष में तय हुई। प्रबन्धकों ने इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय से अपील की। प्रबन्धक न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की कार्यवाही में लगे हैं।

बाद में पंजाब सरकार ने 6 मार्च, 1967 को आठ अतिरिक्त मागों को न्यायनिर्णय के लिये सौंप दिया। ये अभी भी औद्योगिक न्यायाधिकरण, पंजाब के पास अनिर्णीत पड़ी हैं।

यूनियन ने दुबारा 1-12 1967 को दूसरा मांग–पत्र दिया। पंजाब सरकार ने इस मांग नोटिस के बारे में पहले से ही समझौता कार्यवाही शुरू कर दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मजूरी बोर्ड पंचाट को न्याय निर्णय के लिये सौंपना

1512. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार-पत्र कर्मचारी सरकार के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं कि मजूरी बोर्ड पंचाट के प्रश्न को न्याय निर्णय के लिये सौंपा जाये; और

(ख) यदि हां, तो अध्यादेश जारी करके पंचाट स्वीकार करने के लिये मालिकों को मजबूर न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : यद्यपि सरकार ने निश्चित रूप से यह मालूम नहीं किया है कि समाचार पत्र कर्मचारी मजूरी-बोर्ड के विवाद को सरकार द्वारा न्याय निर्णय के लिये सौंपे जाने के फैसले से सन्तुष्ट हैं या नहीं। किन्तु विवाद

क तय करने के तरीकों पर नियोजकों तथा कर्मचारियों के संगठनों के साथ परामर्श करने के बाद कार्यवाही की गई। महत्वपूर्ण विचारार्थ विषय-अर्थात् समाचार पत्र कर्मचारियों की वर्तमान उपलब्धियों तथा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अन्तर्गत मिलने वाली उपलब्धियों के अन्तर का 75 प्रतिशत न्यायाधिकरण के पंचाट के बाद भी संरक्षित रहना चाहिए और नियोजक यह राशि देना जारी रखेंगे-नियोजकों तथा कर्मचारियों दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया।

आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी

1513, श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री शारदानन्द :
श्री सूरज भान :
श्री ओंकार सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के सिद्धान्त को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था ;

(ख) क्या सरकार द्वारा आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के प्रश्न को राष्ट्रीय श्रम आयोग को सौंपा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसे निर्देश पत्र में शामिल किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इसको किस प्रकार से क्रियान्वित करने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) मालिकों के पालन तथा सिफारिशों को कार्यान्वित करने में होने वाली कठिनाईयों के कारण देश भर में औद्योगिक श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी को निर्धारित करने के लिये कुछ मार्ग दर्शन निश्चित करने वाले 1957 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 15 वें अधिवेशन की सिफारिशों को स्वीकार करने का सरकार का कोई फैसला नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : "राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी समेत न्यूनतम मजूरी निश्चित करने की आवश्यकता" का मामला आयोग के विचारार्थ विषय में शामिल है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के कार्मिक संघों की मान्यता

1514. श्री स०मो० बनर्जी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत डाक तथा तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ से सम्बद्ध कार्मिक संघों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्मिक संघ को सरकार मान्यता नहीं दे सकती ;

(ख) यदि हां, तो कुछ कार्मिक संघों की मान्यता दिये जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या इससे समझौते का उल्लंघन नहीं होता ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) डाक-तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ को मान्यता प्रदान करने वाले 2 जुलाई, 1954 के आदेशों में यह दिया गया था कि उसके बाद सरकार द्वारा किसी नई यूनियन को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। कुछ पुरानी मान्यता-प्राप्त यूनियनों की मान्यता 1954 के बाद भी चलती रही। यही व्यवस्था पुनर्गठन-योजना के नाम से मशहूर है।

(ख) 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के परिणामस्वरूप डाक-तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ और इससे सम्बद्ध अखिल भारतीय यूनियनों की मान्यता खत्म कर दी गई। फलत: 2 जुलाई, 1954 के आदेश भी रद्द हो गये। लम्बे समय से कुछ नई यूनियनें नई मान्यता-प्राप्त करने के लिए आन्दोलन कर रही थीं ; लेकिन 1954 के उपर्युक्त आदेशों को मद्देनज़र रखते हुए उनको मान्यता नहीं दी जा सकती थी। 1954 के आदेशों के रद्द हो जाने पर उन मामलों पर पुनर्विचार किया गया। जो मान्यता-प्राप्त करने के योग्य थीं ; उनको औचित्य के आधार पर मान्यता दे दी गई। हड़ताल के तुरन्त बाद कुछ अन्य यूनियनों ने भी मान्यता-प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। उनके मामलों पर भी औचित्यानुसार विचार किया गया तथा उनमें से कुछ को मान्यता दे दी गई।

(ग) जी नहीं, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था, अतएव समझौता-भंग का प्रश्न ही नहीं उठता।

खरीफ की फसलों को वसूली के मूल्य

1515. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में 1968-69 के लिए खरीफ की फसलों के वसूली मूल्य नियत कर दिए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सभी राज्य सरकारें भारत के खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की वसूली किये जाने पर सहमत हो गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां,।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 2241/68]**

(ग) भारतीय खाद्य निगम महाराष्ट्र, जम्मू तथा कश्मीर और नागालैण्ड को छोड़कर, शेष सभी राज्यों में कार्य कर रहा है। तथापि, निगम आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश,

उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में अधिप्राप्ति कार्यों को करने के लिए एक मात्र एजेन्सी है। अन्य राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को नियत अनाज या क्षेत्रों की दृष्टि से कार्य सीमित हैं ।

उड़ीसा को गेहूं का सम्भरण

1516. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 से अक्तूबर, 1968 तक उड़ीसा के लिए प्रति मास गेहूं का कितना कोटा नियत किया गया ;

(ख) क्या वर्ष 1967 की तुलना में वर्ष 1968 में गेहूं का मासिक कोटा बढ़ाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो कितना बढ़ाया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 170.8 हजार मीटरी टन ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रति मास औसत 7 हजार मीटरी टन से थोड़ा ज्यादा ।

उड़ीसा द्वारा पश्चिमी बंगाल को घटिया किस्म का चावल सप्लाई किया जाना

1517. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उस जांच के निष्कर्षों को केन्द्रीय सरकार को बताया है जो कि राज्य सरकार ने, उड़ीसा सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार को 1967में घटिया किस्म की सप्लाई के बारे में थी ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उड़ीसा सरकार का शीघ्र ही जांच कराने का विचार है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विभिन्न राज्यों में सूखे के कारण लोगों की मृत्यु

1518. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री सु०कु० तापड़िया :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री न०कु० सांघी :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री रा०रा० सिंह देव :**
श्री क० लकप्पा : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री य०प्र० प्रसाद :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों में विभिन्न राज्यों में सूखे के कारण अनेक व्यक्ति मर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप मरे व्यक्तियों की संख्या राज्यवार कितनी है ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सम्बन्धित राज्य सरकारों से की गई जांच से प्रतीत होता है कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पिछले तीन महीनों में भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Agricultural Prices Commission

1519. Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many Members of the Agricultural Prices Commission have either tendered their resignations or have refused to work further for various reasons; and

(b) if so, the reactions of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture. Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

Overtime Allowance to Overseas Communications Service Employees

1520. Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Yashpal Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Communications be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6 76 on the 29th August, 1968 and state :

(a) whether Government have since considered the demand of the employees of the Overseas for Communications Service for over-time Allowance in accordance with the recommendations of the second Pay Commission : and

(b) if so, the decision taken in the matter ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b): The matter is still under consideration.

Unemployment Due to Automation.

1521. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Prem Chand Verma :
Shri J. B. Singh :
Shri A. Sreedharan :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) in which fields and Government Departments/Undertakings automation has been introduced so far;

(b) the number of persons rendered unemployed thereby;

(c) whether the representative of the employees are consulted before introducing automation; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) It is presumed that the Hon'ble Member refer to the installation of electronic computers. According to the available information such computers have been installed in the following Government Departmental undertakings, Public Sector undertakings and Private Sector undertakings;

Government Departmental Undertakings.

1) Diesal Locomotive Works. Varanasi

2) Indian Telephone Industries Ltd, , Bangalore.

3) Directorate General, Ordance Factories.

4) Ministry of Railways, Northern, Central, Western, Southern and South-Eastern Railways.

Public Sector Undertakings.

1) Air India.

2) Hindustan Machine Tools Ltd. , Bangalore.

3) Institute of Tropical Meteorology (Indian Meteorological Department).

4) Life Insurance Corporation of India.

5) Integral Coach Factory, Perambur.

6) Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan.

7) Programme Evaluation Organisation, Planning Commission.

8) Indian Airlines Corporation.

9) State Bank of India, Bombay.

10) Institute of Agricultural Research Statistics (I. C. A. R.) New Delhi.

11) Hindustan Aeronautics Ltd. (Bangalore Division).

12) Unit Trust of India.

13) Computer Centre, Deptt. of Statistics, New Delhi.

14) Rourkela Steel Plant of Hindustan Steel Ltd.

15) Bhilai Steel Plant of Hindustan Steel Ltd.

Private Sector Undertakings.

1) The Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd, Delhi.

2) The Buckingham and Carnatic Co. Ltd. Madras.

3) Joint Plant Committee of the Steel Plants.

4) Tata Engineering and Locomotive Co. Ltd. Jamshedpur.
5) Burmah-Shell (Marketing).
6) Bata Shoe Co. Private Ltd. Calcutta.
7) The Bangalore Wollen, Cotton and Silk Mills Co. Ltd. Bangalore.
8) Burn and Co. Ltd.
9) Esso, Standard Eastern Inc.
10) Union Carbide India Ltd. ,Calcutta.
11) The Calcutta Electric Supply Corporation Ltd. Calcutta.
12) Ilac Limited Calcico Mills Premises, Ahmedabad.
13) Caltex India Ltd. , Bombay.
14) Hindustan Shipyard, Vizagapatnam.

(b) According to available information there has been no retrenchment on this account.

(c) According to a decision taken by the I. L. C. in 1966 introduction of any automation measures should be regulated by the Model Agreement on Rationalisation of 1957 which provides among other things, for prior consultation with the representatives of employees.

(d) Does not arise.

Recognition of Political Parties

1522. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri Shri Chand Goyal :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether the Election Commission has recently made any modifications in the criteria of according recognition to Political Parties;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the various Political Parties were consulted in this connection: and

(d) if so, what were their reactions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Yunus Saleem) : (a) Yes, Sir.

(b) The Election Commission has issued the "Election Symbols (Roprevation and Allotment) Order, 1968, "on the 31st August, 1968, and it was published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 31st August, 1968. The Order provides for registration of bodies and associations of Indian citizens, as Political Parties, for specification, reservation, choice and allotment of symbols at elections in parliamentary and assembly constituencies for the recognition of political Parties in relation thereto, and for matters connected therewith.

(c) and (d) Yes, sir. The Chief Election Commissioner convened a conference of political parties on the 4th May, 1968, to ascertain the views of the different parties with regard to the recognition and allotment of symbols. The present Order was issued taking into account the views expressed by the various political parties on the subject at that conference.

Scheme for Permanent Solution of Drought

1523. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Eswara Reddy :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri D. C Sharma :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri Ram Avtar Shastri :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up any scheme for Permanent Solution of the drought problem keeping in view the loss and damage caused to the crops in the country each year;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) and (b) : A statement is laid on the **Table. [Placed in Library. See No. LT- 2242/68].**

(c) Does not arise.

Committee of Cow Protection

1524. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Shri Chand Goyal :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 622 on the 22nd August, 1968 and state :

(a) whether the letter of withdrawal from the Cow Protection Committee of the three members of the Goraksha Maha Abhiyan Samiti has since been considered;

(b) if so, the decision taken in the matter; and

(c) how the vacancies have been filled ?

The Minister of State in the **Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.**

(b) A reply was sent to Shri Jagatguru Shankarcharya Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti on 5.10.68 mentioning, among other things that Government consider that nothing had happened since the acceptance of the terms of reference by the Samiti and consideration of the further clarification given by Government in August, 1967, to Warrant the Samiti's representatives withdrawing from the business of the Committee, and that Government would welcome further active participation of the representatives of the Samiti in the business of the Committee. Reaction of Samiti's representatives to this letter is awaited.

(c) Does not arise in view of 'b' above.

Radio Telephone link with Foreign Countries

1525. **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state ;

(a) the names of the countries with which India has Radio telephone link at present; and

(b) the names of the countries with which agreements are being concluded for establishing such links ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K Gujral) : (a) Radio Telephone Service is available from India to 135 countries. List is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-2243/68].**

(b) Peru, Venezuela and Columbia.

Super Bazar, New Delhi

1526. Shri Hardayal Devgun :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the total expenditure incurred in the first half of this year on the employees and on the administrative posts of Super Bazar at Connaught Place, New Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri M.S. Gurupadaswamy) : The total salaries paid to the employees of the Super Bazar during the period 1st January, 1968 to 30th June, 1968 is Rs. 12,89,398/-. The salaries paid to the officers of the Super Bazar during the same period were Rs. 1,41,001/-.

Strike in Newspapers

1527. Shri Hardayal Devgun :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri P. C. Adichan :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Y. A. Prasad :
Shri D. N. Patodia :
Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of the newspapers where non-journalists had gone on strike during the last month in the country;

(b) the number of days for which each newspaper remained closed out;

(c) the number of newspapers in the case of which demands of the workers have been acceded to;

(d) the number of newspapers the owners of which have not acceded to the demands so far;

(e) whether it is a fact that the non-journalists faced great difficulty because of indefinited policy of Government; and

(f) if so, the reasons therefor and steps taken by Government to avoid recurrence of such strikes in future ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b): A statement giving the information is laid on the Table. **[Placed in Library. See No. LT-2244/68].**

(c) to (f): The dispute arose because of non-acceptance of the demands made by workers for full implementation of the recommendations of the Wage Board for Non-Journalists, as notified by Government. The Policy of Government in respect of wage boards is not indefinite it is that the recommendations are not statutorily enforceable (except in the case of the Journalists' Wage Board), that they may be enforced with such modifications as may be agreed upon by the parties and that disputes between the parties regarding their enforcement are industrial disputes. The disputes in the present cases other than the Hindu have been referred to a National Tribunal for adjudication like other industrial disputes, as per the provisions in the Industrial Disputes Act, 1947. In the case of the 'Hindu', an agreement has been reached between the management and its employees. Government has no proposal to place a ban on all strikes in connection with industrial disputes.

चीनी उत्पादन का तरीका

1528. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय चीनी संस्था, कानपुर द्वारा "सल्फीटेशन प्रासेस" के स्थान पर 'डेफ्को मेल्ट क्रिस्टेलाइजेशन प्रासेस" के प्रयोग किये जाने की सिफारिश का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रति सौ मीटरी टन चीनी बनाने में डेफ्को, सल्फीटेशन कारपोरेशन की तुलनात्मक लागत कितनी कितनी है; और

(ग) उपरोक्त तीनों प्रतिक्रियाओं के लाभ तथा हानियां क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) डेफ्को मेल्ट क्रिस्टेलाईजेशन प्रासेस सल्फर की अत्यधिक कमी की स्थिति में निर्वात पात्र (वेक्युम पेन) कारखाने में सीधे ही खपत के लिए सफेद चीनी बनाने का वैकल्पिक तरीका है। वह तरीका सल्फीटेशन तथा कारबोनेशन दोनों कारखानों में अपनाया जा सकता है। इस प्रासेस का ब्यौरा अनुबन्ध (1) में दिया जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2245/68]।

(ख) तुलनात्मक लागत का हिसाब लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि चीनी बनाने की लागत कुछेक तत्वों पर निर्भर करती है जो कि प्रत्येक कारखाने में और एक ही कारखाने में समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती हैं।

(ग) एक विवरण (अनुबन्ध–2) दिया जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०। 2245/68]।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अनाज के उत्पादन के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न अनुमान

1529. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** **श्री ओमप्रकाश त्यागी :**
श्री जि० मो० विस्वास : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अनाज के उत्पादन के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न अनुमान लगाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) दोनों सुझावों के अन्तर को दूर करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा क्षेत्र तथा उत्पादन के बारे में जारी किये गये अनुमान साधारणतः राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होते हैं फिर भी हाल ही के कुछ सालों में कुछ मामलों में निम्नलिखित कोणों से राज्यों के अनुमानों में कुछ समंजन करना पड़ा है :-

(1) फसल अनुमानों की वर्तमान प्रणाली के अधीन अपूर्ण रिपोर्टिंग के लिये अन्तिम फसल कटाई के बारे में कम अनुमान लगाना ।

(2) गर्मी की फसलों के अधीन ऐसे क्षेत्रों की अपूर्ण रिपोर्टिंग, जो कि कुछ राज्यों में अभी तक इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, और जिन्होंने हाल के सालों में कृषि विकास की नीति के अधीन महत्व ग्रहण कर लिया है ।

(ख) देश में खाद्यान्न उत्पादन के अनुमानों में सुधार करने के समूचे प्रश्न के एक भाग के रूप में इस समस्या पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

शाखा डाकघर

1530. श्री मीतिराज सिंह चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाखा डाकघरों में पूरे समय के लिये स्थानीय पोस्टमास्टर और एक चपरासी रखने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या संचालन व्यय को कम करने के लिये सरकार का विचार इन प्रस्तावों पर विचार करने का है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । इससे अतिरिक्त व्यय होगा ।

धातु के गोदाम

1531. श्री हेमराज : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कितने धातु के गोदाम स्थापित किये गये हैं; और

(ख) किसानों तथा व्यापारियों को ये किन शर्तों पर दिये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश में 20 केन्द्रों पर बिन स्थापित किए गए हैं और अन्य कई राज्यों में कुछेक केन्द्रों पर बिन स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) उद्योग द्वारा और भूख से मुक्ति आन्दोलन के अन्तर्गत किसानों और सहकारी समितियों को या तो मुफ्त या सहायता प्राप्त मूल्यों पर सप्लाई की जाती है। सरकार केवल तकनीकी सहायता प्रदान करती है ।

काले बाजार में वनस्पति घी की बिक्री

1532. श्री हेमराज :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खुले बाजार में वनस्पति घी लोगों को उपलब्ध नहीं है जबकि इसको काले बाजार से लिया जा सकता है; और

(ख) देश में वनस्पति घी की मांग कितनी है और उत्पादन कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं, इस समय वनस्पति नियन्त्रित मूल्यों पर मुक्त रूप से उपलब्ध है।

(ख) वनस्पति का चालू उत्पादन प्रति मास लगभग 41,000 मीटरी टन है जो कि इसकी चालू मांग के अनुरूप भी है ।

गन्ने की खेती वाली भूमि

1533. श्री हेमराज : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : इस वर्ष गन्ने की पैदावार के लिये कितने एकड़ अधिक भूमि का प्रयोग किया गया है और इससे चीनी के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : समस्त क्षेत्र और परिगणन और फसल काटने के सर्वेक्षण पर आधारित 1968-69 के लिये गन्ने का क्षेत्र और उत्पादन के पक्के अखिल भारतीय आंकड़े राज्यों से मई, 1969 में किसी समय उपलब्ध हो सकेंगे। हां, गन्ने के अखिल भारतीय प्रथम आंकड़े के अनुसार 1968-69 के दौरान फसल के अन्तर्गत क्षेत्रफल गत वर्ष से लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता हुआ सम्भावित होता है। जहां तहां चीनी उत्पादन का सम्बन्ध है, अभी कोई पक्का अनुमान बताना कठिन है ।

Production of Sugar From Sugar Beet

1534. Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Y. A. Prasad :
Shri Beni Shanker Sharma:
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the achievement of the project started in Ganganagar for the manufacture of sugar from sugar beet;

(b) whether Government have finalised any comprehensive proposal in regard to production and consumption of sugar beet for the Fourth Five Year Plan period and if so, the details thereof; and

(c) whether it is a fact that even now some difficulties are coming in the way for the development of sugar beet seeds in India and if so, the obstacles in the way of launching a large scale project ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) At the Ganganagar Sugar Mills Ltd., Sriganganagar. sugar was manufactured from sugar beet on an experimental basis with the use of a pilot plant under the Coordinated Research Scheme of the National Sugar Institute, Kanpur during 1967-68. The results are reported to be encouraging.

(b) Projects for production of sugar beet and also for its consumption for manufacture of sugar on trial basis in different parts of the country are proposed to be included in the Fourth Five Year Plan.

(c) The development work for raising sugar beet seeds in the country is in progress and its production in certain parts has been encouraging.

Produ t'on of Lobiya Seed

1535. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture be** pleased to state the efforts being made to augment the production of the seed of double-crop of 'Lobiya' which has been developed by the Pusa Research Institute in order to make it available to farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : Two kg. seed of Lobiya variety 'Do fasli' was supplied by the Indian Agricultural Research Institute to the National Seeds Corporation for pre-release multiplication in 1966. The National Seeds Corporation has multiplied during the current kharif season on nearly 80 acres which is likely to yield about 175 quintals of seed.

Development of Sweet Potato In U. P.

1536. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether keeping in view the big programme of development of sweet potato proposed to be undertaken during the Fourth Plan of Uttar Pradesh, Government have developed any variety of sweet potato; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b): No systematic research project has been taken up on Sweet Potato in U. P. State as yet. However, collections from various places viz. Patna, Gwalior etc. at Fruit Research Station, Basti, have been made and only the following varieties which have been found good in local conditions are being multiplied and distributed under Extension Programme:-

Daimus Batla	(Red) ...
Gwalior Red	(Red) ...
White Star	(White) ..
Gwalior White	(White) .
Jhun Gunia	(Yellow) .

Further, the following varieties have been tried at Vegetable Research Station Kanpur and found promising.

1. Pusa White.
2. Hertogeli.
3. E. C. 12105.

Scheme on development of Sweet Potato will be taken up during the Fourth Plan.

पंजाब और हरियाणा में नलकूप लगाना

1537. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा में चौथी योजना के दौरान नलकूप लगाने के कार्यक्रम को अन्तिम रुप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख): अभी तक नहीं फिर भी, खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के केन्द्रीय कार्यकारी दल ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 2,00,000 प्राईवेट नलकूप और 900 गहरे नलकूप लगाने के बारे में पंजाब सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

यहां तक हरियाणा का प्रश्न है राज्य के संसाधनों को देखते हुए केन्द्रीय कार्यकारी दल ने, चौथी पंचवर्षीय योजना में, हरियाणा में 16000 प्राइवेट नलकूप तथा 1000 गहरे नलकूप लगाने की सिफारिश की है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन दोनों राज्यों में नलकूप लगाने का कार्यक्रम अन्तिम रुप से स्वीकृत व्यय अनुभवों पर निर्भर करता है।

राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई

1538. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सितम्बर, 1968 से जनवरी, 1969 के दौरान विभिन्न राज्यों को सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमान का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख): केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन प्रति मास किया जाता है और सप्लाई की जाने वाली मात्रा का निर्धारण केन्द्र के पास कुल उपलब्धि और प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं में आधार पर किया जाता है। दिसम्बर, 1968 और जनवरी 1969 में की जाने वाली सप्लाई का कोई अग्रिम अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, प्रत्येक राज्य को सितम्बर और अक्तूबर में खाद्यान्नों की वास्तविक सप्लाई तथा नवम्बर का आवंटन बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रत्येक राज्य को सितम्बर और अक्तूबर 1968 में दिये गये अनाज और नवम्बर, 1968 के लिये नियत किये गये अनाज के कोटे के आंकड़े निम्न प्रकार है :

राज्य	मात्रा (हजार टनों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	79
2. आसाम	56
3. बिहार	103
4. गुजरात	113
5. हरियाणा	14
6. जम्मू और काश्मीर	22
7. केरल	237
8. मध्य प्रदेश	10
9. महाराष्ट्र	390
10 मद्रास	105
11. मैसूर	105
12. नागालैण्ड	5
13. उड़ीसा	34
14. पंजाब	38
15. राजस्थान	63
16. उत्तर प्रदेश	83
17. पश्चिमी बंगाल	369

Employment Exchanges in Madhya Pradesh

1539. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of employment exchanges in Madhya Pradesh at present and the number of officers of the Gazetted rank working in them; and

(b) the number of persons registered for employment since January, 1968 in these exchanges ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir) : (a) No. of Employment Exchanges ... 52

No. of Gazetted Officers ... 64

(b) The number of persons who got themselves registered with the Employment Exchanges during the period January 1968 to September, 1968 was 2,17,982.

Agricultural Land to Ex-Servicemen

1541. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of ex-Servicemen in different States who applied for agricultural land during the period from 1st January, 1965 to 30th May, 1967 inspite of their holding salaried posts;

(b) whether Government looks into their record of military service before alloting them agricultural land or those persons are also included in the above category who are discharged from service on account of one reason or other before the expiry of full term; and

(c) the area of land or prescribed to be given to ex-Servicemen, rank-wise, by various States and the Central Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (b): The required information is not readily available and is being collected.

Refugees from Tibet and Pakistan

1542. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of refugees who came to India from Tibet and Pakistan during the last six years;

(b) the number of displaced persons camps functioning at present in the country;

(c) the amount spent every year by Government on the setting up and running these camps during the above period; and

(d) whether the expenditure on these camps is borne by the State Governments or the Central Government or jointly by both ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) During the six years ending December 1967, 5335 persons from Tibet and 8,73,398 persons from Pakistan came to India as refugees. In addition, during the year 1968 upto 31.10.1968, 190 persons from Tibet and 9352 persons from Pakistan came to India as refugees.

(b) There are at present 14 relief camps-cumrehabilitation centres for Tibetan refugees and 34 relief camps for new migrants from East Pakistan. In the wake of 1964 exodus from East Pakistan, about 105 Relief camps had been opened for migrants from East Pakistan. The majority of them have been closed. So far about 37,000 families of migrants from East Pakistan have been rehabilitated in sehabilitation schemes/projects taken up in different States.

(c) A statement giving the information is Laid on the Table. [Placed in Library See No. L. T.-2246/68]

(d) The entire expenditure on these camps is borne by the Central Government.

शरणार्थियों के लिये शिविर

1543. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में पाकिस्तान से भारत आये शरणार्थियों के लिये कुल कितने शिविर स्थापित किये गये तथा उनमें कितने शरणार्थी रखे गये; और

(ख) उनमें से कितने लोगों को रोजगार दिया गया था अभी तक उनमें कितने विस्थापित लोग रहते हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दी० रा० चव्हाण) : (क) पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिये 1958–63 की अवधि के अन्तर्गत कोई नये शिविर स्थापित नहीं किये गये थे। इस अवधि के अन्तर्गत पूर्वी खण्ड में जो शिविर थे उनकी संख्या जो धीरे–धीरे कम कर दी गई थी और 1961-62 के अन्त तक सभी शिविर बन्द कर दिये गये थे।

जनवरी, 1964 से पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में नये शरणार्थियों के आने पर फिर से शिविर स्थापित करने पड़े थे। स्थापित किये गये नये शिविरों की संख्या, ऐसे शिविरों में प्रवेश पाने वाले प्रव्रजकों की संख्या के अनुसार समय समय पर घटती-बढ़ती रही। जनवरी, फरवरी, 1965 के अन्तर्गत चालू शिविरों की अधिकतम संख्या 105 थी। इसी प्रकार शिविरों में रहने वाले नये प्रव्रजकों की संख्या भी घटती–बढ़ती रही और यह शिविरों में नये प्रवेश तथा उनसे पुनर्वास स्थलों के लिये विसर्जन पर निर्भर थी। शिविरों की जन संख्या के रखे गये आंकड़ों के अनुसार शिविरों में रहने वाले प्रव्रजकों की किसी एक समय अधिकतम संख्या जनवरी, 1965 में 2,83,937 थी।

(ख) इस समय 62,998 व्यक्तियों के 15,035 परिवार (जिनमें वृद्ध, अपंग तथा अनाथ स्त्रियों इत्यादि के परिवार सम्मिलित है) शिविरों में रह रहे हैं। 31–3–1968 तक कृषि छोटे-मोटे कार्य, रोजगार इत्यादि द्वारा बसाये गये नये प्रव्रजकों की संख्या लगभग 37,000 है।

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड

1544. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड किस वर्ष स्थापित किया गया था, इसके निदेशक मण्डल के सदस्यों के नाम क्या है तथा वही निदेशक मण्डल कब तक चलता रहा; और

(ख) इस निगम के वर्तमान निदेशक मण्डल के सदस्यों, अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के नाम क्या हैं तथा उनको नियुक्ति किन–किन तारीखों को हुई थी और उनका कार्यकाल कितना है तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) पुनर्वास उद्योग निगम 13 अप्रैल, 1959 को स्थापित किया गया था।

एक विवरण, जिसमें वर्षवार 1959-60से 1967-68 तक बोर्ड के निदेशकों के गठन का ब्यौरा दिया गया है, सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2247/68**]।

कम्पनी की अन्तर्नियमावली की धारा 65 (2) के अनुसार कम्पनी की प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये गये अध्यक्ष तथा अन्य निदेशक कार्यालय की सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। सेवा से निवृत्त हुए अध्यक्ष तथा निदेशक पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तदनुसार, प्रत्येक वार्षिक बैठक के उपरान्त, बोर्ड का पुर्नगठन किया जाता है।

(ख) पुनर्वास विभाग के ज्ञापन संख्या 16(29)/68 आर-एच०-V दिनांक 28 सितम्बर, 1968 की एक प्रतिलिपि, जिसमें वर्तमान बोर्ड के गठन तथा नियुक्ति की तिथि दी गई है, संलग्न है।

उपरोक्त उल्लिखित, कम्पनी की अन्तर्नियमावली की धारा 65(2) के अनुसार निदेशक प्रत्यैक वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं—जैसे कि एक वार्षिक सामान्य बैठक से आगामी वार्षिक सामान्य बैठक तक।

निदेशकों को कोई शुल्क नहीं दिया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक के अतिरिक्त अन्य सरकारी सदस्य बैठकों में उपस्थित होने के लिए यात्रा तथा दैनिक भत्तों के अलावा कोई परिश्रमिक या भत्ता प्राप्त नहीं करते हैं।

अध्यक्ष सहित गैर-सरकारी सदस्य यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता पाने के पात्र है जैसा कि केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को स्वीकार्य है।

वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी है और निगम में प्रतिनियुक्ति पर हैं। उनका वेतन, अन्य बातों के साथ-साथ, मूल केडर में उनकी वरीयता द्वारा विनियमित किया जाता है। वे केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को दिये जानें वाले यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता पाने के भी पात्र हैं।

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड

1545. श्री प्रेम चन्द वर्मा: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड को इसकी स्थापना के समय से अब तक (एक) अनियमितताओं (दो) चोरी (तीन) सामान में कमी हो जाने (चार) आग लगनें अथवा ऐसे ही अन्य कारणों के परिणामस्वरुप कितनी धनराशि की हानि हुई है;

(ख) क्या इन मामलों की जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड

1546. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड के क्रय, ठेकों तथा विक्रय के लिए और कर्मचारियों की भर्ती के (500 रुपये मासिक वेतन वाले पदों के लिये) नियम हैं और यदि हां, तो उन नियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन नियमों को बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख): 500 रुपये और उससे अधिक मासिक वेतन वाले पदों की भर्ती बोर्ड के निदेशकों द्वारा गठित की गई समिति करती है । रिक्तियां सुसंगत रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की जाती है और प्रमुख दैनिक पत्रों में विज्ञप्तियां भी दी जाती है ।

जहां तक क्रय, ठेकों तथा विक्रय का सम्बन्ध है, जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड

1547: श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड के कार्य संचालन की कभी सामान्य जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस निगम के कार्य संचालन में कमियों का पता लगाने तथा कार्य संचालन में सुधार करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने का सरकार का कोई विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख): जनवरी, 1968 में श्री मनुभाई शाह की अध्यक्षता में जो पुनर्वास बोर्ड गठित किया गया था उसके विचारार्थ विषयों में पुनर्वास उद्योग निगम के कार्य, योजनाओं तथा प्रगति का निश्चय करना और निगम को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिये योजना तैयार करने तथा उसे कार्य रुप देने के आवश्यक उपायों में सरकार की सहायता करना भी एक विषय है । बोर्ड की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

1548. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, उस समय उसके निदेशक मण्डल के सदस्य कौन--कौन थे और वही निदेशक मण्डल कितनी अवधि तक चलता रहा; और

(ख) इस समय निदेशक मण्डल के सदस्य कौन–कौन हैं और अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के नाम क्या हैं, उनकी नियुक्ति कब हुई थी तथा उनकी पदावधि सेवा की शर्तें क्या हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना प्रदान करने वाला एक विवरण है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2248/68**]।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन

1549. श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 सितम्बर, 1968 को टोकियो में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के छटे एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था;

(ख) उस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया; और

(ग) उस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किये गये ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। यह सम्मेलन 2 सितम्बर, को शुरू हुआ और 13 सितम्बर, 1968 को समाप्त हुआ।

(ख) और (ग): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है, जिसमें अपेक्षित ब्यौरा दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2249/68**]। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत सरकार के शिष्टमण्डल की रिपोर्ट सदन के सामने रखी जा रही है।

कृषि सम्बन्धी निर्यात कार्यक्रम

1550. श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि सम्बन्धी निर्यात को 501 करोड़ रुपये के वर्तमान स्तर से बढ़ा कर चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 750 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ विशेष कार्यक्रम बनाये हैं जो कि व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने के उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के हेतु आरम्भ किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्य-क्रमों का ब्यौरा क्या है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादों के निर्यात के लक्ष्यों का अन्तिम रुप देना अभी बाकी है। व्यापारिक फसलों के निर्यात से प्राप्त राशि में काफी वृद्धि होगी। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक व्यापारिक फसलों के निर्यात बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी हां।

(ग) अधिकतम संभाव्य क्षेत्रों में पैकेज विधियों आदि के अपनाने से फसलों के प्रति एकक क्षेत्र की उपज बढ़ाने के विचार से, राज्य विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त, निर्यात उन्नति/आयात प्रतिस्थापन के लिये व्यापारिक फसलों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जा रही है और उन्हें कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं का पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश को अनाज की सप्लाई

1551. श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रवि राय :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूखे के कारण आंध्र प्रदेश अब अनाज की कमी वाला राज्य है जब कि यह फालतू अनाज वाला राज्य था;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनाज, विशेषकर गेहूं और माइलो सप्लाई करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि आंध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि वह पड़ौसी राज्यों को चावल सप्लाई करने में असमर्थ है;

(घ) क्या आंध्र में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग): आंध्र प्रदेश केन्द्रीय पूल में केवल चावल ही सप्लाई करता रहा है। राज्य केन्द्रीय पूल से गेहूं और मोटे अनाज प्राप्त करता रहा है। सूखे के परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश ने फिलहाल केन्द्रीय पूल में चावल की सप्लाई स्थगित कर दी है। तथापि, यह आशा की

जाती है कि राज्य बाद में केन्द्रीय पूल में कुछ चावल देने की स्थिति में हो जाएगा। पिछले अगस्त से राज्य सरकार ने केन्द्रीय पूल से गेहूं और मोटे अनाजों की अधिकतर मात्राएं आवंटित करने के लिये कहा है। आवंटन में भी वृद्धि कर दी गई है।

(घ) जी हां।

(ङ) रिपोर्ट में बताई गई मुख्य बातें बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2250/68]।

टेलीफोन राजस्व सम्बन्धी सम्मेलन

1552. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 सितम्बर, 1968 को दिल्ली में टेलीफोन राजस्व सम्बन्धी एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उस सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि बम्बई में चालू टेलीफोनों के मीटरों तथा मीटर रीडिंग का फोटो लेने का उपकरण लगाने की व्यवस्था की जाये, ताकि टेलीफोनों के बिल सही और शीघ्रतापूर्वक तैयार किये जा सकें;

(ग) इस सम्मेलन ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) टेलीफोन बिलों की बकाया राशि, जो 5 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है, वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ): यह सम्मेलन टेलीफोन राजस्व सम्बन्धी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाया गया था और यह मुख्यतः प्रशासनिक था। इसमें कई मामलों पर विचार किया गया जिनमें मीटर, मीटर-वाचन की फोटोग्राफ और टेलीफोन सम्बन्धी बकाया राशि की वसूली के लिये उठाये जाने वाले कदम भी शामिल हैं। इन सभी मामलों पर कार्रवाई की जा रही है और आशा है कि इससे बकाया राशि की शीघ्र ही वसूली होगी।

कृषि मूल्य आयोग

1553. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि-मूल्य आयोग द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार अनिश्चितताओं के कारण भविष्य में देश में अनाज के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के उत्पादन कार्यक्रम का परिणाम सामान्य है, जो प्रकृति के प्रकोप के कारण लुप्त हो जायेगा;

(ग) क्या कृषि–मूल्य आयोग ने यह भी कहा है कि कृषि कार्यक्रमों तथा उनको खेतों में कार्यान्वित करने के बीच बहुत बड़ा अन्तर है, जो प्रायः यथार्थवादिता पर आधारित नहीं होता; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ): कृषि मूल्य आयोग ने 1968 69 के मौसम के लिये खरीफ खाद्यानों की मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट के पैरा 15 में सलाह दी है कि आने वाले सालों में कृषि कार्यक्रम योजनायें बनाते समय मौसमों की अनीयतता और कृषि कार्यक्रमों तथा उसे कार्यान्वित करने के बीच के अन्तर को ध्यान में रखा जाये। इस परामर्श के महत्व को भारत सरकार तथा राज्य सरकारें भली भांति जानती है।

गुजरात को घटिया अनाज की सप्लाई

1554. **श्री रा० को० अमीन :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के केन्द्रीय सरकार को घटिया अनाज सप्लाई करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। गुजरात सरकार ने मोटे अनाज आवंटित करने के लिये प्रार्थना की थी।

(ख) गुजरात को मोटे अनाजों की उपयुक्त मात्राएं आवंटित की गई हैं।

सलातपुर गांव (गुजरात) में डाक का गुम होना

1555. **श्री रा० को० अमीन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग को गुजरात राज्य के सुबनकण्डा जिले के तालुद तालुक के सलातपुर गांव के निवासियों से डाक के गुम हो जाने के बारे में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इस बारे में सलातपुर गांव के निवासियों की ओर से कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। अब वहां

के कुछ निवासियों से सम्पर्क स्थापित करने पर उन्होंने कुछ पत्र प्राप्त न होने की शिकायत की है ।

(ख) कोई भी शिकायत प्राप्त न होने के कारण ऐसा प्रश्न ही नहीं उठा । डाक प्राप्त होने पर अब निगाह रखने की व्यवस्था की जा रही है ।

Agricultural Prices Commission

1556. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to include the representatives of farmers in the Agricultural Prices Commission;

(b) if so, since when; and

(c) the number of farmers representatives therein ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c): Farmer's interests are already being given represesentation by a Panel of Farmers from various crop regions of the country to advise the Commission. The first panel of farmers was formed in September 1965. It was reconstituted in July 1966. It was again reconstituted on October 25, 1968 with a membership of 17 farmers of whom two are Members of Parliament.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चने की खरीद

1557. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 29 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6329 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम को राजस्थान में चना खरीदने में कितना घाटा हुआ; और

(ख) उत्तरदायी अधिकारियों से घाटे की यह राशि वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम को राजस्थान में खरीदे गए चने पर कोई नुकसान नहीं हुआ था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बेरोजगारी बीमा योजना

1558. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4997 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच बेरोजगारी बीमा योजना के बारे में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुछ प्रस्ताव, जो कि विचाराधीन हैं, राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिये भेजे गए हैं और कुछ राज्य सरकारों से उत्तरों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि अन्तिम निर्णय कब लिया जायगा।

भारतीय संविधान के बारे में मुख्य न्यायमूर्ति के विचार

1559. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री रा० की० ग्रमीन :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा आठवीं फिरोज गांधी स्मारक व्याख्यानमाला के अन्तर्गत भारतीय संविधान के बारे में व्यक्त किये गये विचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार विद्वान मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा अपने भाषण में विभिन्न मामलों पर व्यक्त किये गये विचारों पर गम्भीरता से विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग): मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा व्यक्त विचारों पर सरकार द्वारा सम्यक्रूप से विचार किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में जोतदारों द्वारा कृषि योग्य भूमि को अपने पास रखा जाना

1560. श्री कं० हाल्दर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका पता लगाने के लिये कोई जोरदार अभियान आरम्भ किया है कि बड़े जोतदारों के बनामी तथा अन्य चोरी छिपे तरीकों से कृषि भूमि पर अपना कब्जा बनाये रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान का स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या ऐसी जिस भूमि का पता लगेगा उसको शीघ्र ही भूमिहीन किसानों में बांट दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिमी बंगाल के भूमि अभिलेख तथा सर्वेक्षण निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सम्पदा अर्जन अधिनियम 1953 की धारा 5 क में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक अभियान अभी हाल में चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप अब तक भूतपूर्व मध्यस्थों द्वारा 128, 830 एकड़ अतिरिक्त भूमि बनायी गई अथवा अन्य कपटपूर्ण ढग से कब्जे में की हुई थी, उसको राज्य ने अपने अधिकार मे ले लिया है।

(ग) जी हां, इस भूमि को अपने अधिकार में लेने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि भूमिहीन कृषकों में इसे बांटा जा सके।

शहरघाट (माधवपुर) में सार्वजनिक टेलीफोन

1561, श्री भोगेन्द्र झा : क्या संचार मंत्री 1 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2081 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरघाट (माधवपुर) में अब सार्वजनिक टेलीफोन लगा दिया गया है, और क्या इसको सीतामढ़ी के साथ मिलाने की बजाये मधुबनी के साथ मिलाया जा रहा है, क्योंकि यह मधुबनी उपमण्डल में है;

(ख) क्या विद्यमान तारों के जोड़ों पर कैरियर सिस्टम लगा कर अब दो अतिरिक्त सर्किट लगा दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे कठिनाइयां दूर हो गयी हैं; और

(घ) क्या लोकाहा में सार्वजनिक टेलीफोन लगाया गया है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) माधवपुर दरभंगा जिले में 4 अक्तूबर, 1968 को एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिया गया है और लगभग 1200 रुपये के सम्भावित घाटे की विशेष रूप से छूट देकर इसका सीतामढ़ी टेलीफोन केन्द्र से सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। माधवपुर और मधुबनी के बीच सीधी लाइन न होने के कारण इस सार्वजनिक टेलीफोन घर को मधुबनी के अन्तर्गत रखने पर अधिक खर्च होगा।

(ख) 3 नवम्बर, 1968 को दरभंगा और जयनगर के बीच वाहक प्रणाली की स्थापना करने से दरभंगा और जयनगर के बीच दो सीधे ट्रंक परिपथ उपलब्ध हो रहे हैं।

(ग) दरभंगा और जयनगर के बीच इन दो परिपथों की व्यवस्था करने से इन दो स्थानों के बीच ट्रंक परियात में सुधार होने की आशा है।

(घ) अभी तक लोकाहा में सार्वजनिक टेलीफोन घर नहीं खोला गया है। यहां सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव घाटे का है। फिर भी इस मामले की आगे जांच की जा रही है।

भूमिहीन मजदूरों की सहकारी समितियों के लिये सहायता

1562. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4825 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमिहीन किसानों और खेतीहर मजदूरों की संख्या देश का ग्रामीण जन संख्या की लगभग एक तिहाई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जोतों तथा भूमिहीन वर्गों और अछूतों में विद्यमान अन्तर के कारण खेतिहर मजदूरों को सहकारी समितियों से लाभ प्राप्त नहीं होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या कारण है कि सरकार सभी वर्गों के लिये एक समान नीतियां बनाने में असफल रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एस० गुरुपदस्वामी) : (क) 1961 की जन-गणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या 36 करोड़ 3 लाख है, जिसमें से 3 करोड़ 15 लाख खेतिहर मजदूर हैं। 9 करोड़ 96 लाख किसान थे, जिनमें से 80 लाख मुजारे थे।

(ख) और (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है, जिसमें राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा खेतिहर मजदूरों एवं भूमिहीन किसानों की सहकारी समितियों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2251/68**] तथापि, सहकारी आंदोलन की प्रगति हर राज्य में वहां की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न है।

गुजरात में मछली पालन उद्योग का विकास

1563. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री रा० की० अमीन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने वर्ष 1968–69 में उस राज्य में मछली पालन उद्योग के विकास के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा तथा रूपरेखा क्या है और उसके बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य में मछली पालन और उद्योग के विकास के लिये गुजरात सरकार ने एक अन्य योजना प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा तथा रूपरेखा क्या है और मछली पालन उद्योग के विकास के लिये किन-किन मुख्य स्थानों का विकास किया जायेगा और उस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख): गुजरात सरकार ने 1968 69 में मत्स्य विकास के लिये 87 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव किया है। कुल मिला कर 30 परियोजनायें प्रस्तावित की गयी हैं जिनमें से मुख्य हैं (1) मत्स्य नौकाओं के यन्त्रीकरण के लिये 24 लाख रु० की व्यवस्था, (2) लकड़ी की नौकाओं के सुधार के लिये 11 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की व्यवस्था, (3) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और उपयोगीकरण के लिये 7 लाख रुपये की व्यवस्था, (4) गवेषणात्मक सर्वेक्षण के लिये 4·50 लाख रुपये की व्यवस्था।

भारत सरकार ने 85 लाख रु० की व्यवस्था स्वीकृत कर ली है।

(ग) और (घ): चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना (1969–74) में गुजरात सरकार ने मत्स्य विकास के लिये 500 लाख रु० की राशि का प्रस्ताव किया है। समुद्रीय मछलियों के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है जिसके लिये 285 लाख रु० के व्यय का प्रस्ताव किया गया है। अन्य मुख्य आयोजनायें हैं (1) विपणन, परिवहन, सड़कें और भंडारण। (2) सहकारी समितियों को ऋण और आदर्श मत्स्य ग्रामों की स्थापना। (3) अन्तर्देशीय मत्स्य के विकास कार्य-क्रम, बन्दरगाहों के विकास, उपयोगीकरण उद्योग और सेवा केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी मुख्य गतिविधियां माडवी, कांडला, जामनगर (बंदी) पोरबन्दर, वेरावल मंगलौर जफराबाद, नवाबन्दर, माधवाड़, उम्बेरगांव, कोलक और उनरसादी में ही केन्द्रित हैं।

इन आयोजनाओं की जांच राज्य सरकार के परामर्श से ही की गई है और प्रायः अनुमोदित हो राज्य योजना में कितनी राशि प्रदान की जाये यह विचाराधीन है।

गुजरात में गन्ने की खेती का विकास

1564. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात को 1967–68 में राज्य में गन्ने की खेती के विकास के लिये कोई वित्तीय सहायता दी थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) गुजरात को 1968–69 में वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में सरकारी प्रस्ताव क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख): राज्यों की योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता विभिन्न विकास शीर्षों के अन्तर्गत जैसे 'कृषि उत्पादन' 'भूमि विकास' 'छोटी सिंचाई' दी जाती है और अलग-अलग योजनाओं के अनुसार नहीं दी जाती। 1967–68 में योजना गुजरात राज्य को 'कृषि उत्पादन' जिसमें गन्ने की खेती भी है, के लिये निम्न प्रकार सहायता दी गयी :

अनुदान–90.72 लाख रुपये ।

ऋण–39.76 लाख रुपये ।

(ग) 1968–69 के लिये कृषि उत्पादन के सम्बन्ध केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा इस प्रकार है :

अनुदान –96·10 लाख रुपये ।

ऋण–45·20 लाख रुपये ।

गुजरात में पशु-पालन, डेरी और मछली पालन कार्यक्रम

1565. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968–69 के दौरान गुजरात में पशु-पालन, डेरी और मछली पालन कार्यक्रम को चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कितनी सहायता दी है; और

(ख) उक्त अवधि में उपरोक्त योजनाओं पर राज्य सरकार ने वास्तव में कितनी धन-राशि खर्च की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख): सहायता की निर्धारित पद्धति के आधार पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में, प्रथम तीन तिमाहियों में वास्तविक व्यय के विभागीय अङ्कों और चौथी तिमाही में प्रत्याशित व्यय के आधार पर राज्य सरकारों को केन्द्र वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है । 1967–68 के दौरान गुजरात सरकार द्वारा वस्तुतः व्यय की हुई अन्तिम धन-राशि, जांचें हुये अङ्कों की प्राप्ति के पश्चात् जिनकी अभी प्रतीक्षा है, केवल केन्द्रीय सहायता के अन्तिम समायोजन के समय ही प्राप्त होगी । वर्तमान समय में उपलब्ध सूचना अर्थात् 1967–68 के दौरान गुजरात सरकार को मंजूर की हुई केन्द्रीय सहायता और उस सरकार द्वारा बतलाया हुआ प्रत्याशित व्यय नीचे दिया हुआ है :

(रुपये लाखों में)

विकास का शीर्षक	केन्द्र द्वारा चालित योजनायें: स्वीकृत धन-राशि: आउटले	केन्द्र द्वारा चालित योजनायें: स्वीकृत धन-राशि: केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा	केन्द्र द्वारा चालित योजनायें: राज्य द्वारा संचित 67-68 के दौरान प्रत्यांशित व्यय	1967–68 के दौरान मंजूर की गई केन्द्र सहायता	राज्य प्लान योजनायें: स्वीकृत धनराशि: आउटले	राज्य प्लान योजनायें: स्वीकृत धनराशि: केन्द्रीय सहायता की अधिक-तम सीमा	राज्य प्लान योजनायें: राज्य द्वारा संचित 67–68 के दौरान प्रत्याशित व्यय	1967–68 के दौरान मंजूर की हुई केन्द्र सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पशुपालन	0.10	0.10	–	–	77.00	41.90	74.89	40.74
डेरी	–	–	–	–	142.00	52.40	140.20	51.74
मछली पालन	10.00	10.00	4.66	4.66	82.00	32.40	67.31	26.59

गुजरात में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को पुन: रोजगार देना

1566. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को पुन: रोजगार देने को केन्द्रीय प्रायोजित योजना गुजरात में आरम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967-68 और 1968-69 में इस कार्य के लिये कितनी राशि नियत की गई तथा अब तक इस कार्य में कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) . (क) गुजरात में परती भूमि को खेती योग्य बनाने और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के पुनर्वास के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना चल रही है। 1-4-1969 से इस योजना को राज्य क्षेत्र में लाया जा रहा है।

(ख) 1967-68 में इस योजना के लिये गुजरात सरकार को 14,66,000 रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी। वर्ष 1968-69 के लिये 12,00,000 रुपये अस्थायी रूप से नियत किये गये। 31-3 1968 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार 49,117 एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाकर 7,700 परिवारों को बसाया जा चुका है।

अकाल नियन्त्रण बोर्ड

1567. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी आधार पर समाधान करने के लिये जहां पर कि प्रायः अकाल और सूखा पड़ता रहता है एक अकाल नियन्त्रण बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं। अकाल नियन्त्रण मण्डल की स्थापना सम्बन्धी किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

मशीनें किराये पर देने वाले केन्द्र

1568. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में कृषि उत्पादन के कार्य में सहायतार्थ देश के विभिन्न भागों में मशीनें किराये पर देने वाले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : इस योजना में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में कृषि सम्बन्धी मशीनें किराये पर देने के केन्द्रों की स्थापना के लिए व्यवस्था है। प्रत्येक केन्द्र के पास, जिस क्षेत्र में वे स्थापित किये जाएंगे, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार कालर और पहियों वाले कुछ ट्रैक्टर होंगे। प्रत्येक केन्द्र के साथ एक कारखाना संलग्न होगा। ये कारखाने इस योजना में किराये पर दी जाने वाली मशीनों की मरम्मत कार्य के अतिरिक्त, खर्चा लेकर किसानों के अपने औजारों की मरम्मत का कार्य भी करेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस प्रकार के ट्रैक्टर किराये पर देने वाले 30 केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, अनुभव के आधार पर बाद में इनको बढ़ा दिया जायेगा। केन्द्र द्वारा तैयार की गई और राज्यों को परिचालित एक आदर्श योजना के अन्तर्गत किराये पर मशीन देने वाली एक सम्पूर्ण यूनिट में कृषि मशीन और कारखाने की अनुमानित लागत लगभग 17.87 लाख रुपये होगी।

मशीनरी और इमारतों पर होने वाले विनियोग की राशि का 50 प्रतिशत व्यय सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा केन्द्र द्वारा 50 : 50 के अनुपात में राजकीय कृषि-उद्योग-निगमों की उचित रूप से शेयर पूंजी बढ़ाकर किया जायेगा। पूंजी विनियोग और अन्य पूंजी सम्बन्धी खर्चों का शेष 50 प्रतिशत ये निगमें केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों में से देगी।

यह योजना राजकीय कृषि-उद्योग निगमों के माध्यम से लागू की जायेगी। केन्द्र द्वारा तैयार आदर्श योजना राज्य सरकारों और कृषि उद्योग निगमों को सामान्य मार्ग दर्शन के लिये परिचालित कर दिया गया है और राजकीय कृषि-उद्योग निगमों से यह कहा गया है कि वे मुख्य ध्येयों, तथा उसकी वित्तीय कठिनाइयों को सामने रखते हुए उपयोगी योजनाएं बनाएं। निगमों द्वारा संचालित किराये केन्द्रों के अतिरिक्त, निजी एजेन्सियों को भी इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

चीनी का उत्पादन

1569. श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री यशनारायण सिंह : **श्री शारदा नन्द :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी का उत्पादन बढ़ाने की योजना की क्रियान्विति में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है और कुछ चीनी मिल अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्पादन योजना पूर्णत: क्रियान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख) : चीनी का उत्पादन मुख्यत: चीनी बनाने के लिए चीनी-कारखानों को उपलब्ध किए गये गन्ने पर निर्भर करता है। 1966-67 और 1967-68 के वर्षों में गन्ने की कमी के कारण कुछ चीनी कारखाने अपनी लाइसेंस की पूरी क्षमता पर प्रयोग में नहीं लाए जा सके।

(ग) 1967-68 में सरकार ने गन्ने के क्षेत्र में हो रही कमी को रोकने और चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन करने के उद्देश्य से चीनी की आंशिक विनियंत्रण की नीति अपनाई थी। इस नीति के फलस्वरूप, 1967-68 में चीनी का उत्पादन 22.5 लाख मीटर टन हुआ था जबकि पूर्ण नियंत्रण की दशा में 16 से 17 लाख मीटरी टन की आशा की जा सकती थी। 1968-69 में गन्ने के क्षेत्र में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है जिससे उस वर्ष में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने की सम्भावना है।

समुद्रपार संचार सेवा के कार्यालय में आग लगने की घटना

1570. **डा० सुशीला नैयर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 सितम्बर, 1968 को समुद्रपार संचार सेवा के कार्यालय में आग लग गई थी ;

(ख) क्या इस अग्निकाण्ड की घटना में किसी तोड़फोड़ की कार्यवाही का संदेह है ;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिये आदेश दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री : (श्री इ०कु० गुजराल) (क): 25 सितम्बर, 1968 को नयी दिल्ली में विदेश संचार सेवा के कार्यालय में आग लग गयी थी।

(ख) से (घ) : इस दुर्घटना की जांच की जा रही है तथा इसके विषय में दिल्ली प्रशासन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

कई फसलें उगाना

1571. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कुल कितने एकड़ भूमि में कई फसलें उगाई जाती हैं ;

(ख) इन क्षेत्रों में फसलें उगाने का सामान्य तरीका क्या है ;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था विद्यमान है ; और

(घ) क्या कई फसलें उगाने के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति के ह्रास को रोकने के लिये कोई विशेष सहायता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) देश में अब तक करीब 5.6 करोड़ एकड़ भूमि का एक क्षेत्रफल गुणित फसल के अन्तर्गत लाया गया है।

(ख) देश में शस्यस्वरूप क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न है जो कृषि जलवायव्य परिस्थितिओं पर जैसे भूमि किस्में, सिंचाई की तीव्रता, कृषकों की अभिरुची पर निर्भर है। कुछ शस्यस्वरूप वर्ष में एक से अधिक या दो फसलें उगाने के लिये विकसित किये गये हैं –उदाहरणार्थ

धान, धान –गेहूं
मक्का, धान–गेहूं
मक्का, तिलहन–गेहूं
मक्का, आलू–गेहूं
धान, धान--दालें

(ग) अन्य तथ्यों की बीच गुणित फसल भूमि नमी पर निर्भर है। अत : सिंचित और सुनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्र इस कायक्रर्म के लिये विशेषकर उपयुक्त हैं। किसानों ने, जहां पर्याप्त जल उपलब्ध है, इस जल को स्वीकार करा लिया है।

(घ) नहीं। साधारणत : गुणित फसल के कारण भूमि का ह्रास नहीं होना चाहिये। भूमि की उर्वरता में ताप लाने के लिए उर्वरक और खादों की सिफारिश की है। भूमि की उर्वरता का संरक्षण करने के लिये गुणित फसल कार्यक्रम को दालों को फली फसल के रुप में जो अन्य फसलों के साथ बोई जाती है लागू करने के लिये प्रयत्नों का निदेशन कर दिया है।

रासायनिक उर्वरक

1572. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 की दूसरी तिमाही में विभिन्न राज्यों को वर्ष भर के लिये निश्चित उनके कोटे में से भिन्न-भिन्न प्रकार के कितने-कितने रासायनिक उर्वरक सप्लाई किये गये ; और

(ख) पहले दिये गये वचनों के अनुसार मांग को पूरा करने में यदि कोई असफलता हुई है तो उसके कारण क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सन् 1967-68 की अवधि तथा जुलाई-सितम्बर 1967 की तिमाही के दौरान में राज्य सरकारों की अलाट किये गये उर्वरकों की मात्राओं के बारे में जानकारी

प्रदर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2252/68]

(ख) उर्वरकों के सभंरण में जो कमी हुई उसका कारण उत्पादन में कमी होना और स्वेज नहर का बंद होना था, जिसके कारण उर्वरक लाने वाले जहाजों को घूम का रासउमीद के रास्ते से आना पड़ा और कुछ अड़चनें सामने आई और आयात के माध्यम से होने वाली सप्लाई में देरी हुई। फिर भी राज्य सरकारें अपने बचे हुये स्टाक की सहायता से अपनी 1967 की खरीफ की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल हो गई।

उत्तर प्रदेश में भू-संरक्षण

1573. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में भू-संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश के लिये कितनी धन राशि नियत की गयी थी ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस कार्य पर कितनी धन राशि खर्च की गयी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) : (क) भू-संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 313.70 लाख रु० की धनराशि नियत की गई थी जिसमें से 297.70 लाख रु० राजकीय प्लान योजनाओं के लिए और 16.00 लाख रु० केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के लिए निर्धारित किए गए।

(ख) 258.26 लाख रु० खर्च किए जाने की आशा है जिसमें 243.26 लाख रु० राजकीय प्लान योजनाओं के लिए और 15.00 लाख रु० केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए है।

उत्तर प्रदेश में भूमि बन्धक बैंक

1574. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में उत्तर प्रदेश में ऋण देने तथा बांड जारी करने के सम्बन्ध में भूमि-बन्धक बैंकों का क्या कार्यक्रम है ; और

(ख) वर्ष 1967-68 में इन बैंकों को कितनी राशि की सहायता दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1968-69 में उत्तर प्रदेश के भूमि विकास बैंकों के लिए साधारण ऋण-पत्रों के माध्यम से 21 करोड़ रुपए के और विशेष ऋण-पत्रों के अन्तर्गत 6 करोड़ रुपए के ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1968-69 में उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा साधारण ऋण-पत्र जारी करने का साहाय्यित कार्यक्रम, जो कि फरवरी, 1968 में रिजर्व बैंक द्वारा बुलाई गई बैठक में अनुमोदित किया गया हैं, 10 करोड़ रुपए का है।

(ख) 1967-68 में राज्य सरकार ने निम्नलिखित सहायता दी :—

(1) उपदान	—	2, 31, 265. 55 रु०
(2) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के ऋण-पत्रों में राज्य सरकार द्वारा लगाया गया धन	—	503. 95 लाख रुपए.

1967-68 में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 208. 30 लाख रुपए की ऋण-सहायता दी ताकि वह भूमि विकास बैंक के ऋण-पत्रों में धन लगा सके।

हरियाणा को केन्द्रीय पूल से गेहूं की सप्लाई

1575. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय पूल से गेहूं की सप्लाई को बढ़ा कर प्रति मास 20,000 टन करने की मांग की है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने चीनी के कोटे में भी वृद्धि करने का अनुरोध किया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कोटे में वृद्धि की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) हरियाणा सरकार जनसंख्या के आधार पर चीनी का कोटा आवंटित करने के लिए कहती रही है।

(ग) जहां तक गेहूँ का सम्बन्ध है, हरियाणा एक अधिशेष राज्य होने और केन्द्रीय पूल में गेहूं की सीमित उपलब्धि को देखते हुये राज्य सरकार को अपने ही स्टाक से अपनी जरूरतें पूरी करने की सलाह दी गयी है। हरियाणा में रोलर फ्लोर मिलों को अन्य राज्यों की भांति केन्द्रीय पूल से गेहूं का आवंटन किया जा रहा है।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है नवम्बर, 1967 में चीनी की आंशिक विनियन्त्रण की नीति के कारण और उत्पादन का केवल 60 प्रतिशत निर्धारित मूल्यों पर अधिप्राप्त करने के निर्णय के परिणामस्वरूप, सभी राज्यों के मासिक कोटों में आंशिक विनियन्त्रण की नीति लागू करने से पूर्व उनके कोटों में समान अनुपात में कटौती की गयी थी। अतः कोटा बढ़ाने सम्बन्धी हरियाणा सरकार की प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं था। तथापि, जनसंख्या के आधार पर त्यौहारों आदि के लिए अतिरिक्त कोटे आवंटित किए गए हैं।

पंजाब में खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि

1576. श्री श्रीचन्द्र गोयल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में हाल के सप्ताहों में खाद्यान्नों के मूल्य तेजी से बढ़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) पंजाब में प्रमुख खाद्यान्नों के मूल्य में कुछ मोसमी बढ़ोत्तरी हुई थी। तथापि, नवम्बर से नई खरीफ की फसल के मंडियों में आने से मूल्य या तो स्थिर हो गये है अथवा उनमें गिरावट की प्रवृत्ति आयी है।

(ख) उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न सुलभ करने के लिए पंजाब सरकार ने सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से देशी गेहूं, गेहूं के आटे तथा चावल की बिक्री शुरु की थी।

मतदाताओं के लिए मुफ्त प्रवहण

1577. श्री श्रीचन्द्र गोयल :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने यह सिफारिश की है कि अभ्यर्थियों द्वारा मतदाताओं को गाड़ियों में मुफ्त ले जाना सज्ञेय अपराध घोषित किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1966 में इस प्रयोजन के लिए उपबन्ध किया गया था, किन्तु, संसद् की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा वह निकाल दिया गया।

पश्चिमी बंगाल में शरणार्थियों का पुनर्वास

1578. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1963 के बाद पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आये नये शरणार्थियों के 1,20,000 परिवारों को अभी तक बसाया नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिवार कितने हैं;

(ग) कितने परिवारों को बसाया जा चुका है;

(घ) क्या सरकार ने अब तक न बसाये गये परिवारों को बसाने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इन परिवारों को बसाने की इच्छा प्रगट की है; और

(च) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क),(ख) और (च): जब जनवरी, 1964 में नये प्रवाह का आरम्भ हुआ, तो पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से एक कार्यनीति के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले ही स्थिति अधिकतम सीमा तक पहुंच चुकी थी, इसलिये केवल ऐसे नये प्रव्रजकों को पुनर्वास सहायता दी जायेगी जो इस प्रयोजन के लिये पश्चिम बंगाल से बाहर जाने के लिये सहमत हों। इन नये प्रव्रजकों में से कुछ उस राज्य से बाहर चले गये थे और उन्हें पुनर्वास सहायता दे दी गई थी। तथापि, उनमें से बहुत से व्यक्तियों ने रहने के लिये पश्चिम बंगाल को ही चुना। ऐसे नये प्रव्रजकों की संख्या के बारे में परिशुद्ध जानकारी उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगभग 6 लाख है। विषय पर उपरोक्त निर्दिष्ट कार्य नीति के निर्णय के अनुसार वे नये प्रव्रजकों परिवार, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को ही बसने के लिये चुना था, पुनर्वास सहायता के लिये योग्य पात्र नहीं समझे जाते हैं।

राज्य सरकार ने हाल में ही स्थिति का पुनर्विलोकन किया है और यह मत प्रकट किया है कि क्योंकि बहुत संख्या में नये प्रव्रजक पश्चिम बंगाल में ही रह रहे थे और उनके वहां से बाहर जाने की संभावना नहीं है, इसलिये वर्तमान पुनर्वास सहायता की नीति पर पुनर्विचार किया जाये और इन नये प्रव्रजकों को भी जहां कहीं भी आवश्यक हो पुनर्वास सहायता दी जाये। उन्होंने यह मत भी प्रकट किया है कि यह पुनर्वास सहायता केवल गैर-कृषक परिवारों तक ही सीमित रखी जाये और नये कृषक परिवारों को जो कुल संख्या का लगभग 25 प्रतिशत भाग है, राज्य से बाहर कृषि परियोजनाओं में पुनर्वास सहायता की पेशकश की जाय। भारत सरकार को राज्य सरकार के इस मत से सहमति है कि राज्य में रहने वाले इन नये प्रव्रजकों के सम्बन्ध में वर्तमान नीति के पुनर्विलोकन की आवश्यकता है। राज्य सरकार के परामर्श से आवश्यकता ग्रस्त परिवारों के लिये पुनर्वास का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) : नये प्रव्रजकों के पुनर्वास के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से वार्तालाप हुआ था और उन्होंने पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लगभग 37 हजार नये प्रव्रक परिवारों को जिनमें वे परिवार भी सम्मिलित है जो कि पश्चिम बंगाल में आये थे और जिन्होंने उस राज्य से बाहर शिविरों में प्रवेश प्राप्त कर लिया था, दण्डकारण्य परियोजना तथा अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह की परियोजनाओं सहित असम, नेफा, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के राज्यों में बसाया गया है।

जीवन बीमा निगम में छटनी

1579. **श्री अदिचन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के जीवन बीमा निगम में स्वचालित संगणकों के लगाये जाने के बाद कर्मचारियों की सम्भावित छंटनी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों के फालतू घोषित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) भारत के जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनें लगाए जाने के परिणामस्वरूप किसी संभावित छंटनी की सरकार को जानकारी नहीं है। निगम ने अनेक बार आश्वासन दिया है कि इस वजह से कर्मचारियों की कोई छंटनी या उनके वेतन में कोई कमी नहीं होगी।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों का दिल्ली प्रशासन द्वारा पुनर्वास

1580. श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबकि विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में बसाये जाने वाले बर्मा से स्वदेश लौटे शरणार्थियों को 5,000 रुपये तक पुनर्वासन ऋण दिये हैं, दिल्ली प्रशासन ने इन शरणार्थियों को केवल 2,000 रुपये के ऋण दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन द्वारा शरणार्थियों को दिये जाने वाले पुनर्वास ऋणों की राशि निर्धारित करने की कसौटी क्या है और इस अन्तर के क्या कारण हैं;

(ग) बर्मा से स्वदेश आने वाले कितने शरणार्थियों को दिल्ली में बसाया गया है और कितने शरणार्थियों को अभी तक बसाया नहीं गया; और

(घ) विभिन्न प्रकार से उनके पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन ने सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) और (ख): बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों को दिल्ली तथा अन्य राज्यों में स्वीकार्य पुनर्वास सहायता में कोई असमानता नहीं है। अगस्त, 1966 में सहायता की सीमा को 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक बढ़ाने के पश्चात दिल्ली प्रशासन भी प्रत्येक परिवार को व्यापार के लिये 5 000 रुपये तक का ऋण मंजूर कर रहा है। ऋण की मात्रा प्रत्येक मामले के गुणों पर आधारित है।

(ग) दिल्ली में बर्मा से लौटे भारतीयों के 474 परिवार पंजीकृत किये गये हैं। इनमें से, 282 व्यक्तियों ने व्यापार ऋण के लिये आवेदनपत्र भेजे थे। उनमें से 143 व्यक्ति योग्य पात्र पाये गये थे। 124 व्यक्तियों को ऋण मंजूर कर दिये गये हैं। 100 व्यक्तियों को भुगतान

किया जा चुका है और शेष को शीघ्र ही भुगतान किये जाने की सम्भावना है। शेष आवेदन-पत्र दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

(घ)	व्यापार के लिये ऋण	1,81,700	रुपये।
	नकद अनुदान	2,099	रुपये।

Supply of Tractors to M.P.s

1581 Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently some Members of Parliament who are directly concerned with agriculture suggested to Government to supply them tractors for their use; and

(b) if so, the reasons for which no decision could be taken in this respect so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b): Yes, Sir. The Government has considered the suggestion and decided not to alot any priority in the supply of tractors to individuals including M.Ps. Under the existing rules, tractors are supplied to individuals on the basis of "first-cum-first-served."

Complaints against M/s. Gopi Mal & Co., Bulandshahar

1582. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. Gopi Mal and Company of Bulandshahar have been appointed by the Food Corporation to purchase foodgrains on behalf of Government;

(b) whether it is also a fact that the respectable persons of the city have sent complaints to the State Government against the said Company levelling against them the charges of weighing less in the wholesale trade of Rationed Atta and black marketing, which are being investigated; and

(c) if so, the reasons for appointing such a company as Government's agent ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c): Certain allegations were made against this firm and an enquiry was made by the U.P. Government. The enquiry revealed that sufficient evidence was not available to prove the charges levelled against the firm.

Blackmarketing in Rationed Flour by a Firm in Bulandshahar

1583. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have obtained detailed information about complaints of blackmarketing in the disposal of rationed flour in wholesale market against M/s. Gopi Mal and Co., Bulandshahar;

(b) if so, the details of the said enquiry; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The O. C. Food & Civil Supplies, Bulandshahar has reported that sufficient evidence was not forthcoming to prove the charges levelled against the dealer and that the irregularities mentioned by the District Supply Officer in his preliminary report were not so serious as to justify cancellation of the licence.

(c) Does not arise.

Gosadans Run by Central Gosamvardhan Council

1584. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Gosadans being run by the Central Gosamvardhan Council in the Country;

(b) the details of the annual expenditure in the said Gosadans during the last three years;

(c) the number of cows auctioned from these Gosadans during the last two years;

(d) whether it is a fact that the said cows are auctioned to the butchers who possess false certificates of their being farmers; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Two.

(b)

Year	Expenditure
1965-66	Rs. 1,39,730
1966-67	Rs. 1,56,495
1967-63	Rs. 1,45,186
Total. Rs.	4,41,411

(c) 1,853 animals.

(d) Cattle are sold by auction to farmers for realing on production of certificates from the Sarpanch/Livestock Officer of their areas that they have means for keeping useful animals.

(e) Does not arise.

भूदान तथा ग्रामदान आन्दोलन का भूमि सुधारों पर प्रभाव

1585. श्री ओमप्रकाश त्यागी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोदय द्वारा आरम्भ किये गये भूदान अथवा ग्रामदान आन्दोलन का भारत की भूमि सुधार योजना पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो आन्दोलन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की संख्या कितनी है और वे किस प्रकार प्रभावित हुए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) भूदान और ग्रामदान सर्वोदय आदर्शों पर आधारित हैं और ये भूदान तथा भू-प्रबन्ध के लिए पूर्णरूप से स्वैच्छिक गैर-सरकारी अभियान हैं। भूदान और ग्रामदान अभियानों ने भूमि-सुधार के प्रगतिशील उपायों की क्रियान्विति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में काफी सहायता दी है। इस अभियान का एक विशेष महत्व है क्योंकि यह भूमिहीन कामिक को कृषक के रूप में खेती करने का एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जो कि अन्यथा उसे सरलता से प्राप्त न होता। ग्रामदान विभिन्न प्रकार के सामूहिक प्रबन्ध तथा खेती में परीक्षणों के लिए भी अवसर प्रदान करता है। पता चला है कि भूदान और ग्रामदान में क्रमशः लगभग 42.6 लाख एकड़ भूमि और 37.775 ग्राम प्राप्त हुये हैं।

Imposition of Ban on Strikes in Essential Services

1586. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether Government propose to impose a permanent ban on strikes in all the essential services;

(b) whether Government also propose to make a provision for reference of the demands of the employees of all essential services to a tribunal for decision and also to accept the principle that a decision of the tribunal would be binding on both the parties; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No such proposal is under Government's consideration at present.

(b) and (c): Provisions already exist in the Industrial Disputes act, 1947 enabling reference of industrial disputes to adjudication and enforcement of the awards of Industrial Tribunals.

Rehabilitation of Refugees in Andaman and Nicobar Islands

1587. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the total number of Islands in Andaman and Nicobar Group of Islands and the total number of refugees proposed to be settled there; and

(b) the number of Islands where refugees have been settled and the number of refugees settled in each Island ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) : According to the latest survey there are 348 known islands

in the Andaman and Nicobar Group of Islands. 364 families comprising migrants from East Pakistan, Repatriates from Burma and Ex-servicemen are programmed to be moved to the Islands during the current working season. About 2000 families are proposed to be moved during the Fourth Plan period. However, movement of families to the Islands will depend on the provision of landing facilities, clearance of land, soil survey and setting up of other infrastructure.

The families have been settled in the following islands :--

1.	North Andaman	1348	
2.	Smith Island	25	
3.	Middle Andaman	1179	(339 families started cultivation in 1968 only)
4.	Baratang	143	
5.	Havelock	181	
6.	South Andaman	324	
7.	Neil	86	(They started cultivation in 1968 only)
		3286	

राज्य कृषि श्रमिक सम्मेलन, केरल

1588. श्री ए० श्रीधरन : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 सितम्बर, 1968 को चेंगाचेरी, केरल में हुए राज्य कृषि श्रमिक सम्मेलन में अनुमोदित 14 मांगों वाली सूची की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग): इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से है ।

बिहार में रासायनिक उर्वरक की उपलब्धि

1589. श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय रसायन उर्वरक की प्रति एकड़ उपलब्धि कितनी है; और

(ख) यह उपलब्धि अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख): राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) डिवीजन को उर्वरकों की सप्लाई

1590. श्री रा० कृ० सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में फैजाबाद डिवीजन के जिलों को कितनी मात्रा में उर्वरक सप्लाई किया गया; और

(ख) क्या इस क्षेत्र के कृषकों को और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने का प्रोत्साहन देने के लिए कोई राजकीय सहायता (सबसिडी) दी जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद प्रभाग के लिए पूल्ड उर्वरकों की निम्न-लिखित मात्रायें अलाट की थी :—

(आंकड़े मीटरी टनों में)

जिले का नाम	अलाट की गई मात्रा
फैजाबाद	646
गोंडा	2206
बहराइच	1506
सुलतानपुर	3312
प्रतापगढ़	2136
बारहबंकी	3875

(ख) कोई उपदान नहीं दिया जाता।

मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधायें

1591. श्री दे० वि० सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कुल कितने एकड़ भूमि में खेती होती है;

(ख) इसमें कितनी भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं और कितनी भूमि के लिये वर्षा पर निर्भर करना पड़ता है;

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने यदि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और 1968–69 में कार्यान्विति के लिये छोटी सिंचाई योजनायें भेजी हैं तो उनका ब्यौरा क्या है और उनके अनुसार कितनी भूमि के लिये सिंचाई व्यवस्था होगी; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कार्यान्वित होने वाली अथवा क्रियान्वित की गई सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कितनी भूमि के लिये सिंचाई व्यवस्था हो जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस मंत्रालय में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 1966–67 में कृषि के अन्तर्गत कुल 183–36 लाख हैक्टेयर का क्षेत्र था।

(ख) 1966-67 के अन्त में सिंचित क्षेत्र 10.90 लाख हैक्टेयर्स था जो कि कुल बोये गये क्षेत्र का 6.3 प्रतिशत है। अतः 1966-67 में 93 7 प्रतिशत बोये गये क्षेत्र में उपयुक्त सिचाई के साधनों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

(ग) राज्य सरकार ने अपना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) के प्रस्तावों में राज्य में लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजन क्षेत्र में 50.00 करोड़ रु० के व्यय का प्रस्ताव किया है जिस पर हाल ही में खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय कार्यवाही दल द्वारा भी विचार विमर्श किया गया है। इस राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा गैर-सरकारी लघु सिंचाई कार्यों की वित्तीय सहायता देने के लिये संस्थागत क्षेत्र एजेंसियों जैसे भूमि बन्धक बैंक, कृषि वित्त निगम; कृषि उद्योग निगम और केन्द्रीय सहकारी बैंकों से 80 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध की जायेगी।

उपर्युक्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के साथ-साथ राज्य सरकार ने निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रस्ताव किया है :—

(1)	खोदे गये कुवें	1,00,000 संख्या
(2)	नल कूप	11,500 ,,
(3)	बिजली के पम्प	80,000 ,,
(4)	डीजल के पम्प	14,000 ,,
(5)	रहट	76,000 ,,
(6)	कुवों का छिद्रीकरण	9,735 ,,
(7)	कुवों को गहरा करना	85,120 ,,

उपर्युक्त के अतिरिक्त नर्मदा घाटी में 62 गहरे नल कूपों की खुदाई की भी व्यवस्था है।

उपर्युक्त आयोजनाओं के कार्यान्वित हो जाने पर कुल 12.82 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र के लाभान्वित होने की संभावना है।

राज्य सरकार ने 1968-69 में 850.00 लाख रुपये की राशि के व्यय की लघु सिंचाई आयोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, जिनके लक्ष्य निम्न हैं :—

(1)	डीजल पम्पसेट	285 संख्या
(2)	बिजली के पम्पसेट	3,000 ,,
(3)	रहट	800 ,,
(4)	कुवों का छिद्रीकरण	76 ,,
(5)	कुवों को गहरा करना	8,000 ,,

इसके अतिरिक्त कृषकों को 10,000 कुवों के निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा योजना निधि से ऋण और उपदान भी प्रदान किये जायेंगे। कृषकों द्वारा 7,200 कुवों के निर्माण के लिये एपेक्स मार्केट बैंकों से ऋण-पत्र क्रय करने के लिये राज्य सरकार ने 100.00 लाख रु० की भी व्यवस्था की है। इस प्रकार निर्मित किये जाने वाले खुले कुवों की कुल संख्या 17,200 हो जायेगी। 53 पूर्व संचालित लघु सिंचाई आयोजनाओं के पूर्ण होने की

आशा है, 1966-67 और 1967-68 में प्रारम्भ की गयी 84 लघु सिंचाई आयोजनाओं पर कार्य होता रहेगा। 35 नल कूपों को भी बिजली दी जाने की संभावना है।

उपर्युक्त आयोजनाओं द्वारा 1968-69 में 1.77 लाख अतिरिक्त क्षेत्र के लाभान्वित होने की आशा है।

(घ) मध्य प्रदेश में वृहत मध्यवर्गी सिंचाई परियोजनाओं की कुल सिंचाई क्षमता 130.00 लाख एकड़ की गयी है। इन आयोजनाओं द्वारा 1968-69 के अन्त तक 11 लाख एकड़ की क्षमता प्राप्त हो जायेगी।

प्रथम तीन परियोजनाओं में प्रारम्भ की गई आयोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर 38.90 लाख एकड़ की क्षमता प्राप्त होगी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार के वृहत। मध्यवर्गी सिंचाई आयोजनाओं सम्बन्धी प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल

1592. श्री दे० वि० सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे के कारण इस वर्ष देश में आशा से कितनी कम फसल हुई है और मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में इस बारे में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में तथा समूचे देश में वसूली के लक्ष्य कम होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सूखे की स्थिति या बाढ़ों से हुई क्षति से 1968-69 में उत्पादन में होने वाली कमी का कोई ठीक-ठीक संकेत देना अभी जल्दबाजी होगी।

(ख) कृषि मूल्य आयोग ने देश के लिए खरीफ के अनाजों की अधिप्राप्ति का लक्ष्य 57 लाख मीटरी टन और मध्य प्रदेश के लिए 5.25 लाख मीटरी टन अभिस्तावित किया था। सितम्बर, 1968 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श के बाद देश के लिए खरीफ के अनाजों की अधिप्राप्ति का लक्ष्य 43 लाख मीटरी टन और मध्य प्रदेश के लिए 3.50 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2253/68]**

अन्दमान में आरा मिलें

1593. श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री गणेश घोष** :
श्री मोहम्मद इस्माइल : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 19 अगस्त, 1968 को अन्दमान प्राइवेट आरा मिल्स ऐसोसियेशन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। अन्दमान प्राईवेट सा मिल्स एसोसिएशन की ओर से मंत्रालय को 22-8-68 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) उनकी मुख्य मांग है कि उन्हें रायल्टी की रियायती दरों पर वनों से लकड़ी काटने के लिये वनों के टुकड़े दिये जायें।

(ग) अन्दमान प्रशासन के परामर्श में इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

Land Distribution in U. P. Under Ceiling on Land Holdings Act

1594. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6471 on the 29th August, 1968 and state :

(a) the particulars of surplus land under the Imposition of Ceiling on Land Holdings Act taken over by Government and that of the area settled in Bihas, acres or hectares;

(b) the details of the remaining districts other than 48 districts;

(c) the reasons for not showing the names, designations and the addresses of the persons who have been given lands, district-wise, and

(d) whether the names and addresses of the persons amongst whom the land is distributed, are not entered into the official documents district-wise, and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :(a) to (d) : The information is being collected.

Crime Cases Relating to Food Department, U. P.

1595. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6472 on the 29th August, 1968 regarding Crime Cases relating to Food Department, U. P. and state :

(a) whether information in regard to part (a) of the aforesaid question has since been collected; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b): In reply to part (a) of Unstarred Question No. 6472 on the 29th August, 1968 an assurance was given and that assurance was later fulfilled on 7-11-1968. A copy of the Statement placed in fulfilment of the said assurance is laid on the Table. [Placed in Library see. No. LT-2254/68]

Study of Prob'em of Farmers

1 96. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2079 on the 1st August, 1968 and state :

(a) the details regardi g the ad hoc studies made by Uttar Pradesh Krishak Samaj in case no regular study has been made by it of the problems of farmers;

(b) the details regarding the general work in the absence of any special work being done by Uttar Pradesh Krishak Samaj for the male and female farmers;

(c) the type of assistance rendered by the said institution to U. P. State Agro-Indus trial Corporation, Panchayat Raj Institutions and agricultural schools and colleges;

(d) the broad outlines of the general suggestions made by the conference which were sent to Government and Bharat Krishak Samaj for consideration; and

(e) the reasons for which it has not been possible to obtain the details regarding district-wise amounts collected and spent by this organisation and information abot t its sittings, symposia and exhibitions held ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) to (e): The required information is not readily available with the Government of U.P. It is being collected by the State Government from the U. P. Krishak Samaja and will be placed on the Table of the Sabha when received.

Delegations Sent Abroad by the U. P. Krishak Samaj

1597. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2079 on the 1st August, 1968 and state :

(a) the names, designations and addresses of members of the delegations sent to U. S. A. and German Democratic Republic so far by the Uttar Pradesh Krishak Samaj and received from those countries on reciprocal basis;

(b) the studies made by them and the objects for which the studies were made and whether a copy of the result of the studies would be laid on the Table; and

(c) if so, by when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c): The required information is not readily available with the Government of Uttar Pradesh. It is being collected by the State Government from the U. P. Krishak Samaj and will be placed on the Table of the Sabha when received.

Trade Unions in Punjab, Bihar and West Bengal

1598. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of trade unions functioning at present in Punjab, Bihar and West Bengal;

(b) total number of members of each trade union as in March, 1968;

(c) whether accounts are maintained by them and audited; and

(d) whether these trade unions submit their annual statements in time as stipulated under section 28 of the Trade Union Act, 1926 ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) to (d) : Information is not readily available.

खाद्यान्नों का निर्यात

1599. श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री देवकीनंदन पाटोदिया;**
श्री पें० वेंकटासुब्बया : **श्री सीताराम केसरी :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा कुछ अपरिपक्क अनुमानों के अनुसार भारत 1971-72 तक खाद्यान्नों के निर्यात करने की स्थिति में हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इन अपरिपक्क अनुमानों का आधार क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख): कृषीय उत्पादन योजनायें इस आधार पर बनाई जा रही हैं कि 1970-71 के पश्चात हम रियायती दरों पर खाद्यान्नों के आयात के लिये प्रार्थना नहीं करेंगे। उसके पश्चात हम इस योग्य बनने की योजना बना रहे हैं कि हम खाद्य की समस्या का आयात निर्यात का उसी वर्ष में या कुछ वर्षों में संतुलन करके प्रबन्ध कर सकें। अभी तक चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कृषि क्षेत्र के लिये पूंजी लगाने के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है अतः यह कहना संभव नहीं है कि नियमित निर्यात के लिये खाद्य उत्पादन निरन्तर रूप से फालतू रहेगा या नहीं।

मनीपुर में उर्वरकों का उपयोग

1600. श्री एम० मेघचंद्र : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में मनीपुर में कितनी मात्रा में उर्वरकों का उपयोग किया गया और उसी वर्ष के लिये उर्वरकों का कितना कोटा नियत किया गया; और

(ख) वर्ष 1968 में मनीपुर में अधिक उपज देने वाले बीजों का कितना उपयोग किया गया और प्रत्येक किस्म का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख): संघीय राज्य क्षेत्र से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र में चीनी मिलें

1601. श्री देवराव पाटिल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल और बुलडाना जिले में चीनी मिलें स्थापित किये जाने के आवेदन पत्रों पर विचार कर लिया है :

(ख) क्या सरकार ने उक्त मिलों के लिये लाइसेंस जारी कर दिये हैं; और

(ग) मिलों पर लागत का अनुमान क्या है और मिलों में चीनी का उत्पादन कितना होगा ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख): जी हां । नये सहकारी चीनी कारखाने एक यवतमाल जिले के पुसद तालुक और दो बुलडाना जिले में सिन्धखेद राजा और कर्दीघाद में स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु तीन आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे । पुसद और सिन्धखेद राजा क्षेत्रों के दो आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं जबकि कर्दीघाद का आवेदन-पत्र चीनी कारखाना लगाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।

(ग) प्रतिदिन 1250 मीटरी टन गन्ना पेरने की क्षमता के नये चीनी कारखाने को लगाने की अनुमानित लागत लगभग 2.2 करोड़ रुपये हैं और उसकी वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता लगभग 20,000 मीटरी टन है ।

सहकारी समितियों का प्रबन्ध

1602. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को हिदायत दी गई थी कि वे अपने सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करें ताकि समाज के कमजोर वर्ग को प्रबन्ध बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जा सके और गैर-सरकारी ऋण देने वाले महाजनों को सहकारी समितियों के सदस्य बनने से रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख): दिए गए सुझावों के बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है ।

अन्नपूर्णा कैफेटेरिया, नई दिल्ली

1603. श्री सीताराम केसरी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् द्वारा चलाया जा रहा अन्नापूर्णा कैफेटेरिया बन्द हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कैफेटेरिया को पुनः चालू करने में परिषद् की सहायता करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) कैफेटेरिया चलाने के लिए कौंसिल को सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन

1604. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर, पश्चिमी बंगाल की हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अन्तर्गत है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर के स्थानीय निदेशक ने कहा था कि 3 सितम्बर, 1968 की रात को दुर्गापुर इस्पात कारखाने में होने वाली गम्भीर घटना तोड़-फोड़ की घटना थी ;

(ग) क्या उक्त निदेशक ने इस तोड़-फोड़ की घटना का आरोप इन्टक यूनियन के कुछ कार्यकर्ताओं पर लगाया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन, दुर्गापुर के कर्मचारियों के बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है ; और

(ङ) यदि उक्त भाग (क), (ख), (ग) तथा (घ): के उत्तर सकारात्मक हैं तो हिन्दुस्तान स्टील के अधिकारियों द्वारा हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन की मान्यता को वापस न लेने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) यह यूनियन राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से सम्बद्ध है।

(ख) जी, हां !

(ग) जी, नहीं !

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक यूनियन की सहायता का सत्यापन किए जाने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(ङ) (ख) में निर्दिष्ट घटना संबंधी मामला इस समय राज्य मूल्यांकन और क्रियान्विति प्राधिकारी के समक्ष है।

जमा भण्डारों का पकड़ा जाना।

1605. **श्री लोबो प्रभु :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ क्षेत्रों में अभाव के समाचारों को समाचारपत्रों में बढ़ा चढ़ा कर देने से जिन से जमाखोरी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) फसल काटने के समय के मूल्य तथा चालू मूल्यों में भारी अन्तर को देखते हुए यदि व्यापारियों तथा बड़े भू-स्वामियों के पास जमा भण्डारों का पता लगाने के लिये अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का कोई प्रयोग किया गया है तो कहां तक ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस देश में प्रेस वस्तु स्थिति छापने और विचार अभिव्यक्त करने के लिए स्वतन्त्र है । तथापि, दो प्रेस सम्मेलनों एक 11 अक्तूबर, 1968 को जयपुर और दूसरा 15 अक्तूबर को दिल्ली में मैंने उनसे अपील की थी कि देश के कुछ भागों में कमी की स्थिति का उनका मूल्यांकन वस्तुपरक और निष्पक्ष होना चाहिए अन्यथा कमी का एक मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा हो जाएगा जो कि कमी सम्बन्धी सहायता से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के समाधान में बाधक होगा ।

(ख) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अधीन खाद्यान्न व्यापारियों पर लाइसेंसिंग नियन्त्रण प्रणाली पहले से ही लागू है । इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए आदेशों में व्यापारियों द्वारा स्टाक, बिक्री, खरीदारी और हिसाब-किताब के लेखे का नियतकालिक विवरण प्रस्तुत करने का प्राविधान है । पश्चिमी बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने खाद्यान्नों की मुनाफाखोरी और जमाखोरी रोकने के लिए अधिनियम के अधीन आदेश जारी किए हैं ।

छिड़काव सिंचाई योजना

1606. श्री पें० वेंकटासुब्बा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिये कोई छिड़काऊ योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आलू के सम्बन्ध में पानी की मितव्ययिता के लिये बौछारक पद्धति की क्षमता पर एक प्रारम्भिक अध्ययन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किया गया है जिसका खर्चा अनुसंधान योजना के अन्तर्गत भारतीय कृषि । अनुसंधान परिषद ने वहन किया है ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अनुसंधान सम्बन्धी योजनायें भी बनाई जा रही हैं ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सन्दर्भान्तिर्गत योजना के अन्तर्गत किये हुये अध्ययन के परिणाम प्राप्त कर लिये हैं । ये परिणाम प्रदर्शित करते हैं कि बौछारक सिंचाई पद्धति के साथ पानी की क्षमता उच्चतम है । खूड़ सिंचाई की तुलना में इसने 21 प्रतिशत पानी के बचाव का परिणाम प्रदर्शित किया है ।

देखा गया था कि बौछारक पद्धति के स्थापन एवं संरक्षण का व्यय खूड़ सिंचाई से कुछ अधिक है। लेकिन बचाये हुये पानी की भी कीमत को ध्यान में रखते हुये मितव्ययिता का लम्बी अवधि तक अध्ययन किया जाना चाहिये ।

दूरसंचार के सामान का निर्माण

1607. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री प्र० के० देव :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन सैटों के अतिरिक्त दूरसंचार का सामान बनाने के लिये अधिक कारखाने स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कारखाने स्थापित करने का विचार है और ये कारखाने कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) उन पर कितना व्यय होने की संभावना है ;

(घ) प्रस्ताव को क्रियान्वित करने पर कितना समय लगने की सम्भावना है ; और

(ङ) उसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिये एक नया कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) एक । इस कारखाने की स्थापना के स्थान के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिये बनने वाले नये कारखाने की अनुमानित पूंजीगत लागत लगभग 2 करोड़ 45 लाख रु० होगी ।

(घ) यह कारखाना शीघ्र ही स्थापित हो जाने की आशा है ।

(ङ) इस नये कारखाने द्वारा अपनी स्थापना के प्रथम पांच वर्षों में 15.5 करोड़ रुपये मूल्य के, लम्बीदूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण की संभावना है तथा यह इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, बंगलौर के इसी प्रकार के उपस्कर के उत्पादन में वृद्धि करेगा ।

पूर्वी यूरोप के देशों से आयातित ट्रैक्टरों का वितरण

1608. श्री एम० नारायण रेड्डी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों से आयातित ट्रैक्टरों के वितरण के बारे में सरकार की नीति विभिन्न राज्यों में कृषि उद्योग निगम के माध्यम से वितरण करने की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नीति अपनाने के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को निजी व्यापारियों की कठिनाइयों की जानकारी है जो अब तक अपने विशेषज्ञों के माध्यम से विक्रय और मरम्मत इत्यादि की व्यवस्था से यह कार्य दक्षतापूर्वक कर रहे थे ; और

(घ) क्या सरकार कृषि उद्योग निगम के साथ साथ निजी व्यापारियों को भी कार्य करने देने की वांछनीयता पर विचार करेगी ताकि दोनों क्षेत्र प्रतियोगिता द्वारा प्रभावी रूप में कार्य कर सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, ।

(ख) और (ग) : किसानों से चोर बाजारी के बारे में और अनेक अन्य अनाचार जो गैर-सरकारी व्यापारियों ने ट्रैक्टर एवं फालतू हिस्सों के वितरण में किये हैं के विषय में शिकायतें हैं । इसके अतिरिक्त बुक किये हुये आर्डरों के प्रति डिलीवरी देने में असाधारण देर लगने के भी मामले हैं ।

यह इस दृष्टि से था कि किसानों को ट्रैक्टरों का न्यायुश्य वितरण सुनिश्चित हो और तर्कसंगत कीमत और समय पर हों । इस लिये सरकार ने निश्चय किया कि आयातित ट्रैक्टरों का वितरण विभिन्न कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से किया जाये ।

(घ) क्योंकि आयातित ट्रैक्टरों का वितरण सरकार द्वारा निश्चित कीमतों पर किया जाता हैं, उन की बिक्री में प्रतियोगिता आती ही नहीं । बिक्री के पश्चात् मरम्मत के सम्बन्ध में कृषि उद्योग निगम निस्सन्देह समुचित व्यवस्था करेगें जिस में गैर-सरकारी व्यापारियों के साथ सर्विस सुविधायें भी उपलब्ध होंगी ।

मछली पकड़ने के लिये माल्पे पत्तन का विकास

1609. श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया की एक फर्म के सहयोग से मछली पकड़ने के उद्देश्य से माल्पे पत्तन के विकास की योजना को कार्यरूप देने की दिशा में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) अब यह मामला केन्द्रीय सरकार तथा मैसूर सरकार के बीच किस स्थिति में है ;

(ग) क्या इस पत्तन के विकास का प्रश्न चतुर्थ योजना में शामिल कर लिया गया है ; और

(घ) यूगोस्लाविया की फर्म द्वारा पत्तन के विकास के लिये कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे योजनाएं तथा अनुमान ब्यौरे सहित भेजें।

(ख) योजनाओं तथा अनुमानों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) देश में मछली पकड़ने के लिये पत्तनों के विकास के लिये 17 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। चौथी योजना में छोटी बन्दरगाहों में सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये 6 करोड़ रुपये के अस्थायी परिव्यय की व्यवस्था में माल्पे बन्दरगाह की परियोजना भी शामिल है।

(घ) यूगोस्लाविया की फर्म ने ग्रारंभ की रिपोर्ट दी थी उसके लिये भुगतान कर दिया गया है। परियोजना की कार्यान्विति के बारे में ब्यौरे सहित सुझाव अभी मिलने हैं।

श्रमिकों की शिक्षा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

1610. **श्री एस० नारायण रेड्डी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्थापित श्रमिकों की शिक्षा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज दी है।

(ख) सरकार को इस विषय पर आयोग की सिफारिशें अभी प्राप्त होनी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनाज का रक्षित भंडार।

1611. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने इस वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में अनाज का रक्षित भण्डार बनाया है और स्टाक केन्द्र कहां है ;

(ख) यदि हां, तो इस रक्षित मण्डार में कुल कितना अनाज है ;

(ग) इसमें किस किस किस्म का अनाज है और उनकी अलग अलग कितनी मात्रा है ;

(घ) रक्षित भण्डार में अनाज देने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ङ) रक्षित भण्डार में कितनी मात्रा में अनाज जमा करने का लक्ष्य था ;

(च) इस लक्ष्य को अब से कितने समय में प्राप्त करने की सम्भावना है ;

(छ) इस के रखरखाव पर प्रति वर्ष कितना खर्च होने की सम्भावना है ; और

(ज) ऐसे कारणों से जो मानवीय नियन्त्रण के बाहर हैं, प्रति वर्ष अनुमानत : कितना अनाज नष्ट होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों का बफर स्टाक तैयार किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर, अधिप्राप्ति और संचयन के लिए कुछ राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार की मुख्यतः एजेन्सी के रूप में कार्य करता है।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास अक्तूबर, 1968 के अन्त में खाद्यान्नों का वास्तविक स्टाक 32.7 लाख मीटरी टन था जिसमें 6.5 लाख मीटरी टन चावल, 21.6 लाख मीटरी टन गेहूं और 4.6 लाख मीटरी टन मोटे अनाज शामिल हैं। ये स्टाक देश भर में बहुत से केन्द्रों पर रखा हुआ है। कुल वास्तविक स्टाक में से 22.7 लाख मीटर टन स्टाक को बफर स्टाक माना जा सकता है।

(घ) व्यवहार्यतः सभी राज्य कुछ आरक्षित भण्डार तैयार कर रहे हैं। जिन राज्यों ने केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न दिए हैं वे हैं- आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मद्रास उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।

(ङ) और (च) : चौथी योजनावधि के अन्त तक 70 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का बफर स्टाक तैयार करने का लक्ष्य है।

(छ) बफर स्टाक रखने की वार्षिक औसत अनुमानित लागत 8.50 रुपये प्रति क्विंटल है। इसमें संचयन प्रभार, संचयन हानि और पूंजी पर ब्याज शामिल है।

(ज) वार्षिक औसत हानि एक प्रतिशत से अधिक होने की आशा नहीं है।

अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि प्रयोग संगठन

1612. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिट्टी तथा भूमि के प्रयोग के बारे में अखिल भारतीय संगठन ने कुल कितने क्षेत्र के हिसाब से अपने कार्य में कितनी प्रगति की है ;

(ख) क्या यह प्रगति योजना आयोग के निर्णयों तथा वित्तीय सहायता की प्रार्थना करते समय संयुक्त राष्ट्र संघ को दिये गये हमारे वचन के अनुरूप है ;

(ग) क्या नदी घाटियों में भूमि के वर्गीकरण में लगे कर्मचारियों को देश में कृषि के अन्तर्गत समूचे क्षेत्र के भूमि के वर्गीकरण में लगाने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन ने द्वितीय योजना से अब तक 275.7 लाख एकड़ भूमि के कार्य में प्रगति की है।

(ख) अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन के कार्य की प्रगति नदी घाटी परियोजनाओं और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के लिये निश्चित लक्ष्यों के अनुरूप ही है, अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई वचन नहीं दिया हुआ है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी यह निश्चय किया गया है कि अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन के कर्मचारियों का भूमि सर्वेक्षण अनुसन्धान और क्षेत्र सर्वेक्षण कार्यक्रमों के लिये पुनरनुस्थापना किया जाये।

(घ) मृदा के स्टेण्डर्ड सर्वेक्षण के अन्तर्गत बोये हुये क्षेत्रों का सर्वेक्षण विस्तृत रूप से किया जाता है, केन्द्रीय और राजकीय भूमि सर्वेक्षण संगठनों द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत बोये हुये क्षेत्रों के भूमि सर्वेक्षण करने के लिये अधिकाधिक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

समोच्च बंधों द्वारा चरागाहों का विकास करने की योजना।

1613. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने समोच्च बन्ध बना कर चरागाहों का विकास करने की कोई योजना बनाई है जिससे ऊपरी मिट्टी तथा खनिज निक्षेप बहा ले जाने वाला जल सीमा के अन्दर रहे ; और

(ख) क्या इससे पशुओं को, जो कि वर्षों के बाद सूखे चरागाहों में चरने के लिये छोड़ दिये जाते हैं, चरागाहों में बारी बारी से चराने के प्रयोग से होने वाले लाभ को भी शामिल किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : जी हां, विभिन्न भूमि तथा जल संरक्षण कार्यों के माध्यम से, जिनमें कण्टूर बान्ध बनाना और खाइयां खोदना भी शामिल है, चरागाह भूमि के सुधार का कार्य राज्यों में जारी है। चतुर्थ योजना की अवधि में स्टेट सैक्टर में भूमि संरक्षण के अन्तर्गत चरागाह भूमि के सुधार के लिये एक योजना पेश की गई है। पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में कन्टूर बांध और कन्टूर नालियां बनाने के प्रभावों के बारे में अनुसंधान जारी है ताकि भूमि की उर्वरता की रक्षा की जा सके और चरागाहों के माध्यम से अधिक से अधिक पशुओं का पालन हो सके। केन्द्रीय मरू भूमि अनुसंधान संस्थान के विभिन्न केन्द्रों पर अध्ययन जारी है ताकि विभिन्न चरागाह सुधार विधियों के अधीन पशुओं को प्राप्त होने वाले लाभ का मूल्यांकन किया जा सके। इन में हेर फेर से चराई करने के बारे में प्रयोग करना और चरागाहों की चराई की क्षमता का अनुमान लगाना भी सम्मिलित है। इन से चरागाह भूमियों की नमी संरक्षण की क्षमता भूमि सुधार और मरू क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक चारागाहों की पालन शक्ति आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। हेर फेर से चराई करने के अनुभवों के

परिणामों से पता चला है कि चारागाह की पालन क्षमता के अनुसार नियन्त्रित दर से निरन्तर रूप से चराई करना प्रबन्ध के अन्य तरीकों से अच्छा है।

उर्वरकों का आयात

1614. श्री लोबो प्रभु : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968–69 में 10 लाख 95 हजार मीटरी टन उर्वरकों का आयात करने की योजना है, जबकि इस अवधि में 19 लाख मीटरी टन उर्वरकों की खपत होने का अनुमान है, यद्यपि देश में 11 लाख मीटरी टन उर्वरकों का उत्पादन होने का अनुमान है तथा 1 अप्रैल, 1968 को हमारे पास 11 लाख मीटरी टन उर्वरक पिछले बचे हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो आयात करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे (क) और (ख): जी नहीं, अनुमानित खपत आयात और पूर्वावशिष्ट स्टाक की 1968–69 की स्थिति निम्न प्रकार है :—

1968–69	000 मीटरी टनों में		
	एन०	पी०	के०
खपत के लक्ष्य	1,700	650	450
1–4–68 को पूर्वावशिष्ट स्टाक	297	180	159
स्वदेशी उत्पादन (अनुमानित)	650	320	—
आयात व्यवस्थित । संभावित	1,045	136	213
कुल उपलब्धि	1,992	636	372

उर्वरकों की मांग विशिष्ट मौसम में ही होने के कारण फसलों के मौसम के लिये पर्याप्त पूर्वावशिष्ट स्टाक की व्यवस्था रखनी पड़ती है जिस से कि खपत केन्द्रों के निकट ही उपयुक्त समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सके। स्वदेशी उत्पादन में भी जो अनुमान ऊपर दिये गये है, कुछ कमी होने की संभावना है। जिस सीमा तक आयात किया गया है वह कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक था।

उर्वरक की खपत

1615. श्री लोबो प्रभु : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे उर्वरकों की मात्रा क्या है जो 8 महीने से अधिक से स्टाक में हैं और जिनकी उपयोगिता कम हो गई है ; और

(ख) क्या इससे इसकी बिक्री में रुकावट पैदा हो गई है अथवा कुछ क्षेत्रों में स्टाक जमा हो जाने के कोई अन्य कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों तथा अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होते ही वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गहन खेती कार्यक्रम में कृषकों का प्रशिक्षण

1616. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान सभी फसलों के सघन कृषि कार्यक्रम से सम्बन्धित 20 लाख कृषकों के प्रशिक्षण के लिये व्यापारी फर्मों की सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : सघन कृषि कार्यक्रम में भाग लेने वाले कृषकों का प्रशिक्षण आवश्यक है। अधिक उत्पादन-शील किस्मों और बहु फसली कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के विस्तार के साथ कृषकों और उनके परिवारों के सदस्यों को बड़ी संख्या में प्रशिक्षित करना पड़ेगा। केन्द्रीय और राज्य सरकारें, कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान कृषकों के प्रशिक्षण के कार्य को कर रहे है। चतुर्थ योजना में ये गतिविधियां और अधिक विस्तृत होंगी। खेती की आधुनिक विधियों में कृषकों को प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में, जिसमें आदानों का उचित उपयोग भी सम्मिलित है, केन्द्र और राज्यों के प्रयत्नों में उद्योग कितना सहायक हो सकते है इस विषय पर मंत्रणा करने के लिये कृषि विभाग ने कीट-नाशकों और उर्वरक संगठनों और उर्वरकों तथा कीट-नाशकों के उत्पादनकर्ताओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई। चतुर्थ योजना में यह संख्या 200 लाख तक पहुँचने की सभावना है। व्यवसायिक संगठनों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहयोग देना स्वीकार किया। इनका व्यौरा तैयार किया जा रहा है।

निर्वाचन व्यय

1617. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस संसद् सदस्य का नाम क्या है जिसने विधि के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय की निर्धारित 25,000 रुपये की सीमा से अधिक खर्च किया है और 30,000 रुपये से भी अधिक खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया है और उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है जहां से वह निर्वाचित हुआ था ;

(ख) निर्वाचन आयोग ने वर्तमान विधि के अधीन इस सदस्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठता।

Assistance for Drought Affected Areas

1618. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the parts of the country affected by drought this year and the percentage of Kharif Crop damaged thereby;

(b) the figures of such damage;

(c) whether Government have provided irrigation facilities to farmers to ward off drought, if so, the full detail thereof;

(d) whether Government have exempted land revenue, water charges and other taxes in drought striken areas by declaring them famine, striken areas; and

(e) whether Government have made arrangements to open fair price grain shops and provided other facilities as relief measures in drought stricken areas; and if so, the full details and nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b): A statement regarding the drought conditions prevailing in parts of the country has been laid on the Table of the Sabha on 18th November, 1968. As indicated in the statement while it is difficult at this stage to give a quantitative assessment of the damage caused to kharif crops by unfavourable conditions, it is hoped that the shortfall in some areas may be made good to a large extent by increases in production in other areas.

(c) to (e) : As mentioned in the statement referred to above, action has been taken by State Governments to provide relief to the people affected by drought in various States. This includes providing employment on relief works, gratuitous relief, supply of foodgrains, supply of drinking water, supply of fodder to cattle, distribution of loans and augmenting of water supply etc. For the purpose of rendering relief to people affected by drought, it is not necessary that famine should be declared. Relief is organized as and when distress develops. Irrespective of a formal declaration of famine or scarcity remission in land revenue and other levies is given on merits of each case.

Pension to Factory Workers

1619. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to give pension to the factory workers after their retirement;

(b) whether Government proposed to bring a Bill for this purpose which could not be done for certain reasons;

(c) if so, whether Government would introduce the Bill in the Parliament and take a decision in regard to giving pension to the factory workers; and

(d) if so, by when ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (d): Government had set up a Working Group to examine the feasibility of a Retirement-cum-Family Pension Scheme for industrial workers who are members of the Employees; Provident Fund and the Coal Mines Provident Fund. The Group has submitted its Report to Government on 31-10-1968 and the feasibility of a self-financing scheme with appropriate contributions by workers and employers is being studied in consultation with the concerned interests.

Workers of Slate Pencil Manufacturing Factories

1620. **Shri Madhu Limaye :**
Dr. Sushila Nayar :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of Slate Pencil manufacturing factories are running at Mandsaur City in Madhya Pradesh;

(b) whether it is also a fact that this slate pencil is made of a soft stone which in the process of being made as powder is inhaled by the labourers resulting in their becoming victims of Tuberculosis;

(c) whether it is also a fact that a number of labourers working in such factories have died of Tuberoulosis;

(d) whether it is also a fact that local labour union has requested Government to appoint an enquiry Committee to look into the condition of the labourers and to provide necessary medical facilities to the labourers; and

(e) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (e): The matter falls in the State sphere.

Satyagraha by Indian Leather Industry Workers Union, Delhi

1621. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the members of the Indian Leather Industry Workers Union staged a Satyagraha outside the residence of Lt. Governor of Delhi on the 9th, 10th and 11th July, 1968,

(b) if so, reasons therefor ;

(c) whether Government have received any demands from the Indian Leather Industry Workers' Union

(d) if so, the nature thereof and the action being taken by Government on them ;

(e) whether it is also a fact that the Union wants that their service conditions be improved and other facilities be provided to them ; and

(f) if so, the action being taken by Government to press the industrialists to concede to their demands according to law ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) (a): Yes, Sir.

(b) To protest against the arrest of 13 persons who had been taken into custody earlier for rowdyism and to press their demands on issues like bonus and fixation of working hours.

(c) and (d): A statement of claims covering over 20 leather establishments was received by the Delhi Administration from Bhartia Chamra Udyog Mazdoor Sangh in September 1968. The demands related to bonus and general wage-increases. Conciliation having failed, the demands have been referred to adjudication.

(e) and (f): Yes, Sir.

The employers took the plea that the persons working in the leather goods industries were not 'workmen' within Section 2 (s) of the Industrial Disputes Act, 1947 but were contractors. The matter has been referred to adjudication.

Recovery of Loan and Land Revenue in Bihar

1622. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the former Samyukt vidhayak Dal Government of Bihar had issued orders for the postponement of recovery of loans till the next harvest ;

(b) whether it is also a fact that the former Samyukt Vidhayak Dal Government of Bihar had also issued orders to exempt land revenue in respect of uueconomic holdings;

(c) if so, whether it is a fact that the advisers of present State Administration have started the recovery drive of loans and land revenue by scrapping the earlier orders ; and

(d) if so, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Subsequently, however, the SVD Government decided to launch loans collection drive with effect from 1st December, 196 excluding areas in Bihar affected by the floods. This drive continued till July, 19 8. During the President's Rule, special loans collection drive was stopped during the rains, but has been resumed from 1st November, 1968, excluding areas affected by the floods.

(b) The SVD Government had introduced a bill in the Bihar Assembly in July, 1967 to abolish land revenue. The House could not, however, consider that bill Subsequently the Soshit Dal Government decided to continue with rent collection policy. The second SVD Government included abolition of land revenue on uneconomic holdings in their programme but could not come to a decision.

(c) and (d): During the President's Rule land revenue is being collected as in the past, excluding flood affected areas, as explained in part (a).

Deprivation of Adivasi Farmers of Land

1623 Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that adivasi farmers of Chhotanagpur in Bihar have been deprived of their large tracts of land illegally :

(b) if so, the area of land they have been deprived of ;

(c) whether it is also a fact that the former Samyukt Vidhayak Dal Government in Bihar had drawn up a scheme to return the said land to the farmers concerned ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) the action proposed to be taken by the Government to implement the aforesaid scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : The Chhotanagpur Tenancy Act 1908 generally prohibits the transfer of land belonging to tribal people, to outsiders. In special circumstances such transfers can be effected after obtaining the permission of the Deputy Commissioner/Collector. Cases have come to notice of circumvention of these provisions through collusive declaratory suits, nonregistration of sale deeds and other means. The number of collusive title suits in which the decrees were obtained since 1964 on wards are reported to be as follows :

Year	No. of cases in which collusive decrees were obtained
1964	499
1965	930
1966	645
1967	1291
1968 (up to July)	961

Information regarding the area involved is not readily available.

(c) and (d) : The State Government has been contemplating certain amendments to Sections 46 and 49 of the Chhotanagpur Act since April, 1966.

(e) The question of enacting a suitable legislation to deal with the problem of land alienation is under consideration.

Nobel Prize Winner Dr. Khurana

1624. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Hardayal Devgun :
Shri Jugal Mondal :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Dr. Khurana, the Nobel Prize Winner, had applied in the Indian Council of Agricultural Research for doing research work and his application was rejected ; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken to avoid the recurrence of such incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : Recruitment to all Class I & II posts under the Indian Council of Agricultural Research and the Indian Agricultural Research Institute was being made through the Union Public Service Commission till the 31st March, 1966. The question of Dr. Khurana submitting any application to the Indian Council of Agricultural Research or Indian Agricultural Research Institute till that date for any posts involving research work and its rejection by these organisations does not, therefore, arise. After 1.4.66 the Indian Council of Agricultural Research has made its own arrangements to fill such posts. Dr. Khurana has not submitted any application for any research post after that date.

From a News item appearing in the Times of India in its issue dated the 18th October, 1968 it however, appears that Dr. Khurana had applied for the Class II post of an Assistant Organic Chemist in the Indian Agricultural Research Institute but did not succeed in getting the same. From the records available in the Department of Agriculture it is observed that 2 posts of Assistant Organic Chemist in the Indian Agricultural Research Institute were filled through the Union Public Service Commission in 1951. It has not been possible to verify whether Dr. Khurana had applied for these posts or not, as the relevant file of the Union Public Service Commission has since been destroyed.

सरकारी उपक्रमों में हड़ताल और तालाबंदी

1625. **श्री गार्डिलिगन गौड :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों में वर्ष 1965–66, 1966–67 तथा 1967–68 में कितनी बार हड़ताल । तालाबन्दी की गई,

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कारण थे और कर्मचारियों की मांगों के बारे में सरकार ने क्या क्या आश्वासन दिये थे ;

(ग) सरकार ने आश्वासनों पर क्या कार्यवाही की है ;

(घ) इन उपक्रमों में काम करने वाले कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं ; और

(ङ) कितने कार्य दिवसों की हानि हुई और इससे सरकारी राजस्व को कितनी हानि हुई ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

किराये के परिसरों में डाकघर

1626. श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुत बड़ी संख्या में डाक घर किराये के ऐसे भवनों में स्थित हैं जिन में लिखने अथवा टिकटें लगाने आदि के लिये भी सुविधायें नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे कितने डाक-घर हैं, उनका वार्षिक किराया कितना है ; और

(ग) इन डाकघरों में बुनियादी सुविधाओं की, व्यवस्था करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) बहुत बड़ी संख्या में डाकघर किराये की इमारतों में हैं । इनमें से अधिकांश डाकघरों में टिकट लगाने की सुविधा मौजूद है, हालांकि लिखने के लिए फर्नीचर की कमी है ।

(ख) और (ग): विस्तृत सूचना प्राप्त की जा रही है ।

डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थों तथा घी की बिक्री

1627. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिब्बों में बन्द पुराने खाद्य पदार्थों और घी को बेचे जाने के बारे में जिस के परिणामस्वरूप उन को खाने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, दिल्ली में हाल ही में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डिब्बा बन्द घी और खाद्य पदार्थों के नाम क्या हैं और प्रत्येक शिकायत पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सब अत्यावश्यक डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों के मानक निर्धारित करने का सरकार का विचार है, जिस से खाद्यपदार्थों की ताजगी सुनिश्चित की जा सके ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अमरीका, कनाडा तथा फिलीपीन को कृषि अधिकारियों का दल

1628. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कृषि अधिकारियों का एक दल हाल ही में अध्ययन दौरे पर अमरीका, कनाडा तथा फिलीपीन गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो विदेशों को सब्जियों के बीजों का निर्यात करने के बारे में उन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) निर्यात में वृद्धि होने के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख): छः बीज उत्पादकों और मंत्रालय के एक सम्बंधित अधिकारी को मिलाकर एक प्रतिनिधिमंडल मई–जुलाई, 1968 में अमरीका, कनाडा, जापान और फिलीपीन के दौरे पर भेजा गया था । इस का मुख्य उद्देश्य न्यूयार्क में बीज उत्पादकों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना था और साथ में बीज उद्योग के विकास, बीज उत्पादन तथा मंडी के तकनीकों, प्रमाणीकरण प्रणाली और बीज कानूनों को लागू करने के बारे में अध्ययन करना था । भारत में कृषि हितों सम्बंधित मामलों, जैसे नयी किस्म के बीज तैयार करना, बीजों के निर्यात के बारे में सम्भावनाओं का भी अध्ययन किया गया है । मंत्रालय के अधिकारी ने सरकारी सम्पर्क का कार्य किया । प्रतिनिधिमंडल ने कोई रिर्पोट नहीं दी । अपितु साथ जाने वाले अधिकारी ने रिर्पोट दी है और निर्यात बढ़ाने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं । विशेषत: सब्जियों के बीज । इस पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) तथा (घ): इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है, और इस समय यह अनुमान लगाना कठिन है कि कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में किसानों को ऋण

1629. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में किसानों को कुल कितना कृषि ऋण दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) इस में से कितना ऋण अल्प कालीन तथा मध्यम कालीन होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे): एक विवरण सलग्न है ।

विवरण

सहकारिता सम्बन्धी कार्यकारी दल के प्राक्कलनों के अनुसार चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि में सहकारी समितियों द्वारा किसानों को निम्नलिखित राशि के कुल कृषि ऋण प्रदान किये जाने की आशा है :

(करोड़ रूपयों में)

ऋण	उच्चतर प्राक्कलन	निम्नतर प्राक्कलन	
अल्प कालीन ऋण	752.7	654.1	(*)
मध्यम-कालीन ऋण	68·7	61·3	
योग	821 4	715·4	
दीर्घकालीन ऋण	790·0	700·0	(,,)
कुल योग	1,611·4	1,415·4	

(*) यह 1973–74 के अन्त तक लक्ष्य पूर्ति का यह स्तर होगा ।

(,,) यह चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में दीर्घकालीन ऋण की कुल राशि होगी ।

इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिये 150 करोड़ रूपये के दीर्घकालीन ऋणों की राशि के संकेत दिये गये हैं ।

जहां तक चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल कृषि ऋण की संभावना का सम्बन्ध है, अभी तक कोई प्राक्कलन नहीं तैयार किये गये हैं । राष्ट्रीय ऋण परिषद् ने 24 जुलाई, 1968 को हुई अपनी दूसरी बैठक में सिफारिश की थी कि 1968–69 के अन्त तक कृषि के लिये वाणिज्यिक बैंकों से वित्त 300–400 करोड़ रूपए होगा । इसका बहुत बड़ा भाग खाद्यान्नों की वसूली और सम्बद्ध कार्यों के लिये वित्त प्रदान करने में उपयोग किया जायेगा ।

सहकारिता की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों, आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान तथा मनीपुर और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि ऋण निगम स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिस प्रयोजन के लिये 6 मई, 1968 को लोक-सभा में राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक, 1968 पुरः स्थापित किया गया है । आशा है कि 1973–74 के अन्त तक इन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से इन निगमों द्वारा दिये गये बकाया अल्पकालीन और दीर्घ-कालीन ऋणों की राशि 42 करोड़ रूपये होगी ।

"अपना टेलीफोन लगवाइये" योजना

1630. श्री को० सूर्यनारायण : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "अपना टेलीफोन लगवाइये" योजना को तुरन्त खत्म करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Rehabilitation of Refugees in Purnea

1631. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state.

(a) the names of the places wherefrom the refugees who are being rehabilitated in Purnea have come and the steps being taken by Government for rehabilitating them completely ; and

(b) whether refugees are also being rehabilitated in some other places in India and if so, the names of such places ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) and (b) According to the report received from the State Government, some non-agriculturist families of new migrants from East Pakistan and repatriates from Burma have been given rehabilitation assistcnce in the form of loans and grants according to the scales laid down for the purpose for settlement in Purnea District. Some families have also been moved from Purnea for settlement in agriculture in Madhya Pradesh and Maharashtra.

At present there are 460 new migrants families from East Pakistan and 341 families of repatriates from Burma in Moranga Camp in Purnea awaiting rehabilitation. Some of the non-agriculturist families from amongst these may be settled in Purnea District and other places in the State, according to the prospect of rehabilitation in different areas. The agriculturist families are proposed to be dispersed outside Purnea for settlement in other areas of Bihar and to other States such as Madhya Pradesh and Maharashtra etc.

श्रम नीति

1632. श्री सीताराम केसरी : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग के श्री कश्यप की अध्यक्षता में 7 सदस्यों के दल ने श्रम नीति पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : सरकार को मालूम हुआ है कि अध्ययन दल ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समय सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशे प्राप्त होने पर ही इस पर विचार करेगी।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से चावल का आयात

1633. श्री रा० कु० सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल के आयात के लिये दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ बातचीत आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्ति

1634. श्री रा०कु० सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1968 तक बर्मा तथा श्रीलंका से कुल कितने भारतीय स्वदेश लौटे ; और

(ख) उनके पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बा० रा० चव्हाण) : (क) 30 सितम्बर, 1968 तक 1,63,276 व्यक्ति बर्मा से तथा 5818 व्यक्ति श्रीलंका से भारत आये हैं।

(ख) एक विवरण, जिसमें बर्मा तथा श्रीलंका से लौटे भारतीयों के पुनर्वास के सम्बन्ध में किये गये उपायों का व्यौरा दिया गया है। सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 2255/68] वास्तव में, भारत श्रीलंका करार, 1964 के अन्तर्गत पिछले चार वर्षों में श्रीलंका से आने वाले भारतीय अपनी इच्छा से भारत आये हैं। भारत पहुंचने पर वह अपने इच्छुक स्थानों पर चले गये थे। उनके पुनर्व्यवस्थापन के लिये योजनाएं मंजूर कर दी गई है और जिन्हें भी सहायता की आवश्यकता है, जिन राज्यों में वे बसे हैं, उन राज्य सरकारों से इन योजनाओं का लाभ उठा सकते है।

नेफा में पंचायती राज

1635. श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी पंचायती राज लागू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) अस्थायी समय अनुसूची निम्न प्रकार है :–

(1) नेफा पंचायती राज (कांस्टिट्यूशन) ड्राफ्ट रूल्स 1968, आपत्ति । सुझाव आमंत्रित करने के लिए 9 अक्तूबर, 1968 को प्रकाशित किये गये ।

(2) उपर्युक्त नियमों को 30 नवम्बर, 1968 तक अन्तिम रूप देना ;

(3) 31 जनवरी, 1969 तक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, घोषणा, प्रकाशन, और निर्वाचक-सूचियों को अन्तिम रूप देना ;

(4) 1 फरवरी से 30 अप्रैल, 1969 तक अंचल समितियों के चुनाव सोपानवार पूरे करना ;

(5) 31 मई, 1969 तक, नोटिस जारी करने के बाद अंचल समितियों की पहली बैठक करना ;

(6) 30 जून, 1969 तक जिला परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन और उनके सदस्यों को मनोनीत करना ;

(7) 31 जुलाई, 1969 तक जिला परिषदों की पहली बैठक करना ;

(8) 31 अगस्त, 1969 तक एजेन्सी कौंसिल के चुनाव करना ; और

(9) 2 अक्तूबर, 1969 को एजेन्सी कौंसिल का उद्घाटन करना ।

अकाल संहिता में संशोधन

1636. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रा०की० अमीन :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते समय मंत्री महोदय ने 16 अक्तूबर, 1968 के हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार यह कहा बताया जाता है

कि वह भिन्न-भिन्न राज्यों में अकाल संहिता के वर्तमान स्वरूप में संशोधन करने के मामले पर विचार करेंगे ;

(ख) क्या इस दिशा में इस बीच कोई कार्यवाही की गई हैं ; और

(ग) क्या किसी राज्य विशेष क्षेत्र में अकाल की घोषणा न करने से उस राज्य अथवा क्षेत्र को मिलने वाली केन्द्रीय सरकार की सहायता में कोई अन्तर पड़ता है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) और (ख): इस प्रश्न में उल्लिखित प्रेस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने यह कहा था कि वे विभिन्न राज्यों में चल रही अकाल संहिता में संशोधन करने के मामले की जांच करेंगे। मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि सरकार उस मामले की जांच करेगी यदि कोई विशिष्ट मामला जहां अकाल संहिता में परिवर्तन अपेक्षित हो, ध्यान में लाया गया। सरकार पहले ही स्वतन्त्रता के बाद राज्य सरकारों द्वारा संशोधित संहिताओं और पुरानी संहिताओं के महत्वपूर्ण अन्तर बताने वाले दो नोट 9–8–1966 और 7–4–1967 को सभा के पटल पर रख चुकी है।

(ग) जी नहीं।

जालोर (राजस्थान) में नलकूपों का लगाया जाना

1637: **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय सहायता से जालोर, राजस्थान में 200 नलकूप लगाने की एक योजना बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस योजना की कब मंजूरी दी थी ;

(ग) इस योजना को लागू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) क्या इस योजना को क्रियान्वित न करने के राज्य सरकार के पास कोई विशिष्ट कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) तकनीकी परीक्षण पर यह आवश्यक समझा गया कि योजना को स्वीकृति देने से पहले क्षेत्र का एक विशद भूमिगत जल मूल्यांकन अध्ययन किया जाये।

(ग) समावेषी नलकूप संगठन ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता के साथ राजस्थान में एक भूमिगत जल सर्वेक्षण की प्रायोजना हाथ में ले ली है। भूमिगत जल मूल्यांकन अध्ययनों के लिये प्रायोजना में जालोर क्षेत्र को सम्मिलित कर लिया है जालोर में किये परीक्षणों के परिणाम शायद 1969 तक प्राप्त हो सकेगें।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

खाद्यान्नों का फुटकर बिक्री मूल्य

1638. **श्री जे० ना० हाजारिका :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार ने अनाज की फुटकर कीमतें निश्चित करते समय विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार की निकासी कीमतों पर जोड़े गये विविध व्यय तथा मुनाफे का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रासंगिक कार्यवाहियों पर होने वाले वास्तविक खर्च को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों की फुटकर कीमतों तथा केन्द्रीय सरकार की निकासी कीमतों में जो अन्तर है वह उचित है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) : (क) उपभोक्ताओं के लिए केन्द्रीय सरकार के खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों और खुदरा मूल्यों में प्रासंगिक खर्च और गुंजाइश निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है । तथापि, उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने कृषि मूल्य आयोग के परामर्श से कुछ सिद्धान्त बनाए हैं जिन्हें राज्य सरकारों को अपना निर्गम मूल्य निर्धारित करते समय अपनाना होगा ।

(ख) जब कभी किसी विशिष्ट राज्य के मामले में प्रासंगिक खर्च और गुंजाइश अधिक दिखायी देती है तब केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में लागू होने वाले निर्धारित सिद्धान्तों की दृष्टि में उसे ठीक करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार से मामला उठाया जाता है ।

"टाइम" पत्रिका के लिये विशेष डाक दरें

1639. **श्री ही० ना० मुकर्जी**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान डाक विनियमों का उल्लंघन करके टोकियों में छापी जाने वाली अमरीकी पत्रिका 'टाइम' के एशिया संस्करण को विशेष डाक-दरों का लाभ दिया गया है तथा उसे दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में रजिस्ट्रेशन नम्बर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या भारत में पढ़ी जाने वाली अन्य पत्रिकाएं भी ये लाभ उठा सकेंगी : और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इसके परिणामस्वरूप हमें डाक-राजस्व तथा विदेशी मुद्रा की हानि होगी, जो हमारे देश को 'टाइम' के मान्यता प्राप्त एजेंटों तथा अन्य भारतीय पत्रिकाओं से प्राप्त होती है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल):(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते ।

मनीपुर में धान की खेती

1640. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में मनीपुर में कुल कितने एकड़ भूमि में धान की खेती हुई और इस भूमि के क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपरोक्त खेती कार्य में कुल कितनी धन-राशि खर्च की गयी ; और

(ग) भूमि में कितनी उपज होने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ग): मनीपुर में 1968--69 में कितने क्षेत्र पर कितना चावल पैदा हुआ, इसके आंकड़े फरवरी 1969 तक ही प्राप्त हो सकेंगे।

(ख) धान की खेती में जितनी लागत लगी है, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

संविधान का पुनरीक्षण

1641. श्री हेमराज :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में देश में कुछ विख्यात व्यक्तियों ने संविधान का पुनरीक्षण करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) सुझावों पर सरकार द्वारा सम्यकरूप से विचार किया जाएगा।

Drought in District Banda, U. P.

1642. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there had been no rain at all in district Banda, Uttar Pradesh and there is serious drought there;

(b) whether it is fact that Karvi, Mhow Tehsil and the North-east part of the Babern Tehsil and Poon, Santyav Gujeni, Bhauti, Sunuhuli, Sunuhula, Adauli, Kharanli, Talausa, Sanda, Bira, Musiwan, Dandan, Sikri, Narayanpur, Khamarkha, Itma, Radhaupur villages of the said district are the worst hit areas; and

(c) if so, whether Government propose to give any aid to the people of said areas and the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The rainfall in Banda district was deficient in August and September, 1968, causing drought conditions in some areas.

(b) and (c): The details of the areas affected by drought in the Banda District are being ascertained from the State Government.

The State Government is expected to provide the necessary relief to the affected population. Details of relief provided or planned are also being ascertained from the State Government.

These details will be placed on the table of the Sabha as soon as these are collected.

आशुलिपि प्रशिक्षिकों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण

1643. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले आशुलिपि प्रशिक्षकों के वेतनक्रमों के पुनरीक्षण का प्रश्न 1964 में विचाराधीन था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके वेतन क्रम 210-425 रुपये से बढ़ा कर 270-575 रुपये करने का प्रस्ताव था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी नहीं :

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल ही पैदा नहीं होता।

वन अनुसन्धान संस्था देहरादून में फालतू कर्मचारी

1644. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राक्कलन समिति ने अपने 78वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में कहा था कि देहरादून स्थिति वन अनुसंधान संस्था और कालेजों में 1963 से कुछ कर्मचारी फालतू हैं और उसके 61वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) के प्रकाशित होने अर्थात् अगस्त, 1968 तक उसके प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में वर्तमान स्थिति क्या है ?

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : कृषि विभाग के कार्याध्ययन एकक द्वारा 1963 में वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालयों में फालतू कर्मचारियों के विषय में की गई सिफारिश उन बातों पर आधारित थी जिस पर प्राक्कलन समिति ने अपने 78वें (तीसरी लोक-सभा) में सिफारिश

की थी। सिफारिश पर सुचारु रूप से विचार किया गया और 51 क्लास 4 जगह समाप्त कर दी गई। क्लास 3 के बारे में विस्तृत जानकारी अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालयों से प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

भागलपुर की बांका सब-डिवीजन में मक्का के बजाय कपास की खेती

1646. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह जानती है कि जिला भागलपुर में बंका सब–डिवीजन के दक्षिणी भाग में जो एक पठार सा है मक्का को छोड़कर कुछ नहीं उगाया जाता है और वहां पर बराबर अकाल पड़ा रहता है;

(ख) क्या सरकार यह भी जानती है कि उस क्षेत्र में कपास भी उगाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उस क्षेत्र में मक्का के स्थान पर अथवा इसके पूरक फसल के रूप में कपास उगाना आरम्भ करने का कोई प्रयोग किया गया है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) जानकारी सम्बन्धित राज्य से इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रशिक्षार्थी अधिनियम का संशोधन

1647. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री प्रशिक्षार्थी अधिनियम 1961 के बारे में 5 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3079 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अब अधिनियम संशोधन करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने का है ताकि यार्डी समिति की विशिष्ट सिफारिश जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों में स्थानों के आरक्षण की उचित व्यवस्था की जाये; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) और (ख): मामले के कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है।

131 संयुक्त प्रबन्ध परिषद्

1648. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में उन उपक्रमों, समवायों अथवा फर्मों के नाम क्या हैं जिनमें वर्तमान 131 संयुक्त प्रबन्ध परिषदें काम कर रही हैं;

(ख) इन परिषदों के कृत्य, प्रबन्ध का व्यौरा क्या है और इनमें सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में इनके कार्यकरण में कोई अन्तर हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 12-11-1968 को 112 संयुक्त प्रबन्ध परिषदें काम कर रहीं थीं—38 सरकारी क्षेत्र में और 74 निजी क्षेत्र में । एक विवरण, जिसमें उपक्रमों के नाम दिये गये हैं, सभा पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2256/68**] ।

(ख) एक विवरण है जिसमें परिषदों के आकार और कार्यों का व्यौरा दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2256/68**] ।

(ग) जी नहीं । परन्तु संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की योजना लचीली है और इसे क्रियान्वित करने वाली इकाइयां इसमें अपनी इकाइयों की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन कर सकती हैं ।

Government and Authorised Private Slaughter Houses

1649. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Government and authorised private slaughter houses in the country;

(b) the years in which each of them was constructed;

(c) the number of oxen, calves, cows and bulls slaughtered during the last five years, year-wise,

(d) the value of meat, hides, bones, guts as a result thereof;

(e) the names and quantity of items, out of them, which were exported to foreign countries: and

(f) the names of the articles among those mentioned in part (d) above, which are used, for producing various medicines and injections ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (f): The required information is being collected from the State Governments and the concerned Ministries and departments of the Government of India and will be laid on the Table of the Sabha on its receipt.

ट्रैक्टरों के पुर्जों का आयात

1650. श्री जुगल मंडल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 29 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6343 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों के पुर्जों के आयात के सम्बन्ध में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तत्सम्बन्धी जानकारी प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

संगणकों का लगाया जाना

1651. श्री जुगल मंडल : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री 29 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6516 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच संगणकों के लगाये जाने सम्बन्धी जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सूचना सलग्न विवरण में दी गई है। कुछ मन्त्रालयों। विभागों से अभी उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है और उनसे सम्बन्धित सूचना यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्रम संख्या	कार्यालयों के नाम जहां गत पांच वर्षों में कम्प्यूटर लगाये गये हैं	कम्प्यूटरों की संख्या
1.	संगाणक केन्द्र, सांख्यिकी विभाग	2
2.	योजना आयोग (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन)	1
3.	केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना	1
4.	भारत ऋतु-विज्ञान विभाग	1
5.	उत्तर रेलवे, नई दिल्ली	1
6.	मध्य रेलवे, बम्बई, वी० टी०	1
7.	पश्चिम रेलवे, चर्च गेट, बम्बई	1
8.	दक्षिण रेलवे, मद्रास	1
9.	दक्षिण-पूर्व रेलवे, कलकत्ता	1
10.	पूर्व रेलवे, कलकत्ता	1
11.	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन	1
12.	इंटेगरल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर, मद्रास	1
13.	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी	1

टिप्पणी :—इनमें से किसी भी कार्यालय ने इन मशीनों को लगाने का विरोध नहीं किया और इनको लगाने के कारण कोई छंटनी नहीं हुई है।

पशु वध

1652. श्री जुगल मंडल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4787 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु वध के बारे में सूचना इस बीच में इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख): 22 अगस्त, 1968 को लोक सभा में पूछे गये प्रश्न संख्या 47 के विषय में राज्यों से जानकारी मांगी गई है। अभी तक कुछ राज्यों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं और उन्हें स्मरण पत्र भेजे गये हैं। पूर्ण जानकारी प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

राज्यों को चावल की सप्लाई

1653. श्री बसुमतारी : क्या खाद्य, तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में राशन में चावल कम किये जाने से अन्य राज्यों को चावल की सप्लाई बढ़ जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार बचाया गया चावल, अन्य राज्यों को भेज दिया गया है, जहां लोग प्राय: चावल खाते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख): यह कहना ठीक नहीं है कि केरल में चावल के राशन में की गयी कोई भी कटौती अन्य राज्यों की चावल सप्लाई बढ़ाने के लिये की गई थी अथवा इस प्रकार बचाया गया चावल विशिष्ट रूप से किसी चावल खाने वाले राज्य को भेजा गया है। केन्द्र के पास कुल उपलब्ध चावल को सभी राज्यों में बराबर बराबर बांटा जाता है और कुल उपलब्धि में कमी का प्रभाव सभी राज्यों पर पड़ता है।

अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत खेती

1654. श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत रबी और ग्रीष्म ऋतु में खेती की जाने वाली भूमि में कुछ वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले मौसम की तुलना में इस मौसम के आंकड़े क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) रबी/ग्रीष्मकालिन वर्ष 1967-68 में अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत खेती की जाने वाली अनुमानित 10.06 मिलियन एकड़ भूमि के विपरीत रबी/ग्रीष्म ऋतु 1968-69 के लिये 14.43 मिलियन एकड़ भूमि का सचालन लक्ष्य की योजना बनाई गई है ।

(ग) 4.37 मिलियन एकड़ भूमि के इस अतिरिक्त क्षेत्र में लगभग 3.00 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन होने की सम्भावना है ।

समाचार पत्रों के कर्मचारियों के लिये मजूरी का नियतन

1655. श्री हेम बरुग्रा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री चेलापथी राव की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय अध्ययन ग्रुप ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अध्ययन ग्रुप ने समाचार पत्रों के कर्मचारियों की मजूरी नियत करने के बारे में मूल्यवान सुझाव दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सुझाव दिये गये हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) समाचारपत्र उद्योग के अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय श्रम आयोग को प्रस्तुत कर दी है ।

(ख) और (ग): सरकार को मालूम हुआ है कि अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में अनेक सुझाव दिए हैं । परन्तु इस समय सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही इस पर विचार करेगी ।

मणिपुर में मक्का की बिक्री

1656. श्री मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1967-68 में मणिपुर से भारत के अन्य राज्यों को कुल कितनी मक्का बेची गई;

(ख) क्या मणिपुर सरकार द्वारा औद्योगिक फर्मों को दिये गये लाइसेन्सों से बिक्री की गई थी;

(ग) यदि हां, तो कितनी फर्मों को लाइसेन्स दिये गये थे; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या उक्त फर्मों ने मणिपुर से बाहर उस समय मक्का बेची थी जब मणिपुर सरकार ने इस अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ पर से नियंत्रण हटाया था ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) लगभग 18,600 मीटरी टन।

(ख) मणिपुर से अन्य राज्यों को मक्का भेजने के लिये किसी औद्योगिक फर्म को कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मणिपुर से मक्का के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और मक्का का व्यापार कर रही प्राइवेट फर्मों और व्यापारियों को मणिपुर खाद्य पदार्थ डीलरीज लाइसेन्सिंग आदेश, 1964 के अधीन लाइसेन्स लेना पड़ा है।

राजस्थान में नलकूपों का लगाया जाना

1657. श्री य० अ० प्रसाद : क्या खाद्य, तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में नलकूप लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से 2 करोड़ रुपये का अनुदान देने की प्रार्थना की है;

(ख) क्या इस प्रार्थना पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) क्या उच्च धनराशि मंजूर कर ली गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नलकूप खोदने के बारे में खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय के पास राजस्थान सरकार से कोई औपचारिक प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के कार्डों का जारी किया जाना

1658. श्रीमती निर्लेप कौर : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के नागरिकों को दूध के कार्ड नहीं मिल रहे हैं, यद्यपि उनके नाम दिल्ली दुग्ध योजना की प्रतीक्षा सूची में पिछले पांच वर्षों से है;

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना कितने प्रकार की प्रतीक्षा सूचियां रखती हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में प्रतीक्षा सूची में सबसे पुराना प्रार्थना पत्र किस तारीख का है; और

(घ) दूध के नये कार्ड जारी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के पास दूध के कार्डों के लिये 5 वर्ष से अनिर्णीत कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं है। 10,000 लीटर दूध के कार्ड जारी किये जा रहे हैं।

(ख) जनता से दूध के नये कार्ड जारी करने के लिये प्राप्त प्रार्थना पत्र दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा निम्न श्रेणियों में पंजीकृत किये जाते हैं :—

(1) सामान्य
(2) प्रतिरक्षा कर्मिक
(3) सरकारी अधिकारी
(4) सरकारी कर्मचारी
(5) चिकित्सा सम्बन्धी मामले
(6) अति महत्वपूर्ण व्यक्ति
(7) तदर्थ

(ग) दूध के कार्ड जारी करने के लिये प्राप्त प्रार्थना पत्र विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत (10,000 लीटर दूध की निर्मुक्ति के लिये उठाये गये कदमों से पूर्व) निम्न तिथियों से अनिर्णित है:-

श्रेणी	जिस तिथि से दूध के कार्ड जारी करने के लिये प्रार्थना पत्र अनिर्णित है
प्रतिरक्षा	1-7-1966
सरकारी अधिकारी	1-7-1966
सरकारी कर्मचारी	1-3-1966
चिकित्सा सम्बन्धी	1-7-1966
अति महत्वपूर्ण व्यक्ति	16-7-1967
तदर्थ	1-2-1966
सामान्य	16-12-1965

(घ) 10,000 लीटर दूध के नये कार्ड जारी किये जा रहे हैं।

बेरोजगारी

1659. श्री शिव चन्द्र झा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'योजना स्थगन काल' में (अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त से अब तक) बेरोजगार लोगों की कुल सख्या कितनी हो गई है तथा औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में और विश्वविद्यालय स्नातकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा श्रमजीवी महिलाओं में बेरोजगारों की संख्या क्रमशः कितनी हो गई है,

(ख) उपर्युक्त अवधि में आंशिक रोजगार प्राप्त लोगों की कुल संख्या कितनी हो गई है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में कुल कितने लोगों को रोजगार मिला हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) और (ख): यथातथ्य आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ग) मार्च, 1966 से मार्च, 1968 के बीच संगठित क्षेत्र (सरकारी क्षेत्र के सभी संस्थापन और निजी क्षेत्र के ऐसे अकृषीय संस्थापन जहां दस अथवा इससे अधिक कर्मचारी काम पर लगे हों) में उपलब्ध अतिरिक्त रोजगार अवसरों की संख्या लगभग 1.35 लाख थी ।

भारत नेपाल सीमा पर टेलीफोन तथा तार संचार व्यवस्था

1660. श्री शिव चन्द्र झा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या सरकार ने बिहार में भारत–नेपाल सीमा पर टेलीफोन और तार संचार के विकास के लिये कोई योजना बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां, अभी तक विभाग ने हानि के आधार पर भारत–नेपाल सीमा से 30 कि० मी० के अन्तर्गत तार सुविधा सहित 15 स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की मंजूरी दी है ।

(ख) अनुबन्ध के अनुसार ब्यौरा सभा पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 2257/68**] ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पटसन मजूरी बोर्ड का पंचाट

1661. श्री कं० हाल्दर : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटसन मजूरी बोर्ड के पंचाट के बारे में उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि शरीर के आवश्यक अंगों की क्षति होने पर भारत के सभी क्षेत्रों में पटसन मिलों में नियुक्त श्रमिकों के लिये समान रूप से 81 रुपये की न्यूनतम मंजूरी निर्धारित की जानी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जी हां । मजूरी निर्धारण प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्धारित सिद्धान्तों को ध्यान में रखेंगे । इस मामले में सरकार द्वारा कोई विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं, है क्योंकि इस विशिष्ट मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के लागू रहने की समयावधि 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हो गई ।

पश्चिम बंगाल में बीजों के भण्डार

1662. श्री कं० हाल्दर : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है कि तीसरी पच वर्षीय योजना में बनाये गये 1023 बीजों के भण्डार प्रयोग योग्य नहीं है;

(ख) क्या प्रारम्भिक रिपोर्ट से यह पता लगा है कि इन मण्डारों का डिजाइन तथा निमार्ण दोनों त्रुटिपूर्ण है; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग): पश्चिम बंगाल की सरकार ने उस राज्य में 1023 बीज स्टारों के लक्ष्य के विपरीत अब तक 561 बीज स्टोर बनाये गये हैं। इस बात की सूचना मिलने पर कि कुछ बीज स्टोरों में दोष पैदा हो गये हैं, राज्य कृषि विभाग ने इसके कारणों का पता लगाने और उपाय सुझाने के लिए एक समिति की स्थापना की है। समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

पश्चिम बंगाल की नई खाद्य नीति

1663. श्री कं० हाल्दर : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1 नवम्बर, 1968 से लागू होने वाली पश्चिमी बंगाल की नई खाद्य नीति को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस वर्ष पश्चिमी बंगाल में अपनायी जाने वाली खाद्य नीति पर निश्चय कर लिया है। इस नीति के अनुसरण में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी किए जाने वाले आदेशों के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सहमति भारत सरकार द्वारा दी गयी है।

(ख) एक विवरण संलग्न है

विवरण

(एक) देश में 4.5 लाख मीट्रिक टन चावल की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(दो) 1967-68 मौसम के वसूली मूल्य 1968-69 मौसम में भी लागू रहेंगे।

(तीन) 1968-69 मौसम में उत्पादक बोनस 1967-68 मौसम की दर पर ही दिया जायेगा। इस बात पर बाद में पुनरीक्षण किया जायेगा कि क्या बोनस का भुगतान मार्च, 1969 के बाद भी किया जाये या नहीं।

(चार) (1) सिंचाई वाले क्षेत्रों में 8 एकड़ और उससे अधिक और बिना सिंचाई वाले क्षेत्रों में 10 एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि वाले उत्पादकों पर लैवी।

(2) चावल मिलों के उत्पादन पर 50 प्रतिशत लैंवी ।

(3) लाइसेन्स प्राप्त थोक व्यापारियों द्वारा की गई खरीद पर 10 प्रतिशत लैंवी ।

(4) उत्पादकों द्वारा स्वैच्छिक बिक्री के एजेन्टों के द्वारा खरीद ।

(पांच) कानूनी रूप से निश्चित किये गये राशन क्षेत्रों के आसपास वर्तमान प्रतिबन्ध जारी रहेंगे ।

(छ) थोक व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों और बड़े उपभोक्ताओं पर लाइसेन्स सम्बन्धी वर्तमान नियन्त्रण जारी रहेगा ।

मनीपुर में धान की वसूली

1664. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार ने वर्ष 1968-69 के लिए धान की वसूली का लक्ष्य और उसकी कीमत क्या निश्चित की है;

(ख) वसूली के काम का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) पिछले वर्ष कितनी मात्रा में धान की वसूली की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 के लिये धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य और मूल्य 6000 मीटरी टन धान और 52.50 रुपये प्रति क्विटल धान निर्धारित किया गया है ।

(ख) इस वर्ष कोई प्राइवेट अधिप्राप्ति एजेन्ट नियुक्त नहीं किया जायेगा । अधिप्राप्ति प्रधानों के माध्यम से सरकार की राजस्व एजेंसियों द्वारा की जाएगी ।

(ग) लगभग 4,600 मीटरी टन ।

पंजाब से खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबन्ध

1665. श्री न० कु० सांघी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उसे राज्य से खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की अनुमति दी जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी कि उन्हें अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के हित में पंजाब से धान के संचलन को विनियमित करने की अनुमति दी जाए । उन्होंने अन्य किसी खाद्यान्न के संचलन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए नहीं कहा था ।

(ख) यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था ।

स्थायी श्रम समिति की त्रिपक्षीय समिति का प्रतिवेदन

1666. जुगल मण्डल : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री 9 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1766 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्थायी श्रम समिति द्वारा नियुक्त त्रिपक्षीय समिति का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) कुछ कठिनाइयों के कारण समिति लगातार बैठकें नहीं बुला सकी। मालूम हुआ है कि अब इसका विचार-विमर्श कार्य समाप्त हो गया है और इस वर्ष के अन्त से पहले रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केन्द्रीय सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिये चरित्र सत्यापन की विशेष प्रक्रिया

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : मैं गृह मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"भारत सरकार के अधीन सिविल पदों पर नियुक्ति के लिये केरल से चुने गये उम्मीदवारों के परित्र और पूर्व चरित्र की जांच के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई नई एवं विशेष प्रक्रिया, जो उक्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/8 (एस) 67 इस्टस (बी) दिनांक 6 सितम्बर, 1968 में दर्ज है"।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, सितम्बर, 1967 में केन्द्रीय सरकार की नौकरी प्राप्त करने के लिये उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व चरित्र की जांच पड़ताल करने के लिये निर्धारित किये गये सिद्धान्तों के अनुदेश सब मन्त्रालयों/विभागों को जारी किये गये थे। इसके साथ साथ उसी समय राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया गया था कि वे इन सिद्धान्तों के आधार पर केन्द्रीय सरकार की नौकरी प्राप्त करने के अभ्यार्थियों के चरित्र और पूर्व चरित्र की जांच करने के लिये अपने जिलाधिकारियों को अनुदेश जारी करें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि राज्य सरकारों के अधीन नौकरी प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व चरित्र की जांच के लिये उन ही सिद्धान्तों को स्वीकार करने की वांछनीयता पर भी विचार करें। 16 फरवरी, 1968 को लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा गया था जिसमें इन सिद्धान्तों का ब्योरा दिया

गया था । यह विवरण श्री ए० श्रीधरन द्वारा 22 नवम्बर, 1967 को पूछे गये एक तारांकित प्रश्न के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में सभा पटल पर रखा गया था ।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है, हमें केरल सरकार से अभी तक इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें कहा गया हो कि उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की नौकरी पाने वाले व्यक्तियों के चरित्र एवं पूर्व चरित्र की जांच करने के उपयुक्त अनुदेश जिलाधिकारियों को दे दिये गये हैं । इसके विपरीत केरल के मुख्य मन्त्री ने गृह मन्त्री को एक पत्र लिख कर इन सिद्धान्तों के प्रति अपना असतोष प्रकट किया है । इस लिये इन परिस्थितियों में यह जरुरी हो गया कि केन्द्रीय सरकार में नौकरी पाने वाले उन उम्मीदवारों, जो केरल में रह चुके हैं अथवा रह रहे हैं, के चरित्र और पूर्व चरित्र की जांच पड़ताल करने का दूसरा प्रबन्ध किया जाये, क्योंकि वहां के जिलाधिकारी ने भारत सरकार द्वारा अपेक्षित रुप में पूर्ण जांच नहीं की होगी । इसलिये इस सम्बन्ध में विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किये गये थे । इन अनुदेशों का आशय यह था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये गये सिद्धान्तों के अनुसार उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्व चरित्र की जांच पड़ताल केन्द्रीय सरकार के अभीकरण द्वारा, कराई जाये । केरल के उम्मीदवारों के बारे में कोई नया सिद्धान्त निर्धारित नहीं किया गया है तथा केरल के उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व चरित्र की जांच के लिये भी वही सिद्धान्त लागू हैं, जो अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व चरित्र की जांच के लिए लागू हैं । अतः इस सम्बन्ध में कोई भेद-भाव नहीं बरता जा रहा है ।

श्री वासुदेवन नायर : मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मन्त्री महोदय ने इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया है कि एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व चरित्र की जांच, जो केरल के रहने वाले हैं तथा जांच की तिथि से पहले पांच वर्षों में एक वर्ष से अधिक उस राज्य में रहे हैं, जिलाधिकारियों के अतिरिक्त गृह कार्य मन्त्रालय द्वारा भी की जायेगी । मन्त्री महोदय ने कहा है कि जांच करने के उनके कुछ सिद्धान्त हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस जांच से उनका तात्पर्य क्या है ? इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान 18 मई, 1962 को इस सभा में श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो तत्कालीन गृह मन्त्री थे, के इस स्पष्ट वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां तक नौकरी का सम्बन्ध है किसी व्यक्ति को नौकरी देने पर अथवा उसकी नियुक्ति पर केवल इसलिये कि उसके कोई विशेष राजनैतिक विचार हैं अथवा वह किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित है, कोई रोक नहीं लगाई जायेगी ।

केरल सरकार चरित्र एवं पूर्व चरित्र की जांच कर रही है, परन्तु वह राजनैतिक जांच करने को तैयार नहीं है । वहां पुलिस जांच के नाम पर सब गैर-कांग्रेसी व्यक्तियों को सताया जाता रहा है । परन्तु अब केरल सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं है । अतः केन्द्रीय सरकार चिन्तित है । केन्द्रीय सरकार लोगों को राजनैतिक आधार पर सताना चाहती है तथा यही कारण है कि ये विशिष्ठ हिदायतें जारी की गई है । यदि हिदायतों का अर्थ राजनैतिक जांच पड़ताल करना नहीं हैं, तो इनकी आवश्यकता ही क्या है ? चरित्र के बारे में तो केरल सरकार

द्वारा रिपोर्ट दी ही जाती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस विशिष्ठ आदेश की क्या आवश्यकता है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने अपने मुख्य वक्तव्य में इस बात का उत्तर दिया है तथा अब इस का और स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारी स्थिति अब भी वही है, जो पहले थी। भारत सरकार के अधीन नियुक्ति से पूर्व किसी उम्मीदवार की राजनैतिक राय क्या थी, इसका उसकी नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने ये मानदण्ड निर्धारित किये है कि जो व्यक्ति गैर कानूनी घोषित की गई किसी पार्टी अथवा संस्था से सम्बद्ध है तथा जो संविधान का तोड़फोड़ करने तथा विधि का उल्लंघन करने और हिंसा फैलाने अथवा ऐसे कार्यों से सम्बन्धित है जिनका भारत की प्रभुसत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे केन्द्रीय सरकार के अधीन नौकरी पर न रखा जाये। हमने केवल यही मानदण्ड निर्धारित किये हैं तथा हम चाहते हैं कि इन मानदण्डों के आधार पर चरित्र और पूर्व चरित्र की जांच की जाये। यह नहीं कहा गया है कि भारतीय साम्यवादी दल तथा भारतीय समाजवादी तल अथवा संयुक्त समाजवादी दल के व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया जायेगा। केरल सरकार उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर उम्मीदवारों के चरित्र तथा पूर्व चरित्र की जांच करने और रिपोर्ट भेजने को तैयार नहीं थी, इसलिये हमें अपना प्रबन्ध करना पड़ा है ताकि इन सिद्धान्तों के अनुसार जांच पड़ताल की जा सके।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : इस बात को देखते हुए की भारत की यही नीति है, जिसका उल्लेख 18 मई, 1962 को श्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, इस बात को देखते हुए कि केरल सरकार ने सरकार द्वारा अपेक्षित सिद्धान्तों के अनुसार उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व चरित्र की जांच पड़ताल करने से इंकार नहीं किया है तथा इस बात को देखते हुए कि मन्त्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें जिला अधिकारियों से चरित्र जांच रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार केरल के नागरिकों तथा निवासियों के प्रति ही नहीं, अपितु वहां रहने वाले उन लोगों के प्रति भी जो नौकरी प्राप्त होने के पूर्व के पांच वर्षों में एक वर्ष से अधिक केरल में रहे हैं, भेद भाव पूर्ण बरताव क्यों कर रही है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 का उल्लंघन है। संविधान द्वारा भारत के समस्त नागरिकों को प्रदत इन तीन मूल भूत अधिकारों का उल्लंघन कर के सरकार अन्य पहलूओं पर विचार करना तथा केरल सरकार की अवहेलना कर के अपने गुप्तचर विभाग से चरित्र जांच की रिपोर्ट मांगना क्यों आवश्यक समझती है। क्या इस प्रकार देश में भावनात्मक एकता स्थापित की जा सकती है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं पहले ही यह स्पष्ट कर चुका हूं कि केरल के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। जहां तक पूर्व चरित्र की जांच का सम्बन्ध है सामान्यतया गत पांच वर्षों के चरित्र की, न कि सारे जीवन के चरित्र की जांच की जाती है। अतः यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी भाग में, 1, 2, 3, 4 अथवा 5 वर्षों तक रहा हो, तो वहां उसके पूर्व चरित्र की जांच की जाती है।

श्री पी. विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : यह तथ्य है कि केरल वासियों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक समझा जाता है तथा उन्हें सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि

नये सिद्धान्त 1967 में बनाये गये थे और नया परिपत्र सितम्बर, 1968 में जारी किया गया था। अन्य राज्यों की भांति केरल राज्य के जिला अधिकारी भी गत कितने ही वर्षों से पूर्व चरित्र की जांच रिपोर्ट देते रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सितम्बर, 1967 में नये सिद्धान्त अपनाये जाने के बाद केन्द्रीय सरकार में नौकरी के लिए चुने गये व्यक्तियों के बारे में केरल सरकार के जिला अधिकारी सरकार द्वारा अपेक्षित जानकारी नहीं दे रहे हैं और यदि वे अपेक्षित जानकारी दे रहे हैं तो सितम्बर, 1968 में नया परिपत्र जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने सितम्बर, 1967 में ये मानदण्ड निर्धारित किये थे। तथा हम एक वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। परन्तु हमें यह ज्ञात होने के बाद कि इन मानदण्डों का संतोषजनक ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है, हमने अपनी व्यवस्था कर ली।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि आपको केरल के जिला अधिकारियों से रिपोर्टें प्राप्त हो रही थी अथवा नहीं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें अपने मानदण्डों के अनुसार रिपोर्टें प्राप्त नहीं हो रही थी। हम उन रिपोर्टों से संतुष्ट नहीं थे। यदि रिपोर्ट आ भी जाती थी तो वे उन सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होती थी।

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : चूंकि अब केरल में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं है तथा उसे केरल में सत्ता प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है, इसलिए वह सब प्रकार की शरारत कर रही है। विधि मन्त्री जिससे की यह आशा की जाती है कि वह कानून को बनाये रखने की बात कहेंगे केरल गये थे और उन्होंने कानून तोड़ने का उपदेश दिया था। अब गृह मन्त्री कह रहे हैं कि केरल के लोगों को रोजगार नहीं दिया जायेगा। यदि आप केरल के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो क्या यह उन से राजनैतिक बदला लेना नहीं है। इस सभा में जिन मानदण्डों का उल्लेख किया गया है, उनसे स्पष्ट है कि उन राज्यों के लोगों के साथ जिन्होंने कांग्रेस को मत नहीं दिये हैं, भेदभाव किया जायेगा। केरल में भेदभाव बरता जा रहा है। यदि कोई कांग्रेसी केन्द्रीय सरकार के अधीन रोजगार प्राप्त करने की प्रार्थना करता है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसे प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी। यह केरल के लोगों से राजनैतिक बदला लेना नहीं है, तो और क्या है। यह सब इसलिये किया जा रहा है क्योंकि केरल के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन का विरोध किया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य का आशय यह है कि यदि कोई व्यक्ति कांग्रेस से सम्बन्धित है तो उसे नौकरी का पात्र समझा जायेगा और यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राजनैतिक दल से सम्बन्धित है, तो उसे अपात्र समझा जायेगा तथा ऐसा करना संविधान का उल्लंघन है। मेरा कहना यह है कि केरल के व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा है। केरल के व्यक्ति सरकारी पदों पर नियुक्त किये जा रहे हैं। मैं इस बात को पुरजोर शब्दों में खण्डन करता हूँ कि केरल के लोगों को रोजगार के अवसर से वंचित रखा जा रहा है। उन्हें इन मानदण्डों के आधार पर नियुक्त किया जाता है तथा उनके राजनैतिक मत के कारण उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

अध्यक्ष महोदय : जब यह मामला मेरे सम्मुख लाया गया था, तो इसके सम्बन्ध में काफी भ्रांति प्रतीत होती थी। इस पक्ष तथा उस पक्ष में राय का मतभेद हो सकता है। यह एक दूसरी बात है। परन्तु मुझे खुशी है कि इस मामले पर चर्चा की गई है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कोयला खान (संशोधन) विनियम इत्यादि

श्रम, तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1554 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2221/68**]।

(2) वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963 की धारा 24 के अन्तर्गत वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन योजना, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 7 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3087 में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 2222/68**]।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1560 की एक प्रति जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये। संख्या एल० टी० 2223/68**]।

(4) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1592 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1809 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1899 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 1900 में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2224/68**) ।

(5) डाक कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियम) दूसरा संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3700 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2225/68**]।

(6) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित पश्चिमी बंगाल खनन बस्तियां (स्वास्थ्य तथा कल्याण) अधिनियम, 1964 की धारा 34 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल खनन बस्तियां (स्वास्थ्य तथा कल्याण) (सफाई) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 5 सितम्बर, 1968 के कलकत्ता राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी एच/2937/2आर-42/67 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2226/68**]।

(7) बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 29 जून, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 581 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 11 सितम्बर, 1968 के बिहार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण, विपणन तथा वितरण शामिल किये गये। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2227/68**]।

उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद कर) (दूसरा संशोधन) नियम तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रेल, 1968 को उद्घोषणा द्वारा

परिवर्तित, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद कर) अधिनियम, 1961 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद कर) (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 17 अगस्त, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1355-एस/अठारह-सी-1943-68 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2228/68] ।**

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1594 की एक प्रति जो दिनांक 28 अगस्त, 1068 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2229/68] ।**

कोयला खान तथा श्रमिक कल्याण संगठन इत्यादि पर वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

6. श्री स० चु० जमीर : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन के वर्ष 1966-67 के क्रियाकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2230/68] ।**

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1553 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2231/68] ।**

(3) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन के सितम्बर, 1968 में टोकियों में हुए छठे अधिवेशन में भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2232/68] ।**

विधि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3390 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 18 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2233/68] ।**

———

जमा बीमा निगम (संशोधन) विधेयक–जारी
DEPOSIT INSURANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL-CONTD.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में जमा बीमा निगम (संशोधन) विधेयक पर खण्डवार चर्चा होगी। मैं खण्ड 6 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6 was added to the Bill

खंड 7 (नई धारा 13 क, 13 ख, 13 ग तथा 13 घ का जोड़ा जाना)

अध्यक्ष महोदय : इस खण्ड के बारे में कुछ संशोधन आये हैं। क्या उन्हें पेश किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6 पंक्ति 19में "1967" के स्थान पर "1968" रखिये। [43]

पृष्ठ 6, पंक्ति 24 में "1967" के स्थान पर "1968" रखिये। [44]

पृष्ठ 7, पंक्ति 3 में "1967" के स्थान पर "1968" रखिये। [45]

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 19 और 20 पेश करता हूँ।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं अपना संशोधन संख्या 46 पेश करता हूँ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री स० कुण्डू : महोदय, इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद सहकारी बैंक भी इसके क्षेत्राधिकार में आ जायेंगे। जब यह विधेयक पेश किया गया था, तो माननीय मन्त्री ने कहा था कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि रिजर्व बैंक मनमाने ढंग से काम न करें। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में भयभीत नहीं होना चाहिये तथा इस बारे में सहयोग देना चाहिये कि सहकारी बैंक भी इस योजना के अन्तर्गत आ जायें।

इस खण्ड में रिजर्व बैंक को यह शक्ति दी गई है कि सहकारी बैंक के द्वारा कोई चूक किये जाने पर वह उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। परन्तु मैं समझता हूँ कि जब तक विधेयक में यह उल्लेख नहीं किया जाता कि कितनी भूले करने के बाद रिजर्व बैंक को कार्यवाही करने को कहा जायेगा, तब तक यह रिजर्व बैंक पर ही निर्भर रहेगा कि वह कोई

कार्यवाही करे अथवा न करे। ऐसी स्थिति में संभव है, रिजर्व बैंक मनमाने ढंग से कार्यवाही करे और यह भी हो सकता है कि वह किसी बैंक के विरुद्ध कार्यवाही करे और किन्हीं अन्य बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही न करे। इसलिये मैंने कहा है कि इस विधेयक में यह उल्लिखित किया जाये कि अधिक से अधिक तीन भूलों की अनुमति दी जानी चाहिये और उसके बाद रिजर्व बैंक को लापरवाही न करके कार्यवाही करनी चाहिये। अतः मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें।

जहां तक संशोधन संख्या 19 का सम्बन्ध है, मैं उसे वापिस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को संशोधन संख्या 19 वापस लेने की सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The amendment was, by leave, withdrawn

श्री क० नारायण राव : मेरा संशोधन बहुत औपचारिक है। मेरा संशोधन यह है कि "अगला दिन" के स्थान पर में 'पश्चात" शब्द रखना चाहता हूं मूल अधिनियम में "अधिनियम के लागू होने की तिथि से" शब्द है, जबकि इस विधेयक में "अगला दिन" शब्द उल्लिखित हैं। इसका अन्तर यह पड़ता है कि जबकि संशोधन में अधिनियम के लागू होने के बाद की तीस दिन की अवधि गिनी जाती है। मूल अधिनियम में लागू होने के दिन को मिला कर तीस दिन की अवधि गिनी जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि यह अन्तर प्रारूप लेखन में हुई गलती के परिणामस्वरूप है अथवा जान बूझकर रखा गया है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : श्री स० कुण्डू के संशोधन में यह सुझाव दिया गया है कि बजाय इसके कि रिजर्व बैंक कोई अवधि निर्धारित करे जिसमें अनियमितताओं का समाधान किया जा सके, यदि कोई अनियमितता तीन बार होती है तो सहकारी बैंक को अपने आप ही बन्द कर देना चाहिये।

इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि अनियमितताएं कई प्रकार की होती हैं जैसे साधारण, गम्भीर और तकनीकी अनियमितताएं। केवल तीन तकनीकी अनियमितताओं के कारण बैंक को बन्द करना न्यायोचित न होगा। परन्तु यदि कोई एक भी गम्भीर अनियमितता होती है तो वही बैंक को बन्द करने के लिये काफी हो सकती है। अतः इस मामले को रिजर्व बैंक के स्वविवेक पर छोड़ देना चाहिये। फिर वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये।

जहां तक श्री के० नारायण राव के संशोधन का सम्बन्ध है मैंने कानून का मसौदा तैयार करने वाले विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया था और मुझे पता चला कि इस विधेयक में प्रयुक्त शब्दों का चयन बिल्कुल ठीक है। कानूनी दृष्टि से यही शब्दावली आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 43, 44 और 45 सभा के मतदान के लिए रखता हूं :

43 पृष्ठ 6, पंक्ति 19

"1967" के स्थान पर "1968" पढ़िये।

44 पृष्ठ 6, पंक्ति 14

"1967" के स्थान पर "1968" पढ़िये।

45 पृष्ठ 7, पंक्ति 3

"1967" के स्थान पर "1968" पढ़िये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री स० कुण्डू का संशोधन संख्या 20 और श्री के० नारायण राव का संशोधन संख्या 46 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7, as amended, was added to the Bill

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 9 (धारा 15 का संशोधन)

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : मैं संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करता हूं।

Shri George Fernandes : It may be pointed out that there are many cooperative institutions in Maharashtra. More than 50-60 percent sugar is being prepared in the cooperative sector. It has significant contribution in increasing the production alongwith other sectors. Government should adopt some other measures to plug the loopholes.

In order to provide insurance cover to co-operative banks they should not be treated at equal footing with other private banks. It is well known fact that big banks do not provide funds to lower middle class. Cooperative bank is formed by poor section of society just as Bombay Labour Co-operative Bank. I would request the hon'ble Minister not to impose control on Cooperative banks. They should impose these controls on banks of private sector.

There is already sufficient control of State Government, Registrar of Co-operatives and Reserve Bank on the Cooperative banks and in view of this there is no need of any other control and there will be no risk as such. Therefore my amendment may be accepted that the rate of premium payable by an insured cooperative bank shall be equal to fifty percent of premium payable by a banking company as defined in the Act.

श्री के० नारायण राव : मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस विशिष्ट धारा में "आंकड़े" शब्द के स्थान पर "आंकड़ा" शब्द का प्रयोग होना चाहिये। यदि सभा की अनुमति हो तो इसे ठीक कर लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात को अभी ठीक किया जा सकता है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : यह बात बिलकुल सही है कि सहकारी बैंकों के धन और अन्य गैर-सरकारी बैंकों के धन के प्रयोग आदि में काफी अन्तर होता है। अत: सहकारी बैंकों के प्रीमियम को घटाने की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। इन बैंकों के प्रीमियम की दर कम होनी चाहिये।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : मैंने यह पहले भी सुझाव दिया था कि सहकारी बैंकों का प्रीमियम कम किया जाना चाहिये। मैंने यह भी कहा था कि इन बैंकों में जमा धनराशि में स्थिरता लाने के विचार से इन बैंकों का ब्याज दर भी कम होना चाहिये। इन बैंकों का ब्याज दर अत्यधिक है। सरकार को मेरे इन सुझावों पर विचार करना चाहिये।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : बीमा करने का महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि जहां 'रिस्क' अधिक होता है। वहां प्रीमियम भी अधिक होता। जब सहकारी क्षेत्र में 'रिस्क' अधिक है तो प्रीमियम कम करने के लिये कहने से कोई लाभ नहीं।

श्री कृष्ण चन्द पन्त : मैं इस बात का उल्लेख पहले ही कर चुका हूं कि हम प्रीमियम क्यों कम नहीं कर सकते। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि निगम को सहकारी क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है। कल सभा में दिये गये भाषणों से यह बात स्पष्ट हो गयी थी कि सहकारी क्षेत्र उतनी अच्छी तरह कार्य नहीं कर रहा है जितनी अच्छी तरह से उसे करना चाहिये। इस क्षेत्र में निगम की देनदारी अथवा रिस्क के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने इस आलोचना को स्वीकार किया है कि सहकारी क्षेत्र में कमजोरियां हैं। इसलिये इस क्षेत्र में निगम की देनदारी कम से कम वाणिज्यिक बैंकों के बराबर है। अत: इनका प्रीमियम वाणिज्यिक बैंकों के प्रीमियम से कम नहीं किया जा सकता।

जहां तक आंकड़ों के सम्बन्ध में श्री के० नारायण राव का संशोधन है मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक में 'आंकड़े' शब्द कन्साइज आक्सफोड डिक्शनरी' के अनुसार ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सशोधन संख्या 35 और 47 सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9 was added to the Bill

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteenth of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बज कर सात मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Seven Minutes Past Fourteen of the Clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

खण्ड 10

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 10 was added to the Bill

खण्ड 11

श्री स० कुण्डू : मैं संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं ।

यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है । पृष्ठ 9, पंक्ति 37 में के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाने चाहिये । "जैसा मामला हो उसके मनोनीत व्यक्ति को अथवा ।" ये शब्द न जोड़े जाने से जमाकर्ताओं को अपना धन वापिस लेने में विशेषकर किसी बैंक के बन्द हो जाने की स्थिति में बहुत कठिनाई हो सकती है । इस सम्बन्ध में ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं जब

बैंक बन्द हो जाने से लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यदि मूल जमाकर्ता मर जाता है तो उसका पैसा लेने में और भी कठिनाई होती है। काफी मुकदमेबाजी करनी पड़ती है। अतः इन कठिनाइयों को दूर करने के विचार से मंत्री महोदय को मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : खण्ड 11 अधिनियम की धारा 17 में संशोधन करने के लिये है जिसमें बीमे वाला बैंक बन्द हो जाने की स्थिति में निगम द्वारा भुगतान करने के तरीके का उल्लेख है। माननीय सदस्य ने इसे गलत समझा है। रकम का भुगतान जमाकर्ता को किया जायेगा, किसी अन्य एजंसी को नहीं बल्कि इस प्रकार की एजंसी के माध्यम से यह भुगतान होगा।

जहां तक मनोनीत व्यक्ति द्वारा धन प्राप्त करने की व्यवस्था करने के लिये नया उपबन्ध जोड़ने का सम्बन्ध है जमाकर्ता बैंक के साथ अपने आरम्भिक करार में किसी व्यक्ति को उसका धन प्राप्त करने के लिये मनोनीत कर सकता है, परन्तु बाद में निगम किसी नाम को जोड़ नहीं सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 21 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

खण्ड 11 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 11 was added to the Bill

खण्ड 11 से 14 विधेयक में जोड़े गये

Clause 12 to 14 were added to the Bill

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

संशोधन पृष्ठ 1, पंक्ति 4

संख्या 41 पर "1967" के स्थान पर "1968" रखा जाये

Page 1, Line 4,
for ' 1967" Substitute
"1968"

संशोधन संख्या 42	पृष्ठ 2, पंक्ति 1, – "1967" के स्थान पर "1968" रखा जाये

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई–दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

संशोधन संख्या 29	पृष्ठ-1 पंक्ति 8 के बाद "यदि अधिनियम को समस्त देश में लागू होने के एक वर्ष के भीतर समान रूप से लागू किया जाये" जोड़ा जाये

Shri George Fernandes : So far as the question of bringing this law into practice, the Central Government is fully dependent on the States. Several provinces have seriously opposed this law. Maharashtra Government has opposed the Bill The State is of the view that the Central Government should not use its power in the matter of the institutions established in the Co-operative Sector.

I am of the view that this Act should uniformly be enforced in all the Cooperative Banks or Cooperative Institutions of the country. Failing which the Government adopting the Bill will have to pay premium to the Coo-perative Banks whereas the question of paying the premium by the Government not adopting the Bill, does not arise. As a result of it this burden will not fall on the banks of those provinces who have refused adopt the Bill.

In case the Government is of the view that this Act should uniformly be enforced throughout the country within one year and the protection to the depositors should be given, it will have moral effect on the State Governments.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : कुछ अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त हैं और कुछ अन्य अधिकार केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के अधिकारों के मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। कुछ राज्यों में जहां सहकारी बैंक काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं और उन क्षेत्रों में जब तक राज्य सरकार आवश्यक कानून पास नहीं कर देती तब तक यह अधिनियम लागू नहीं हो सकता।

अत: हमें इस मामले में राज्य सरकारों के अधिकारों को भी ध्यान में रखना पड़ता है इसीलिये विशेषकर कापरेटिव बैंकिंग सेक्टर में इस विधेयक के लागू किये जाने के लाभों की ओर ध्यान दिलाने से हमें आशा है कि हम राज्य सरकारों का इस मामले में समर्थन प्राप्त करने में सफल हो जायेंगे। हम इस विधेयक के उपबन्धों को एक ही समय समस्त देश में लागू करेंगे। इसको पूरा करने का दायित्व राज्य सरकारों का है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 29 को सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 41 और 42 को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि :

41. पृष्ठ 1, पंक्ति 4, में
"1967" के स्थान पर
"1968" रखा जाये
Page 1, Line 4, —
For "1967" Substitute
"1968"
पृष्ठ 2, पंक्ति 1, में
"1967" के स्थान पर
"1968" रखा जाये
Page 2, Line 1,
For "1967" Substitute
"1963"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 1 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

अधिनियमन सूत्र
संशोधन किये गये
Amendment made

40 पृष्ठ 1, पंक्ति 1,
"अठारह" के स्थान पर
"उन्नीस" रखा जाये
(श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

The Enacting Formula, as amended was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The Title was added to the Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : विधेयक के बारे में बहुत सी असंगत बातें कही गई हैं। पलाई बैंक के बारे में बेपरवाही या रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को न लागू करने का उल्लेख करने के बाद केवल दो ही उदाहरण ऐसे सामने आये हैं। इस बारे में बहुत सी पूछताछ की गई है कि क्योंकि सरकार रिजर्व बैंक की योग्यता और बैंकों में अनुशासन और उनकी देखभाल करने के बारे में जनता में विश्वास पैदा करने में असमर्थ रही है।

यदि सरकार बैंकों के बारे में जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहती है तो उसे इस अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से कुछ बैंक जो दिवालिया हो गये हैं और जो बैंक रिजर्व बैंक की देख-रेख में कार्य कर रहे हैं, लागू करना चाहिये। सरकार को इस सुझाव पर विचार करना चाहिये।

रिजर्व बैंक ने छोटे बैंकों को समाप्त कर बड़े बैंक बनाये हैं। ऐसा करने के लिये रिजर्व बैंक को अभिमान नहीं करना चाहिये।

रिजर्व बैंक अपने कार्य को पूरा करने में सफल नहीं रहा। मुद्रा कांड के मामले में रिजर्व बैंक असफल रहा और इसी प्रकार श्री गोनिका के मामले में भी रिजर्व बैंक अपने कार्य को पूरा करने में असफल रहा है। अब रिजर्व बैंक को हजारों सहकारी संस्थाओं और बैंकों के नियंत्रण का कार्य सौंपना हानिकारक होगा। यह महसूस नहीं किया जा रहा है कि यदि सहकारी संस्थाओं को इस प्रकार की बीमे की सुविधाएं दी गई तो उनमें सुधार नहीं होगा बल्कि वे और अधिक गैर-जिम्मेदार हो जायेंगे। यह हो सकता है कि सरकार का इरादा अच्छा है लेकिन उनकी उचित जांच नहीं की गई और इस विधेयक को शीघ्र लागू नहीं किया जाना चाहिये। इस पर एक वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। तब ही इस विधेयक के बारे में प्रतिक्रिया का पता लग सकता है।

Shri George Fernandes : I want to raise a point of order I want to impose a ban under Rule 340. The House should be adjourned and the Government should immediately make a declaration regarding Bank employees.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा की कार्यवाही स्थगित नहीं कर सकता।

श्री कन्डप्पन : जब श्री बनर्जी ने यह प्रश्न उठाया था तब आपने कहा था कि मंत्री महोदय ने इसको नोट कर लिया है। क्या सभा को उनकी प्रतिक्रिया जानने का अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री अपनी प्रतिक्रिया का उल्लेख करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

Shri George Fernandes : You should compel him to make a statement we want to know the opinion of the Government in this regard (**Interruptions**).

श्री स० कुण्डू (बालसौर) : आप सरकार को वक्तव्य देने के लिये निदेश दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस प्रश्न पर चर्चा की जा रही है वह विषय सूची में नहीं है। वह केवल सभा को यह बताने के लिये यह प्रश्न उठा रहे हैं कि बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वह प्रयोजन पूरा हो गया है (**व्यवधान**)

श्री श्रीचन्द गोयल : सब मामला सम्भवतया ततसंगत न हो लेकिन जब मामला सभा के सामने और मंत्रियों के सामने लाया गया है और मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है तो हमारा यह मामला सभा में लाना न्यायोचित है। हमें आशा है कि अध्यक्ष महोदय भी मंत्री महोदय से बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य देने को कहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं मंत्री महोदय से वक्तव्य देने को कहूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मेरे माननीय मित्र श्री लोबो प्रभु ने वाणिज्यक बैंकों में विश्वास पैदा करने का प्रश्न उठाया है पलाई सैन्ट्रल बैंक के समाप्त हो जाने के बाद प्रत्येक वर्षों में बैंकों में जमा होने वाली राशि में वृद्धि हुई है। यह बैंकों के प्रति बढ़ते हुए विश्वास को द्योतक है। रिजर्व बैंक भी बैंकों में और अधिक विश्वास पैदा करने का अपना काम कर रहा है (**व्यवधान**)।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : क्या आप अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा (**व्यवधान**)।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

दिल्ली और अजमेर किराया नियन्त्रण (नसीराबाद छावनी निरसन), अधिनियम
DELHI AND AJMER RENT CONTROL (NASIRABAD CANTONMENT REPEAL) BILL.

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : श्री स्वर्ण सिंह जी की ओर से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि :

"नसीराबाद छावनी में लागू रूप में दिल्ली तथा अजमेर किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1952 का निरसन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

अजमेर जो कि 'सी' राज्य का एक भाग था के राजस्थान में विलय से पूर्व, यह अधिनियम उक्त क्षेत्र में लागू था । विलय के बाद राजस्थान राज्य ने एक विधेयक पास किया जो राजस्थान स्थान (किराया और बेदखल नियन्त्रण) (संशोधक और विस्तारक) अधिनियम, 1957 के नाम से जाना जाता है और सरकार ने यह कहा था कि यह अधिनियम नसीराबाद छावनी क्षेत्र में भी 27 नवम्बर, 1957 से लागू हो जायेगा । इस अधिनियम के नसीराबाद छावनी में लागू हो जाने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया और राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि चूंकि नसीराबाद छावनी क्षेत्रों पर संसद् द्वारा पारित विशेष अधिनियम लागू होते हैं अतः उस क्षेत्र पर राजस्थान अधिनियम लागू नहीं हो सकते । अतः राजस्थान सरकार यह चाहती है कि केन्द्रीय सरकार वर्तमान अधिनियम को निरसन करे ताकि राज्य अधिनियम को नसीराबाद छावनी में भी लागू किया जा सके ।

यह बहुत साल विधेयक और इसका क्षेत्र बहुत सीमित है । यह विधेयक 13 फरवरी को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था । मुझे आशा थी सभा इस विधेयक को बिना किसी विवाद के पारित कर देगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नसीराबाद छावनी में लागू रूप में दिल्ली तथा अजमेर किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1952 का निरसन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाय ।"

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका बहुत से विषयों से सम्बन्ध है । इस विधेयक पर किराया नियन्त्रण पर चर्चा करते समय विचार किया जाना

चाहिये था चूंकि यह अधिनियम को छावनी के अधिनियम को निरसन करने के बारे में नहीं है बल्कि विधि मंत्रालय या गृह कार्य मंत्रालय द्वारा पारित किये गये अधिनियम के बारे में है। जिस अधिनियम में हम परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं वह न केवल नसीराबाद की छावनी पर लागू होता है बल्कि अजमेर नगरपालिका और नगरपालिका के एक मील के क्षेत्र में तथा ब्यावर नगरपालिका, जो राजस्थान क्षेत्र में आता है पर लागू होता है। इस विधेयक में 'है' की बजाये 'था' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिये क्योंकि यह विधेयक भूतलक्षी प्रभावी होना चाहिये। 1957 में संशोधित अधिनियम पारित होने के पश्चात् अजमेर अधिनियम लागू हुआ। अजमेर संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत बहुत मुकदमे बाजी हुई। उच्च न्यायालय द्वारा अजमेर अधिनियम को गैर कानूनी घोषित करने के बाद 1957 की स्थिति बदल गई और दिल्ली और अजमेर अधिनियम लागू हुआ। सभा द्वारा किसी भी कानून को पारित करते समय जनता के हित को भी ध्यान में रखना चाहिये।

दिल्ली अधिनियम के अन्तर्गत पांच या छः प्रकार विभिन्न किराये निर्धारित किये गये हैं। 1939 से पूर्व के निर्धारित किरायों को $12\frac{1}{2}$ से 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता। 1945 में निर्धारित किरायों में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं है। 1945 के पश्चात विभिन्न प्रकार के अन्य किराये के वर्ग हैं। जैसे 'स्टैन्डर्ड रैन्ट' आदि। हाल ही में बने मकान को पांच वर्ष तक किराया नियन्त्रण के अन्तर्गत न आने की छूट है। इसके अतिरिक्त अन्य किराये जैसे सरकार कर्मचारियों या संसद् सदस्यों द्वारा देने वाले किराये है, जो किसी भी श्रेणी से सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विधेयक दिल्ली और अजमेर किराया नियन्त्रण अधिनियम के निरसन के लिये लाया गया है। यदि माननीय सदस्य को अधिनियम के बारे में निरसन आपत्ति है तो उन्हें इन बातों के बारे में बोलने का अधिकार है। जब हम अधिनियम को कानून की पुस्तक से निकाल रहे हैं तो वह अधिनियम के निरसन सम्बन्धी मामले के बारे में कैसे बोल सकते हैं। यदि उन्हें इसके निरसन के बारे में आपत्ति हो तो मैं उनके विचारों का स्वागत करता।

श्री लोबो प्रभु : हम इस विशेष अधिनियम को निरसन कर रहे हैं। मैं इस अधिनियम को दिल्ली में निरसन करने का मामला बना रहा हूँ। स्थिति यह है कि किराया नियन्त्रण अधिनियम विभिन्न दलों के लिये अनुचित है। किराया नियन्त्रण अधिनियम के कारण एक स्थान जो अन्य दलों को 20 या 50 रुपये में मिल सकता है उसके लिये 2000 रुपये तक किराये लिया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को लाभ या ऊंचे किराये देना है। दिल्ली किराया अधिनियम बिल्कुल अनुचित है और इसका निरसन किया जाना आवश्यक है। इस अधिनियम द्वारा दिल्ली के नागरिकों की कठिनाइयां बढ़ी हैं। सरकार ने बृहद् योजना के अन्तर्गत लगभग 48,000 एकड़ भूमि को गतिहीन कर दिया है। उसमें से लगभग 40,000 एकड़ भूमि को हाल ही में लौटाया गया है। बाकी बची 8000 एकड़ भूमि को उन लोगों के देने के प्रयास किये जा रहे हैं जो इसके लिये इच्छुक हैं। यदि मकान सुलभता से उपलब्ध होंगे तो किराया नियन्त्रण का अधिक महत्व नहीं होगा। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि

वह आवास नीति और किराया अधिनियम के बारे में विचार करे क्योंकि वे जनता के हित में नहीं है।

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : At last the Government has realised that the difficulties of the people of that area should be removed. Cabinet had decided to repeal to this Act in 1966 and not in the last year.

श्री रा० डो० भण्डारे (मध्य-बम्बई) : ऐसा कोई विशिष्ट नियम नहीं है। परन्तु आप इस प्रश्न को सदा के लिए तय कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे कुछ कानून तथा अधिनियम हैं जिनको रद्द किया जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि वह इस अवसर से लाभ उठाकर वर्तमान किराया नियन्त्रण प्रशासन के बारे में कुछ शिकायतें करना चाहते हैं।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : विधेयक के साथ कारणों तथा उद्देश्यों सम्बन्धी कोई विवरण नहीं लगाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल विधेयक के साथ यह विवरण लगाया गया था।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : सामान्य प्रथा यह है कि विधेयक के साथ कारणों तथा उद्देश्यों का कोई विवरण नहीं लगाया जाता जैसा कि राज्य सभा द्वारा पास किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब विधेयक को प्रस्तुत किया गया था उस समय उसके उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण लगाया गया था।

श्री श्रीनिवास मिश्र : परन्तु हमें यह जानने का अवसर नहीं मिला कि वह क्या था।

उपाध्यक्ष महोदय : पुरःस्थापित किये गये तथा राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विधेयक को पहले ही माननीय सदस्यों में बांट दिया गया था।

श्री स० कुन्डू (बालासोर) : इसके बारे में कोई मतभेद नहीं है कि यहां पर आने वाले सभी विधेयकों के साथ उद्देश्यों तथा कारणों का एक विवरण लगाया जाना चाहिए।

Shri Bhola Nath Master : We expressed our opinion in 1961 in regard to the Rajasthan Act and this repealing Act should have been brought in that year. This Bill should be passed quickly so that a mistake committed seven years earlier may be connected. With these words I support the Bill.

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मैं इस निरसन विधेयक का प्रयोजन नहीं समझ सका। यदि अधिनियम को रद्द कर दिया जाता है तो नसीराबाद छावनी में रहने वाले लोग जो अब इस अधिनियम के अन्तर्गत उचित किराया दे रहे हैं, इस लाभ से वंचित हो जायेंगे। उन लोगों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है। मैं महसूस करता हूं कि इस अधिनियम के रद्द किये जाने से वहां के लोगों के लिए अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण को देखें तो वह इस विधेयक की आवश्यकता को समझ जायेंगे। उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण ही इस विधेयक को लाना आवश्यक हुआ है।

श्री धीरेश्वर कलिता : मैं इस बात को जानता हूं। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि उन लोगों को संरक्षण देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। 1962 से आसाम के लगभग सभी नगरों, कस्बों तथा गांवों में सेना बैठाई गई है। भारत के प्रतिरक्षा अधिनियमों के अन्तर्गत सरकार मकान अर्जित कर रही है। गोहाटी में एक कालेज के प्रिंसिपल के बगले को भी ले लिया गया जिसके फलस्वरूप सेना तथा विद्यार्थियों में कई मुठभेड़ें हुई। अतः मैं महसूस करता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय को आसाम में लोगों और सेना के सम्बन्धों को सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिए। यह विधेयक एक नकारात्मक विधेयक है अतः इससे लोगों को कोई संरक्षण नहीं मिलता। ऐसा हो सकता है कि इस विधेयक को उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण लाया गया हो।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस समय छावनियों के प्रशासन अथवा लोगों के बीच सम्बन्धों पर विचार नहीं कर रहे हैं। इस विधेयक के रद्द होने के बाद भी किराया नियन्त्रण अधिनियम वहां पर लागू रहेगा।

श्री धीरेश्वर कलिता : मेरे विचार में आप ठीक नहीं कह रहे है। नसीराबाद छावनी में रहने वाले लोगों को सुविधा पहुँचाने के लिए ही इस अधिनियम का वहां पर विस्तार किया गया था। इसको रद्द किये जाने के बाद लोगों को किस कानून से संरक्षण मिलेगा। माननीय मंत्री ने इस बात का उत्तर नहीं दिया है।

श्री क० नारायण राव : मेरे माननीय मित्र शायद यह सोच रहे हैं कि इस विधेयक के पास होने के बाद अधिनियम स्वयं रद्द हो जायेगा। परन्तु ऐसा है नहीं। इस विधेयक में यह कहा गया है कि सर्वप्रथम राजस्थान परीक्षा (किराया नियन्त्रण तथा निष्कासण) अधिनियम, 1950 को एक अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र पर लागू किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए छावनी (किराया नियन्त्रण विधियों का विस्तार) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अन्तर्गत शक्ति दी गई है। इस अधिनियम को अधिसूचना की तिथि से रद्द समझा जायेगा।

मेरे माननीय मित्र श्री लोबो प्रभु ने कहा है कि शब्द 'है' के स्थान पर 'था' रखा जाये। मेरा निवेदन है कि 'है' शब्द बिल्कुल ठीक है और यही शब्द रहना चाहिए।

छावनियां प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन आती है और यही कारण है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सभा इसको अविलम्ब पास कर देगी।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : सरकार के अधिकांश कार्यों की तरह इस विधेयक को लाने का कार्य भी एक नकारात्मक कार्य है।

ब्रिटिश रेजीडेन्ट के समय से ही नसीराबाद छावनी को राजस्थान में प्राधिकार का केन्द्र समझा जाता है। यह देश की एक अत्यन्त सुन्दर छावनी है। जलवायु को देखते हुए भी यह एक उचित स्थान है।

1963 में सरकार ने नसीराबाद के विस्तार की एक योजना बनाई थी। यह योजना 2½ करोड़ रुपये की थी। इसके अन्तर्गत पाइपों द्वारा 70 मील की दूरी से पानी लाया जाता था। इस योजना को 1965 में पूरा होना था। परन्तु यह पूरा नहीं हुआ और अभी तक यह विस्तार कार्यक्रम चल रहा है।

छावनी का मूल उद्देश्य यह होता है कि वहां पर बड़ी संख्या में सिविलियन आबादी को न रख कर सेना को रखा जाये। इस छावनी को विस्तार करने का अर्थ वास्तव में ग्रेनेडियाज रेजीमेन्टल सेन्टर का विस्तार करना, वहां पर सप्लाई का एक बड़ा अड्डा बनाने तथा उस क्षेत्र में कुछ ब्रिगेड मुख्यालय स्थापित करने का था। इस विस्तार कार्यक्रम के फलस्वरूप सिविल क्षेत्र का भी कुछ विकास होना अनिवार्य था। परन्तु प्रायः ऐसा होता है कि सिविल क्षेत्र का बहुत कम विकास होता है क्योंकि सैनिक की सभी आवश्यकताओं को आजकल स्वयं सेना ही पूरी कर देती है। सैनिक को सब सामान कैंटीन से मिल जाता है। अतः उसको सिविल क्षेत्र की दुकानों से कुछ क्रय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः सैनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास होने के बावजूद भी सिविल क्षेत्र का बहुत कम विकास होता है।

जब नसीराबाद छावनी का विकास किया गया था तो यह आशा थी कि इस स्थान पर ठहराये गये सैनिकों के परिवारों के लिये आवास आदि का प्रबन्ध किया जायेगा। परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया और सभी सैनिकों को सिविल क्षेत्र में किराये पर मकान लेने पड़े।

किराया नियन्त्रण का प्रयोजन यह है कि किराये असाधारण रूप से न बढ़े तथा दूसरे लोगों को मकान बनाने के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिले जिससे मकानों की कमी न रहें। मैं इसको सरकार की नकारात्मक कार्यवाही इसलिए कहता हूं क्योंकि इसके स्थान पर कोई और उचित अधिनियम नहीं बनाया गया है।

अब यह कहा जा रहा है कि जिस दिन यह अधिनियम रद्द होगा उस दिन से वहां पर राजस्थान अधिनियम लागू हो जायेगा। प्रश्न यह है कि क्या यह अधिनियम मूल अधिनियम से अच्छा है? यह भी कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय की आपत्तियों के कारण यह विधेयक लाया गया है। फिर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या यह विधेयक लाने के लिए यही अवसर था जबकि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय कोई टिप्पणी कर देती है छावनी बोर्ड अधिनियम के पुनरीक्षण के लिए एक समिति विचार कर रही है। यह अच्छा होता यदि इन सब वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए पुराने अधिनियम में सुधार करने वाला कोई नया अधिनियम लाया जाता। मैं अपील करता हूँ कि सरकार कोई ठोस चीज सामने लाये।

Shri George Fernandes (Bombay-South) ; The Government Act passed by the British Government is still in force in the cantonments. It was hoped that the new Government of the independent India will either remove this Act or bring some changes in

the old ons. But our hopes were belied. The present Bill will empower the states to extend their laws particularly regarding revenues to the cantonment areas.

So far as the Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act is concerned I support its extention to the Nasirabad Cantonment.

It will not be proper in the interest of the military as well as public to keep the military separate from the General Public. It will also not be in the interest of the coordial relations of the military and the public. But the most important thing is this that the people residing in the cantonment areas should have the right of voting and electing their own representatives.

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों का विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक अधिनियम को रद्द किया जा रहा है ताकि दूसरे को वहां पर लागू किया जा सके। विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है। आप अपने भाषण को विधेयक तक ही सीमित रखें।

Shri George Fernandes : Had there been no cantonments there would have been no necessity to bring this Bill. Therefore, it is wrong to say that it is not relevant to bring the matter pertaining to the cantonments.

We sould have clear assurance from the hon. Minister to the effect that he will soon bring a Bill amending the Cantonment Act.

To-day the position is that the high ranking officer is made President of the Cantonment Board and he is empowered to reject the proposals put forward by the elected members. I can support the Bill only if the hon. Minister gives an assurance that the people of the cantonment areas will be given the rights of voting and electing their own representatives.

श्री मं०रं० कृष्ण : यह विधेयक बहुत ही साधारण है और इसका प्रयोजन एक अधिनियम को रद्द करना तथा नसीराबाद छावनी में राजस्थान अधिनियम को लागू करना है। दोनों ओर से अनेक मित्रों ने इस विधेयक का समर्थन किया है और यह भी कहा है कि विधेयक का उद्देश्य सीमित है। हमारा उद्देश्य राज्य अधिनियम को उस क्षेत्र पर लागू करना है।

जैसा श्री जार्ज फरनेन्डीज ने कहा यह अधिनियम बहुत पुराना है परन्तु इसमें एकदम से परिवर्तन नहीं किये जा सकते। हमने फिर भी इसमें पर्याप्त परिवर्तन किये हैं। एक परिवर्तन हमने यह किया है कि स्टेशन कमाण्डर के स्थान पर सिविल क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी बैठकों की अध्यक्षता अब उप-प्रधान करता है जोकि एक चुना हुआ व्यक्ति होता है। सिविल क्षेत्रों का प्रशासन एक सिविल दल द्वारा किया जाता है। जो कि एक चुना हुआ निकाय है।

मेरा विचार है कि विभिन्न कारणों से छावनियों को सिविल जनता से अलग ही रखा जाना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि उनको सिविल जनता से बिल्कुल भी सम्पर्क नहीं बनाना चाहिए। हम सैनिकों को कुछ अधिक सुविधायें देना चाहते तथा उनके कल्याण की ओर अधिक ध्यान देना चाहते हैं।

हम यह भी चाहते हैं कि नगरपालिकाओं की तुलना में छावनियों को अच्छा काम करना चाहिए। यदि नगरपालिकायें, अच्छा काम करती है तो हम चाहते हैं कि छावनियां भी अच्छा काम करें और प्रतिरक्षा सेनाओं तथा सिविल जनता की अच्छे ढंग से सेवा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नसीराबाद छावनी में लागू रूप में दिल्ली तथा अजमेर किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1952 का निरसन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड दो लिया जायेगा।

खण्ड 2

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

वास्तव में माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि कुछ कानूनी भ्रम उत्पन्न होने वाला है।

श्री मं रं कृष्ण : कोई भ्रम नहीं है।

श्री लोबो प्रभु : राजस्थान अधिनियम को इस छावनी पर लागू किया जा सकता है। अतः दिल्ली अधिनियम को वहां पर क्यों लागू किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि 1957 तथा 1962 के बीच में जो अन्तर है उसके लिए क्या किया जा रहा है। बहुत से कानून जो विधिवत नहीं होते यहां पर पास हो जाते हैं उनमें से एक यह भी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक कोई अधिनियम किसी उच्चतम न्यायाधिक अधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया जाता तब तक वह देश का कानून करता है।

श्री लोबो प्रभु : इस सभा को केवल अच्छे कानून ही पास करने चाहिए।

श्री मं रं कृष्ण : हमने माननीय सदस्य के संशोधन को विधि मंत्रालय के परामर्श के लिए भेजा था। उनका कहना है कि वह संशोधन विधेयक में नहीं लाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 1 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा
The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधन रख रहे हैं ?

श्री लोबो प्रभु : जी, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा
The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 1, the Ciacling Formula and the title was added to the Bill.

श्री मं रं कृष्ण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा
The motion was adopted.

मद्रास राज्य (नाम बदलना) विधेयक के बारे में
RE: MADRAS STATE (ALLERATION OF NAME) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब मद्रास राज्य (नाम बदलना) विधेयक पर चर्चा की जायेगी, मंत्री महोदय उपस्थित नहीं है ।

श्री रा० ढो० भण्डारे (मध्य-बम्बई) : विधि मंत्री इसको प्रस्तुत कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक वह मुझे लिखकर न दें तब तक मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे(कोलाबा) : नियमों में सभा का काम रोक देने के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है । अगली मद को लिया जाना चाहिए ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कडुलूर) : यदि मन्त्री महोदय यहां पर उपस्थित नहीं है तो मैं विधेयक को प्रस्तुत कर सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है । हमें धीरज रखना चाहिये । मैं सभा को पौने चार बजे तक स्थगित करता हूँ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा पौने चार बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।
The Lok-Sabha then adjourned till quarter to Sixteen of the clock

लोक-सभा पौने चार बजे म०प० पुनः समवेत हुई
The Lok-Sabha re-assembled at quarter to Sixteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.*]

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, I want to raise a point of order.

श्री स० कुंडू (बालासोर): यह बड़े खेद की बात है कि मंत्री सभा में उपस्थित नहीं रहते और सभा को उचित महत्व नहीं देते । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बारी बारी से सभी को अवसर दूंगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, it is perhaps the first time that the House has to be adjourned because the Minister was not present to introduce the Bill. It is an insult of the House. The Ministers treat this House very lightly. They do not attach due importance to it. You should pull them up. The concerned Ministers should be pulled up.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): मैं 1952 से इस सभा का सदस्य हूँ । ऐसी घटना आज पहली बार हुई है । 1952 से पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ । आपने सभा की बैठक को स्थगित करके ठीक ही किया । यह किया जाना सरकार की भर्त्सना करने के समान था । इससे पता चलता है कि यह सरकार किस प्रकार कार्य करती है ।

गृह-कार्य मन्त्री के मन्त्रालय के सहयोगी मन्त्री भी तो उस समय उपस्थित नहीं थे ।

श्री कंडप्पन (मैट्टूर) : मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने यह निर्णय किया । हम कई महीनों से इस विधेयक को पारित कराना चाहते थे । यह तो एक प्रकार से सदन का अपमान था कि कोई भी मन्त्री विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये सदन में उपस्थित न हो । क्या सरकार इस विधेयक को नहीं लाना चाहती थी ? यह बहुत गम्भीर विषय है । यदि

मन्त्री महोदय सन्तोषजनक उत्तर नहीं देते तो कुछ माननीय सदस्य इसे सदन के विशेषाधिकार का विषय बनाना चाहते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Though we differed with Shri Nehru on policy matters, but it goes without saying that he paid due respect to the Parliament. I hold the leader of the House responsible for this. It is a very serious matter that the House had to be adjourned because no Minister was present to move an official Bill.

The Prime Minister should be called and asked to apologise to the House for this lapse on the part of Government. A convention should be established that in future Parliament will not be treated in such a light manner.

श्री स० कुंडू : यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि 56 मन्त्रियों के होते हुए सदन को स्थगित करना पड़े क्योंकि विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु मन्त्री उपस्थित नहीं थे। इस पर हमें बहुत खेद है। प्रधान मन्त्री को स्वयं आकर क्षमा याचना करनी चाहिये। उसके बाद सदन को निर्णय करना चाहिये। आप से प्रार्थना है कि प्रधान मन्त्री को यहां बुलायें और वह स्वयं आकर स्पष्ट करें।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कोलाबा) : इस घटना से पता चलता है कि सरकार संसद से किस प्रकार का व्यवहार करती है। यह देखा गया है कि सरकार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के समय उपमन्त्रियों को यहां उपस्थित पाया गया है। आज वह भी उपस्थित नहीं थे। इसी कारण सभा की बैठक को स्थगित करना पड़ा। प्रधान मन्त्री को स्वयं स्पष्टीकरण करना चाहिये।

श्री पिलु मोदी (गोधरा) : यह देखने में आ रहा है कि सरकार संसद को गम्भीरता से नहीं लेती। सरकार संसद की चर्चाओं पर भी पूरी तरह ध्यान नहीं देती। यह बहुत अनुचित है। हो सकता है कि एक मन्त्री कहीं व्यस्त हों परन्तु अन्य मन्त्री भी तो थे। खेद की बात है कि कोई भी सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नहीं थे। इसकी निन्दा की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फरनेन्डीज ने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे सकता। वैसे यदि वह कुछ कहना चाहें तो कहें।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir I quote from the book 'Practice and Procedure of Parliament' written by two Secretaries of Lok Sabha-one past and the other the present one.

The say :

"The term "breach of privilege" means disregard of any of the rights, privileges and immunities either of members of Parliament individually, or of the House in its collective capacity. After due inquiry, a breach of privilege is punished in the same way as courts of law punish for contempt of their dignity or authority."

It is clear that the hon Minister who was expected to present in the House to introduce the Bill in accordance with days order paper. The House kept waiting for a pretty long time and time was wasted in that way. It is due to the carelessness on the

part of hon. Minister. I request that my privilege motion should be given consent to and it can be taken up on some other day.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मद्रास राज्य के नाम को बदलने वाला विधेयक एक विधेयक है। हमें विचार करना है कि संसद क्या है। इसका कितना महत्व है ? इसके प्रति हमारा सभी का क्या दायित्व है ? ऐसा गृह मन्त्रालय की ओर से ऐसा हुआ है। इससे समस्या की गम्भीरता और भी बढ़ जाती है। हमें कहा जाता है कि हम गैर-जिम्मेदार हैं और सदन में गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं करते परन्तु सरकार जो जिम्मेदारी महसूस करती है उसका प्रमाण आज मिल गया है। सरकार ही देश में गड़बड़ के लिये जिम्मेदार है।

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : मैंने लगभग सभी माननीय सदस्यों को सुना है। मैं उनके विचारों से सहमत हूं। मैं मानता हूं कि यह सामूहिक रूप से सभी की गलती है। इसके लिये हमें खेद है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि ऐसा फिर नहीं होगा। वैसे प्रधान मन्त्री भी यहां आयी थीं। मेरे विचार में श्री फरनेन्डीज का विशेषाधिकार प्रस्ताव यहां ठीक नहीं है। हमें इस विषय को यहीं समाप्त करना चाहिये।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मद्रास राज्य के नाम बदलने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये।

मैं अपनी गलती के लिये सदन से क्षमा याचना करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य मद्रास राज्य का नाम बदल कर तमिलनाडु करने का है। मुझे इसे प्रस्तुत करते हुए बहुत हर्ष है। इस विषय पर पहले 1953 और 1956 में विचार हुआ था। इस पर मद्रास राज्य की विधान सभा ने भी विचार किया था।

अप्रैल, 1961 में मद्रास सरकार ने आदेश दिया था कि तमिल भाषा में सरकारी आदेशों राज्य का नाम तमिलनाडु लिखा जाये। 1967 में विधान सभा ने तमिलनाडु की सिफारिश की और विधेयक का मसौदा भी भेजा। उसी के आधार पर यह विधेयक लाया गया है। यह साधारण विधेयक है। हम इसके विरोध में नहीं थे परन्तु हम राज्य विधान मंडल की सिफारिश के अनुसार कार्य करना चाहते थे।

सरकार पर इस बारे में किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहिये। ऐसी बात नहीं कि हम इसलिये उपस्थित नहीं कि हम इसके विरुद्ध थे। मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक का समर्थन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि मद्रास राज्य के नाम को बदलने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस विधेयक के विरुद्ध नहीं हूं। इसके द्वारा अनुच्छेद 31 क और 290 क का संशोधन होगा। इस प्रकार यह

एक संवैधानिक संशोधन है। नागालैंड के बनाये जाने के समय संविधान का तेरहवां संशोधन किया गया था। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : श्री मिश्र ने दो प्रश्न उठाये हैं। सर्वप्रथम उनका कहना है कि अनुच्छेद 31 क में संशोधन नहीं किया जा सकता है और इस संदर्भ में उन्होंने गोलकनाथ के मामले की ओर ध्यान दिलाया है। यह अच्छा होता यदि उन्होंने इस मामले का अच्छी तरह से अध्ययन किया होता। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो कुछ कहा है वह यह है कि अधिकारों को वापस नहीं लिया जा सकता परन्तु उनमें सुधार अवश्य किया जा सकता है और यही हम करने जा रहे हैं। इससे अनुच्छेद 31 क के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 'मद्रास' के स्थान पर केवल 'तमिलनाडु" शब्द ही तो रखा जाना है। अतः मेरे विचार में श्री मिश्र ने औचित्य का जो प्रश्न उठाया है वह सही नहीं है।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : अभी मेरे मित्र ने जो कुछ कहा है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। गोलकनाथ के मामले में जो निर्णय किया गया है वह यह है कि संविधान के भाग 3 में जिन मूल अधिकारों की गारन्टी दी गई है, उन्हें न ही वापिस लिया जा सकता है और न ही उनको कम किया जा सकता है। मद्रास के स्थान पर 'तमिलनाडु' शब्द रखने मात्र से मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : संवैधानिक संशोधन पर रोक के सम्बन्ध में जो तर्क दिया गया है उसका विधि मन्त्री ने खण्डन तो कर ही दिया है परन्तु मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् इस मामले में कल ही कोई निर्णय दे सकूंगा।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल तथा तमिलनाडु के लोगों की ओर से सरकार का धन्यवाद करने के साथ-साथ इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह कहा जाता है कि केवलमात्र नाम बदलने से क्या लाभ होगा। इस सम्बन्ध में 1963 में राज्य सभा में इसी प्रकार के एक विधेयक पर चर्चा के समय हमारे नेता, श्री अन्नादुरै ने कहा था कि पार्लियामेंट का नाम लोक सभा, कौंसिल आफ स्टेटस का नाम राज्य सभा तथा प्रेजीडेंट का नाम राष्ट्रपति में बदल कर हमें क्या लाभ हुआ है। आज भी यही तर्क दिये जा सकते हैं। मद्रास का नाम बदल कर तमिलनाडु रखने से हमें मानसिक सन्तोष मिलेगा जिसके लिये हम पिछले 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार की यह नीति रही है कि यदि किसी राज्य का नाम बदलना है तो इसके लिये सम्बन्धित राज्य विधान मण्डल द्वारा पहल की जानी चाहिये। पिछले 20 वर्षों से वहां पर कांग्रेस दल सत्ताधारी था। वे इसका नाम बदलने के पक्ष में नहीं थे। इसलिये जब भी कोई विधान लाया गया उसे उन्होंने पारित नहीं होने दिया। हालांकि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में प्रादेशिक आधार पर जो समितियां प्रतिनिधित्व करती थीं, उनमें से एक का नाम तमिलनाड कांग्रेस समिति था। इसका नाम मद्रास कांग्रेस समिति नहीं था। यही नहीं, कांग्रेस दल ने मद्रास नगर में "चाईना बाजार स्ट्रीट" तथा 'बैंक्यूरिंग हाल" का नाम

बदलकर क्रमश: "नेताजी सुभाष बोस रोड" तथा "राजाजी हाल" नाम रखा। हमने भी इसका स्वागत किया। परन्तु उन्होंने इस राज्य का नाम मद्रास से बदल कर तमिलनाडु रखने से इन्कार कर दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य स्थापित किये गये तो उस समय भी तमिलनाड कांग्रेस के सदस्यों ने इन राज्यों के नामकरण पर कोई आपत्ति नहीं की थी। इसी मामले पर जब एक बड़े देश भक्त शंकरलिंग नादुर ने भूख हड़ताल की थी तो उस समय उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसने अपना बलिदान दे दिया। इसके पश्चात् भी निर्वाचन में कांग्रेस दल ही सत्तारूढ़ हुआ और उन्होंने कहना प्रारम्भ कर दिया कि लोग इस राज्य के नाम में कोई परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है। एक दूसरा तर्क यह दिया गया कि नाम बदल देने से कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। गोल्ड कोस्ट का नाम बदल कर घाना रखने से उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? ऐसे तर्क दिये जाते रहे हैं जिनका यथार्थता से कोई सम्बन्ध नहीं था। क्योंकि 18 जुलाई, 1967 को तमिलनाडु विधान सभा में जब नाम बदलने से सम्बन्धित संकल्प प्रस्तुत किया गया, तो इसका सभी सदस्यों ने यहां तक कि तमिलनाड कांग्रेस के सदस्यों ने भी समर्थन किया।

अतः इस विधेयक के पारित होने से तमिलनाडु के लोगों की अभिलाषा तथा उमंग पूरी हो जायेगी। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने में अपना योगदान करें क्योंकि ऐसा करने से तमिलनाडु के लोग बहुत प्रसन्न होंगे और इससे हमारी एकता की कड़ियों को और बल मिलेगा।

देश में बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION REGARDING STATEMENT ON FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY-CONTD

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर अब कल विचार किया जायेगा। अब हम बाढ़ से उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार करेंगे। हमारे पास डेढ़ घन्टा है जिसमें से 45 मिनट मन्त्री महोदय के लिये छोड़ने के पश्चात् 45 मिनट और बचते हैं जिनमें उन माननीय सदस्यों को भाग लेने दिया जायेगा जिन्होंने उस दिन इस वाद विवाद में भाग नहीं लिया था। सर्वप्रथम श्री रविराय को और उसके पश्चात् एक, दो अन्य निर्दलीय सदस्यों को अवसर दिया जायेगा।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : महोदय, श्री द्विवेदी के स्थान पर मुझे बोलने का अवसर दिया जाये क्योंकि वह इस वाद विवाद में भाग नहीं लेना चाहते हैं।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

अध्यक्ष महोदय : उस दिन वाद विवाद में एक, दो निर्दलीय सदस्य पहले ही भाग ले चुके हैं। अब श्री रविराय बोलना चाहते हैं। उनको 20 मिनट का समय दिया जाता है।

Shri Rabi Ray (Puri) : There are floods in Bengal, Andhra Pradesh, Bihar etc. But the State of Orissa has been hit not only by floods but also by a cyclone. Four years ago, there was famine in Bolangir and Sambalpur Districts. Thereafter the district of Cuttack who hit by a cyclone and this year Ganjam and Puri Districts are hit non only by floods but also by a cyclone. Some parts of Cuttack District have also been affected. It is a pity that inspite of our request to the Prime Minister, neither she nor anyone of the Ministers of Cabinet rank could visit that area immediately. About 13 lakhs of people have been displaced, about 4 lakhs and eighty-eight thousand acres of land has been submerged and the whole crop of paddy has been destroyed by the above-mentioned natural calamities. The chilka area remained marooned for 15 days and nobody could reach there. No relief has so far been provided to the marooned people there. They have nothing to eat. At least there has been 100 deaths due to starvation. Besides there has been a big loss of cattle wealth and property.

Now the question arises as to how these people are to be rehabilitated. In this connection, I would suggest that since no state relief work has so far been commenced there, the people should be given gratuitous relief till any other arrangement is made.

The school children should be exempted from payment of fee etc. and the recovery of loans which were advanced by the Government to farmers through co-operatives, should be postponed for the time being.

The Government of Orissa has demanded an amount of Rs. 8 crores for this purpose as has been heard by me whereas the loss has been the tune of Rs. 100 crores The railway lines in both the flood stricken districts have been washed away. It is regretted that the Central Government and the State Government have not prepared any scheme jointly so far to meet the situation created by continous flood and cyclone havocs in Orissa. It will not be possible for the State Government to rehabilitate these 13 lakhs of people whose sufferings and sorrows are beyond description. This is a human problem which should be solved on war footing. The Minister of Irrigation and Power, Dr. K. L. Rao, who is an expert, should visit that area and see as to how these 40,000 marooned people can be saved. I would also suggest that military should be called for the help of these people of Chilka and Kushta Prasad areas because the plight of these people there is very miserable. The Central Govermment should be generous in this matter and adequate aid should be given to the State Government for tackling the problem on war footing as the Central Government is primarily responsible to rehabilitate these victoms of flood and cyclone havocs.

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच-बिहार) : माननीय मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखे गये प्रतिवेदन के अनुसार उत्तरी बंगाल के कूच-बिहार जिले में, यद्यपि अन्य जिलों की तुलना में इस जिले में कम लोग मरे हैं, सब से ज्यादा क्षति हुई है, परन्तु प्रतिवेदन में इस जिले में वास्तव में हुई इतनी अत्यधिक क्षति का सही सही ब्यौरा नहीं दिया गया है। समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार के अधिकारियों अथवा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने वहां की सही सही स्थिति का ब्यौरा क्यों नहीं दिया। वहां पर लोगों की दशा बहुत ही दयनीय है। कोई 6 लाख लोगों पर बाढ़ का कुप्रभाव पड़ा है। मुझे मेकलीगंज, सब-डिवीजन की बार एसोसिएशन के प्रेज़ीडेंट का एक तार प्राप्त हुआ है जिस में उन्होंने वहां की स्थिति का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। मेकलीगंज के लोग चाहते है कि इस बात की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिये कि तीन दिन निरंतर वर्षा होने तथा तीस्ता नदी में पानी के खतरे के निशान से बढ़ जाने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को बाढ़ की चेतावनी क्यों

नहीं दी थी। माल व जान की अभूतपूर्व क्षति तथा 16 अक्तूबर, को विमान द्वारा बिना किसी सूचना के गिराये गये सामान से मरे दो व्यक्तियों के लिये जिम्मेवार अधिकारियों पर मुकदमें चलाये जाने चाहिये। एम० एन० राय समिति के प्रतिवेदन से भी अधिकारियों की असावधानी और कठोर तथा उपेक्षापूर्ण रवैये की बात स्पष्ट हो गई है। ऐसा लगता है जैसे उस क्षेत्र में प्रशासन बिल्कुल शिथिल पड़ गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सैनिक तथा असैनिक दोनों ही अधिकारियों ने सहायता देने में अत्याधिक विलम्ब किया। इन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जान और माल का इतना अधिक नुकसान हुआ जिसके लिये वे जिम्मेवार हैं। यदि एक आम नागरिक को हत्या करने पर फांसी तक दी जाती है, तो इन अधिकारियों पर जो हजारों लोगों की हत्या करने के जिम्मेदार हैं, मुकदमा क्यों न चलाया जाये? मंत्री महोदय से इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में मेखलीगंज, तूफानगंज तथा मठभंगा सब-डिविजन सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये पूर्णतः अलग हो गये मंशाई नदी इतनी अधिक चढ़ी थी कि साधारण देशी नावों से उसे पार करने की हिम्मत किसी को नहीं आई और पांचवें दिन कूच-बिहार के जिलाधीश वहां सम्पर्क स्थापित कर सके। वहां सड़कें तथा पुल टूट-फूट गये थे और वहां कोई संचार, दूर-संचार तथा सड़क संचार व्यवस्था नहीं थी। यह बड़े दुख की बात है कि कूच-बिहार में जो कुछ हुआ तथा वहां के लोगों के साथ जो कुछ बीती उसकी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने स्पष्ट तस्वीर देने की पर्वाह नहीं की।

ऐसी बात नहीं है कि उत्तर बंगाल में केवल इसी साल ऐसी भयंकर तथा विनाशकारी बाढ़ें आई हों, वहां लोगों को वास्तव में हर साल इन्हीं मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। यह एक राष्ट्रीय संकट है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भी वहां इस कारण प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की सम्पत्ति की क्षति हो रही है।

इस सम्बन्ध में एक बृहत् योजना का सुझाव दिया गया था कि तीस्ता बेसिन को नियंत्रित किया जाय जिस पर 140 या 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे इससे केवल बाढ़ नियंत्रण ही नहीं होगा अपितु काफी बिजली भी पैदा होगी और लगभग 40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई भी होगी लेकिन समझ में नहीं आता कि सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं देती। वहां नदियों की तलों में प्रति वर्ष रेत मिट्टी जमा होती जा रही है। यदि यही स्थिति चलती रही तो आगामी 50-60 वर्षों में समूचा उत्तर बंगाल रेगिस्तान में बदल जायेगा। जलपाईगुड़ी नगर की सुरक्षा के लिये वहां बांध को और अधिक चौड़ा तथा मजबूत बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार कूच-बिहार नगर की सुरक्षा के लिये टोर्सा नदी पर बांध को और अधिक चौड़ा तथा मजबूत बनाने की योजना शीघ्र आरम्भ की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ मंशाई नदी पर पुल बनाना भी बहुत जरुरी है अन्यथा अगली बाढ़ में कूच-बिहार नगर पूरी तरह बह जायेगा। बिहार की तरह उत्तर बंगाल में भी नदियों के तलों में जमा मिट्टी को निकालने की योजना आरम्भ की जानी चाहिए अन्यथा वहां के लोगों का जीवन हमेशा खतरे से खाली नहीं है।

कूच-बिहार तथा जलपाईगुड़ी जिलों के आस-पास 123 भारतीय बस्तियां है जिनमें लगभग 15,000-20,000 लोग रहते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा के लिये कोई योजना नहीं

बनाई गई है वे हमारे भाई हैं और उन्हें भी संविधान के अन्तर्गत वही अधिकार प्राप्त है जो हमें है लेकिन उनकी उपेक्षा की गई है। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इन भारतीय नागरिकों की ओर भी समुचित ध्यान दे और उनके कल्याण के लिये समुचित योजनाएं तैयार करें।

श्री बी० ना० कच्यम् (जलपाईगुड़ी) : सबसे पहला बांध 5 अक्तूबर को रात के लगभग साढ़े बारह बजे काथम्बरी में टूटा जिसने कई गांव नष्ट कर दिये उसके बाद दोमोहनी बांध टूटा जिससे लगभग 300 गांव नष्ट हो गये उसके बाद लगभग 2 बजे रात जलपाईगुड़ी बांध, जो बढ़ते हुए पानी प्रचंड वेग को सहन न कर सका, टूटा जब कि इन क्षेत्रों के लोगों को तब तक कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो गया है जब तक कि पानी उनकी छातियों तक नहीं आ गया। लोग सब कुछ जेवर, नकदी, धन आदि छोड़ कर जान बचाने के लिये भागे। लेकिन जो लोग अपने दरवाजे नहीं खोल सके या बाहर नहीं आ सके, वे वहीं मारे गये। लगभग सभी पशु तथा ढोर नष्ट हो गये। पानी दूसरे दिन भी कम नहीं हुआ और लोग उसी स्थिति में बिना कुछ खाये पीये रहे। तीसरे दिन सिलीगुड़ी, ओदलाबाड़ी, माल तथा उस क्षेत्र के चाय बगीचों से लोगों ने सहायता की और लोगों की जानें बचाई। सरकारी सहायता 9-10 तारीख से आनी शुरु हुई। मैंने जलपाईगुड़ी के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। इस जिले की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। नगर में चार मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था। सारे जिले में संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त पड़ी थी। फसलें सभी नष्ट हो गई थी। नुकसान का अन्दाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन इससे भी मुश्किल प्रश्न यह है कि पशु तथा जन जीवन की जो क्षति हुई है उसका ठीक अनुमान कैसे लगाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों की हालत बहुत दर्दनाक थी। माल मोयनागुड़ी विकास खण्ड में 300 गांव बहकर नष्ट हो गये थे। इन खण्डों के लगभग 30,000 लोग बेघर हो गये थे। कम से कम 2000 लोगों की जानें गई हैं। लगभग 13000 लोगों ने अपने रिश्तेदारों के यहां शरण ली है। 37000 एकड़ भूमि में अमन धान की खेती बिलकुल नष्ट हो गई है।

सरकार बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के पीड़ित लोगों की मदद के लिये जो सहायता इस समय दे रही है, वह अपर्याप्त है और उसमें वृद्धि करना आवश्यक है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। चूंकि ठंडा मौसम आ गया है इसलिये बाढ़-पीड़ित लोगों के लिये गरम कपड़ों तथा कम्बलों की काफी मात्रा में सप्लाई की जानी चाहिए।

बच्चों और बीमार लोगों को बेबी फूड और दुग्ध चूर्ण बराबर मिलता रहना चाहिये। पीड़ित लोगों को बिना ब्याज के ऋण दिये जाने चाहिये। विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस एक वर्ष के लिये माफ कर दी जानी चाहिये।

बाढ़ से प्रभावित लोगों को जो ऋण दिये गये हैं, वे माफ कर दिये जाने चाहिये क्योंकि वे इन ऋणों को अदा करने की स्थिति में नहीं है, किसानों को प्रति बीघा 100 रु० दिये जाने चाहियें। अपने मकानों के पुनर्निर्माण के लिये भी इनको अनुदान दिया जाना चाहिये।

मेरा अनुरोध है कि भविष्य में इस प्रकार की बाढ़ न आये, इनके लिये आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके लिये काठमबाड़ी स्थित तटबन्ध को मजबूत किया जाना चाहिये ताकि भविष्य में इस प्रकार की भयंकर बाढ़ न आये।

मेरा सुझाव है कि वर्तमान तीस्ता नदी को पुरानी जलधारा से मिला देना चाहिये ताकि इस नदी के पानी से गांवों मे बाढ़ न आयें।

गावों में सहायता और पुनर्वास के काम के लिये पृथक केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिये ताकि लोगों की दैनिक आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सके और उनकी पूर्ति की जा सके। गांवों में स्थायी चिकित्सा सहायता एककों की व्यवस्था की जानी चाहिये। सहायता और पुनर्वास के लिये एक एक्जीक्यूटिव आफिसर नियुक्त किया जाना चाहिये और उस को माल थाना मुख्यालय में तैनात किया जाना चाहिये।

पुनर्वास के लिये कम से कम 50 करोड़ रुपये की राशि नियत की जानी चाहिये।

जनता को बाढ़ की पूर्व सूचना देने की एक प्रभावशाली प्रणाली बनाई जानी चाहिये।

यह बहुत दुख की बात है कि नवीनतम और आधुनिक उपकरणों के होते हुए भी हमारा सिंचाई विभाग बाढ़ से पीड़ित लोगों को समय पर चेतावनी न दे सकी।

मेरा विचार है कि सिंचाई विभाग ने जलपाईगुड़ी जिले में असावधानी और प्रमाद से काम लिया है। काठमबारी बांध पहिले से ही लीक कर रहा था परन्तु इस विभाग ने इसकी मरम्मत नहीं की। यदि इस बांध की ठीक प्रकार से मरम्मत की गई होती। तो बाढ़ रुक सकती थी। जिस ओवरसीयर को बांध की देखभाल करने के लिये नियुक्त किया गया था, उसने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया।

इस भयंकर दुर्घटना के लिये जो अधिकारीगण जिम्मेदार है, उन्हें सजा देने के लिये न्यायिक जांच की जानी चाहिये। इन अधिकारियों का केवल तबादला कर देने से काम नहीं चलेगा।

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : मुझे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये। पूर्नियां में बाढ़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम दूसरी सूची में है। मैं आपके दल द्वारा दी गई सूची के अनुसार ही चल रहा हूं। मैं आपको पहली सूची के बाद बुलाऊंगा।

श्री फ० गो० सेन : मैंने अपना नाम बहुत पहले दिया था। जो सदस्य अनुपस्थित हैं उनको बुलाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा के समय को 15 या 20 मिनट बढ़ा सकता हूं। परन्तु मैं किसी भी सदस्य को 2 या 3 मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं कांग्रेस दल के प्रवक्ताओं के बारे में इस दल की सूची के अनुसार चलूंगा। श्री कुन्डू।

श्री स० कुण्डु (बालासोर) : श्रीमान् उड़ीसा में लगभग 100 करोड़ रुपये के मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हो गई है। बाढ़ का प्रकोप एक नियमित बात बन गई है।

राज्यों ने केवल जिला बोर्डों का रूप ले लिया है। जब भी मंत्री जी से सहायता की बात की जाती है तो वह इसके राज्य को निर्देशित कर देते हैं. संविधान में बाढ़ नियन्त्रण राज्य सूची में नहीं है। यह समवर्ती सूची में है, अतः यह केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है कि वह बाढ़ नियन्त्रण के लिये आवश्यक सारे धन की व्यवस्था करे।

उड़ीसा में सुबरनरेखा नदी से बहुत नुकसान होता है। प्रतिवर्ष यह नदी तबाही लाती है। गत वर्ष डा० राव बालासोर गए थे परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया। यह एक दुःख की बात है कि लोग चावल उपलब्ध होते हुए भी क्रय-शक्ति के अभाव में भूखे मर रहे हैं। वैसे चावल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है परन्तु लोग उन्हें खरीद नहीं पाते। उड़ीसा में करीब 59 प्रतिशत भूमि में सिचाई की जा सकती है परन्तु केवल 7 या 8 प्रतिशत भूमि पर ही सिंचाई की जा रही है। कुछ राज्यों में सिचाई की संभावनाओं के न होते हुए भी काफी भूमि में सिंचाई की जाती है उड़ीसा में महानदी नदी परियोजना पर कार्य करने के सिवाय और कुछ नहीं किया गया। मैं डा० राव और उनके साथियों से निवेदन करूंगा कि वे इस कार्य को युद्ध स्तर पर लें, केवल भाषण देने से ही काम नहीं चलता इसके लिए सामान भी देना आवश्यक है। लोग भोजन के अभाव में मर रहे हैं, अतएव मैं इस मामले में स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ कि इसका सामना करने के लिए क्या किया जा रहा है। सुबरनरेखा नदी तीन राज्यों में से होते हुए जाती है। इस नदी का उपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा बिजली पैदा की जा सकती है और 50 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए और बाढ़ नियन्त्रण के लिए कुछ उपाय उठाये जाने चाहिए। मैंने पहले यह सुझाव दिया था कि सिंचाई और बाढ़ पर एक आयोग बिठाया जाय और काफी समय से यह सुनने में भी आ रहा था कि डा० राव एक आयोग नियुक्त करने जा रहे हैं परन्तु अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। मुझे आशा है कि वे शीघ्र ही एक आयोग स्थापित करेंगे।

हमें राहत कार्य के लिए एक दल बनाना चाहिए जो मौके पर जनता के जान तथा माल की रक्षा कर सके। हमारी सेना तथा हेलीकाप्टर वहां है, परन्तु इस दल के अभाव में खाद्य पदार्थ आदि पहुंचाना असम्भव हैं। मैंने यह भी सुझाव दिया था कि बजट में राहत कार्य के लिए विशेष धन रखना चाहिए। वित्त मंत्रालय को कम से कम 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राहत कार्य के लिए रखना चाहिए।

श्री बसुमतारी (कोकराझार) : यह एक आश्चर्य की बात है कि जबकि लोग बाढ़ आदि से पीड़ित हैं तो माननीय सदस्य सरकार को ठोस सुझाव देने के बजाय उसकी आलोचना कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री बी० ना० कथ्यम ने जो सुझाव दिये हैं उन पर सरकार को गौर करना चाहिए। इस बार जलपाईगुड़ी और बंगाल के अन्य भागों में जो बाढ़ आई उससे बहुत नुकसान हुआ, मैं उन क्षेत्रों में गया। वहां मैंने लोगों और पशुओं को बुरी तरह मरते देखा। लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने लोगों के दुःखों को

दूर करने के लिए गम्भीर कदम उठाये। परन्तु यह बड़े दुःख की बात है कि विरोधी दलों के सदस्य सरकार की इस कदम की सराहना करने के बजाए उसकी आलोचना कर रहे हैं। हमें शान्त मन से यह सोचना चाहिए कि क्या उपाय उठाये जायें।

हमारे सिंचाई मंत्री आसाम की स्थिति से भली-भांति परिचित हैं। उन्होंने यह वचन दिया था कि वे वहां जाकर स्थिति का अध्ययन करेंगे और सभी संभावित मदद देंगे आसाम में कई नदियां ऐसी हैं जहां बाढ़ आती रहती हैं और उनमें से ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी खतरनाक है। मेरा निवेदन है कि इस नदी पर नियन्त्रण रखा जाय क्योंकि इस पर नियन्त्रण किये बिना अन्य कार्य निष्फल सिद्ध होंगे।

अगर राज्य सरकार को इस बारे में कहा जाये तो वह केन्द्रीय सरकार पर दोषारोपण करती है और अगर यदि केन्द्रीय सरकार के पास जाया जाय तो वह कहती है कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। वास्तव में 20 वर्ष पश्चात भी कुछ योजनाएं तथा परियोजनाओं पर कार्य नहीं हुआ है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो इस संकट को कैसे दूर किया जायेगा। अतएव मैं विरोधी सदस्यों और सरकार से निवेदन करूंगा कि वह आलोचना करने के बजाय कोई ठोस सुझाव दें ताकि बाढ़ से होने वाली हानियों को दूर किया जा सके।

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : We congratulate the Government for the Koshi Project. But we are anxious for the three and an half lakhs people of three hundred villages which are inside the Koshi embankments. The Government should be ashamed of it. When the Koshi river was overflowing and there was flood Dr. Rao went to America.

The Indian Nation, a important paper of Bihar, has drawn the vivid picture of devastation caused by the floods in the Editorial. Dr. Rao has written in his report that there should be no villages inside the embankments. I ask then where we should go. An Enquiry Committee consisting the members of Lok Sabha should be constituted to look into the whole affairs. I emphatically say that the Government statistics are totally incorrect. I have seen the report of the Government at the Parliament Library I am surprised at this. It is totally incorrect. There was not a single boat. Had there been a boat, the people would have saved themselves from this disaster. The right of devastation is unspeakable. The population suffered and there was loss to the crops.

The hon. Minister should not depend entirely on the officers but should himself make a close and detailed study of the situation, and take necessary and concrete steps to plug the loop-holes immediately.

Due to the unprecedental floods this year the people living in the Kosi embankment area were subjected to tremendous misery and rendered homeless. When I started towards the embankment with the district magistrate of Saharsa, we had to go by a circuitous route of 50 miles via Supaul. This is how we could reach there. If the Vinoba path which lies between Saharsa and Chandrain is converted into a road, then that distance would be reduced to only seven miles, because the officers are after their T. A., they are not interested in making adequate arrangements for roads. This is why there are no approach roads to the embankment.

The hon. Minister should also seriously think over the problem of rehabilitation. The people should be given sufficient land and due compe sation. One katta of land and a small amount of Rs. 300 for a family is no rehabilitation.

Steps should be taken to construct embankment within embankment. This would protect a least 100 out of 3(.0 villages that fall within the embankment area. The rivers should be further deepened. The capacity of the barrage on the Kosi river should be further increase '. Tanks and hillocks should be constructed in each village so that when there is famine, the cultivators can fall back upon the tanks for irrigation and in times of floods take shelter on the hillocks. Approach roads should be built by the side of the embankment to protect the sides from sitting.

The construction of Kothar dam is necessary for the success of the Kosi Project. The official report says :

"The ultimate solution to the Kosi problem lies in the construction of a dam in the upper reaches subject to detailed study being made. There is the possibility of the dam being put up. to control the river and to generate 10,000 kilowatts hydroe lectric power."

The embankment should be extended and completed.

The Kosi river should be linked with other rivers and a high-level committee should be set up to su gest planned development of the Kosi area.

The engineers did not pay any attention to the warning given by us about the danger of breach in the Jamalpur embankment. They made excuses that they could not do anything because of failure of telephone link and communications. This was only an excuse. Action should be taken against such officers who neglected their duty. The B.D.O. of Supaul beat the flood-stricken people when they demanded relief. But no action has so far been taken against him. This is a very sad thing.

I would request the hon. Minister to take steps for planned development of the Kosi area after making a proper and through study of the Kosi project.

Shri P. G. Sen (Purnea) : This year there have been heavy rains which have confined the agricultural labourers and farmers to their homes. The heavy rains in and around Purnea district have completely destroyed the paddy crop in that area. There was 20 inches of rainfall in 24 hours which is an all time record. 90 percent of land in Purnea district is under water. There are no boats to carry food to the needy people. Shakes are biting the people and the cholera epidemic has spread there.

Inspite of all this havoc wrought by floods, I must say that the official and non-official agencies in Purnea have done a commendable job in rescuing life and property. The people of that area the grateful to them.

I must also say that the assessment in regard to loss of life and property and other damage as given by the Government is on the lower side. In Purnea alone as many as 20 lakh pe ple have been affected. The assessment for the whole of Bihar as given by the Government is Rs. 9 crores and for Purnea alone it is Rs. 4 crores. But in my opinion damage wrought is much more than this.

In Bihar, cultivators living on the banks of Ganga do not want to leave their places and go to some other site. They are small farmers and they have some advantages in

living there. Therefore, for these people there should be some elevated places where they can go at the time of floods. Those who want to be rehabilitated elsewhere, should be encouraged to take advantage of the cooperative housing schemes.

At several places in Bihar communications have been seriously disrupted. Bridges on highways have given way causing great hardship to the people. Heavy vehicles cannot ply on the roads because of weak bridges. The mouths of the bridges should be widened and more stones should be laid under them. Repairs to bridges should be undertaken immediately so that communications are restored without undue delay. Municipalities and district boards should be given adequate money to undertake repairs of school buildings, roads and bridges.

श्री सोमसुन्दरम (थंजापुर) : मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उससे पता चलता है कि देश को बाढ़ से लगभग 170 करोड़ रुपये की हानि हुई है । बाढ़ तो हर वर्ष आती है और देश को हानि पहुँचाती है । सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिये केवल अस्थायी उपाय किये हैं । उन्होंने कोई स्थायी हल नहीं खोजा है । स्थायी हल खोजने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये । हमें नदियों की क्षमता और उनके वेग का अनुमान लगाना चाहिये । बाढ़ों को रोकने के लिये एक राष्ट्रीय योजना बनानी चाहिये ।

{ श्री रा० डो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair* }

अधिक बाढ़ को रोकने के लिये हमें जलागम क्षेत्र से ही पानी को अन्यत्र मोड़ देना चाहिये । उप जलमार्ग भी बनाए जाने चाहिये ऊपरी क्षेत्रों में जलाशय बनाए जा सकते हैं । गंगा और कावेरी को मिलाने के लिये एक नहर बनानी चाहिये और सभी फालतू पानी इस नहर में छोड़ देना चाहिये । इसे नौवहन के लिये भी प्रयोग में लाया जा सकता है ।

वक्तव्य से पता लगता है कि केरल ने बाढ़ सहायता के लिये 3 करोड़ रुपये मांगे हैं । केरल के फालतू पानी को तमिलनाड की ओर मोड़ देना चाहिये । जहां कहीं भी फालतू पानी हो उसे कमी वाले क्षेत्रों की ओर मोड़ देना चाहिये ।

Shri Sheo Narain (Basti) : This Government is to blame for all this flood havoc. 20,000 people have died in Siliguri but it is extremely sad that only a few officers have been transferred. It is not excusable, sir, there was looting for 35 hours. One family remained sitting are the roof without food and when the food reached them, that family did not come down from the roof for fear of being lotted. Such things are happening in the reign of this democratic Government, which cannot be erased from memory.

We have been urging the hon. Minister for the last few years that the river Ghagra should be harnessed and a dam be constructed on this river near the Nepal border. This scheme will cost about Rs. 80 crores and it should be taken up. Unfortunately this suggestion has been ignored all along and no action has been taken by the bureaucratic machinery working in the Ministry. The people are greatly disappointed when their long felt needs and urgent problems are not attended to.

Our rivers have been silted and the work of dredging them should be given top priority.

Today 40,000 engineers in the country are waiting for their employment. Corrupt engineers who have filled their belly to the brim should be thrown out and in their place these young engineers should be appointed.

The land in Saharsa district has become arid. More irrigation facilities should be provided there and the land should be distributed among the landless people.

Nothing has been done to prevent waterlogging. There is an urgent need to introduce crop insurance in the country. The suggestion of introducing a grid system of rivers on the pattern of grid system of electric should also be seriously considered.

The work of rehabilitating the flood-affected people, especially the poor, should be taken up immediately. The people of the eastern part of the country are very poor and deserve special consideration and sympathy at the hands of the Government. The treatment that has been meted but to them is far from satisfactory.

The Kosi project should be completed without any undue delay.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : West Bengal, Bihar and other States have seen unprocedented floods this year. These floods have wrought great heavoc there involving life and property both.

The thing now to be seen in this hon Government rehabilitates people affected by these floods and the criteria it follows for rehabilitating them. The districts of Purnea, Saharsa, Monghyr, Darbhanga and Muzaffarpur in Bihar State have been seriously affected by the floods.

Our loss has been to the tune of Rs. 10 crores rupees but Government has sanctioned only Rs. 48 lakhs. About 300 villages are going to be submerged into Kosi and you sanction only Rs. 48 lakhs. We should help the people irrespective of party affiliation and discrimination.

Secondly we should leave all other things and devote ourselves to this problem. When people are suffering from havoc of floods our hon. minister was in USA and the Adviser was in Ootacamund, the Government did not even consider it worthwhile to have an aerial view of the flood affected areas as was done by the Prime Minister. Such officials do not deserve to remain in their present positions.

In the end, I suggest that we should treat flood problem as a national problem. I would ask the hon. Minister to chalk out a programme for the control of floods and leave the department of irrigation to someone else.

डा० मैत्रेयी बसु (दारजीलिंग) : सभापति महोदय, इस समय वहां की विपित्ति के विवाद के बारे में पड़ना नहीं चाहती।

डा० राव एक विशेषज्ञ हैं। 4 अक्तूबर के रात तथा दिन को जो वहां तबाही आई वह मानव जीवन के लिये याद करने की वस्तु है। इनका कहना तो केवल यह है कि बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण यह बाढ़ आई। यह प्रतिवेदन किसी को प्रभावित करने वाला नहीं है। मैंने नदियों की सफाई की बात कही तो मंत्री महोदय को दौरा पड़ना आरम्भ हो जाता है। इनका कहना है कि लोग निचली भूमि में बसे हुए हैं परन्तु मेरा मकान तो ऊंचाई पर

था और मेरा सारा परिवार तथा 12 परिवार 7 घंटों तक छतों के ऊपर रहे जहां कोई भोजन आदि नहीं था। बच्चों के साहस की तो मैं प्रशंसा करूंगी। तीस्ता नदी में तो बहुत रेत है जो कि गंगा नदी की रेत से भिन्न है।

मैं दूसरी बात भूकम्प के बारे में कहना चाहती हूं। यह भूमि पहाड़ों के आने वाले 50 से 100 वर्षों तक अलग हो गई है। कैलिम्पोंग कतई काट दिया है। सैनाडा अलग हो गया है। तीस्ता नगर भी समाप्त हो गया है। इन नदियों के स्रोत सिक्किम, भूटान तथा तिब्बत में है और वहां पहुँचा जा सकता है। इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है। समस्या का समाधान कांग्रेस सरकार को अथवा अधिकारियों को गाली देने से काम नहीं चलेगा।

मुझे दुःख अधिकारियों की अकड़ के बारे में है। वह हमें पहचानते भी नहीं हैं।

सैनिकों ने सहायता की परन्तु उनके पास सामान की कमी है।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : Sir, whenever there is flood, the ministers and even Prime Minister rushes to that place-whether it is Bengal, Bihar or Orissa. But not even a Deputy Minister goes to Rajasthan although the intensity of floods was rush that Chittorgarh station remained submerged for many days and the Delhi-Jaipur road and road to Bharatpur remained closed for a long time.

I want to know whether Rajasthan is not a part of India ? It is a part of Pakistan ? Why Rajasthan has been kept backward ?

Snri Kamble (Latur) : Sir, whenever there is flood, people are put to much inconvenience. I suggest that a Committee should be appointed in which Dr. K. L. Rao should be a member alongwith some members of Parliament. There should be a Separate fund for it. If this is done this proper can be solved for good.

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : महोदय सबसे पहले तो माननीय सदस्यों को उनके सुझावों के लिये धन्यवाद दूंगा। दुर्भाग्य से इस वर्ष बाढ़ में तेजी बहुत थी, विशेषकर सूरत तथा जलपाइगुड़ी में।

7 अगस्त को 300 व्यक्तियों की बाढ़ के कारण मृत्यु हो गयी। सूरत में तो बाढ़ दिन के समय आई परन्तु जलपाईगुड़ी में रात को आयी और इस कारण वहां जन हानि अधिक हुई।

तीस्ता नदी में बहुत तेज बाढ़ आई। पहले 500,000 क्युसैक्स पानी आता था परन्तु इस वर्ष 200,000 क्युसैक्स और अधिक पानी आया। कैलिम्पोंग में 45 इंच वर्षा हुई। कई सदस्यों ने कही है कि शायद चीन ने जो बांध बनाया है उसके कारण यह बाढ़ आई तभी तो यह स्तर 60 फुट ऊंचा हो गया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

एंडरसन पुल टूट गया जो कि सबसे बड़ी रुकावट थी। रात के ग्यारह बजे जोर से पानी बहता हुआ आया और एंडरसन पुल टूट गया। मुझे इसके बारे में पहले ही सन्देह था क्योंकि इसकी बनावट कमजोर थी और इसका कोई आधार नहीं था। वास्तव में इसकी रूप-रेखा भली-भांति नहीं बनाई गई थी। इसके बाद 2 बजे के करीब पानी जलपाईगुड़ी पहुँच

गया। इस क्षेत्र में 50 महत्वपूर्ण शहर हैं जो बांध के परे स्थित है। जलपाईगुड़ी उनमें से एक है और नदी के जल के स्तर से नीचे है। इसके अलावा पटना तथा अन्य शहरों में भी बाढ़ आती रहती है। जलपाईगुड़ी में हमने बांध बनाया था। परन्तु ज्योंही जल का स्तर 500,000 क्युसैक्स से 700,000 क्युसैक्स तक बढ़ा तो इस नदी में बनाया हुआ अस्थायी पुल टूट गया। यह रात के 2 या 3 बजे के करीब हुआ जबकि लोग सोए हुए थे। इस प्रकार काफी संख्या में प्राण हानि हुई।

अब प्रश्न यह उठता है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस मामले में प्रशासन की ओर से भूल हुई है। और इस मामले को गृह मंत्रालय और पश्चिमी बंगाल को देखना चाहिए।

मैंने वहां का दौरा किया और आदेश दिया कि हमें तटबन्ध का निर्माण करना चाहिए और नहीं तो शहर को खाली करना पड़ेगा। हमें इस बारे में सुनिश्चित करना है कि अभूतपूर्व बाढ़ आने के स्थिति में तट कहीं टूट न जाय। अतएव मैंने उनसे बांध को ऊंचा कर ढलवा और 50 फीट चौड़ा बनाने को कहा ताकि किसी भी परिस्थिति में बांध न टूटे।

दूसरा मैंने रेलवे मंत्री को लिखा है कि पुल अपर्याप्त है और इसमें अतिरिक्त निकास मार्ग होना चाहिए। तीसरा कार्य एक समिति को गठित करने का है जिसमें सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि हों और वे उत्तरी बंगाल के नदियों के प्रश्न पर जांच पड़ताल करें, ये नदियां सिक्किम तथा भूटान से आती है और इन पर कोई नियन्त्रण नहीं है। हाल के वर्षों में काफी संख्या में जंगलात काटे गये। इसके साथ-साथ ढलवान होने के कारण नदी का प्रवाह बहुत है। अतएव ये उत्तरी बंगाल की नदियां हमेशा मुसीबत पैदा करती है। हालांकि ये नदियां देश की अन्य नदियों के मुकाबले में होती है परन्तु जब तक वहां लोग रहते हैं तब तक हमें इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। मानसिंह प्रतिवेदन में इसको नहीं लिया गया है। इसका कारण यह भी है कि पिछले 14 वर्षों से इन नदियों के कारण कोई विशेष घटना नहीं हुई है। परन्तु इसके बावजूद भी हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते जलपाइगुड़ी में जो कुछ भी हुआ है उससे हमको सबक लेना चाहिए।

भूस्खलन का प्रश्न बाढ़ नियन्त्रण के अन्तर्गत नहीं आता। यह विषय भू-विज्ञान का है अतएव इसके बारे सम्बन्धित मंत्री से प्रश्न पूछा जाना चाहिए।

छोटी नदियों में जो बाढ़ आती है उसकी पूर्वसूचना शीघ्र नहीं दी जा सकती है, परन्तु फिर भी ऐसी प्रणाली स्थगित की जा सकती है जिसके जरिए पहले ही खतरे के बारे में बताया जा सके, परन्तु मुसीबत यह है कि ये बाढ़ प्रतिवर्ष नहीं आती वे कभी-कभी ही आती है परन्तु फिर भी हमें अधिक सावधान रहना चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : इसमें स्वचालित प्रणाली काम में लाई जा सकती है।

डा० कु० ल० राव : दुर्भाग्यवश हमारे देश में स्वचालित प्रणाली ठीक काम नहीं करती है। अमेरिका में बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए एक अद्भुत पद्धति का निर्माण किया गया है। मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री बे० कु० दासचौधरी (कूच-बिहार) : क्या आपने कूच-बिहार शहर के बांध को मजबूत बनाने का विचार किया है ?

डा० कु० ल० राव : जहां तक बिजली देने का सम्बन्ध है, हम इस ओर उचित कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ बिजली की लाइनें खराब हो गई हैं और हम उनको ठीक कर रहे हैं। जलपाईगुड़ी में बिजली की लाइनें गैर-सरकारी विद्युत लाइसेंसशुदा व्यक्ति के अधीन है। धन की कमी के कारण वह इनकी मरम्मत आदि करने में असमर्थ है पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके लिए अग्रिम धन दिया है ताकि शीघ्र बिजली की लाइनों को ठीक किया जा सके।

प्रधान मंत्री इन बाढ़ों से बहुत चिन्तित है। वे जैसे ही विदेश यात्रा से स्वदेश वापिस आई, उन्होंने मुझे बुलाकर जलपाईगुड़ी के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। इसलिए माननीय सदस्य का कहना गलत है कि वे बाढ़ के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इसी प्रकार उप प्रधान मंत्री जी ने भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का भी दौरा किया है।

देश में 7,500 मील के क्षेत्र में बांध बने हुए हैं। सरकार के लिए सारे क्षेत्र की देखभाल करना असम्भव है। चीन और अमेरिका में, जहां कि काफी बड़े क्षेत्र में बांध बनाए गए हैं, लोगों को इसकी देखभाल का कार्य सुपुर्द किया गया है। ऐसा ही सरकार यहां पर करना चाहती है। हमें लोगों को इसके लिए तैयार करना चाहिए। उन्हें इस कार्य के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि समय आने पर वे अपना कार्य भली-भांति कर सके।

माननीय सदस्य श्री मुकर्जी ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा है कि उसके मुकाबले में हमारे देश में बहुत कम काम हुआ है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हैं। जब चीन के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे, तब मैंने वहां जाकर उनकी नदियों के बारे में अध्ययन किया था। मैंने यह पाया कि भारत ने इस क्षेत्र में चीन से अधिक उन्नति की है।

1954 में बाढ़ नियन्त्रण के प्रश्न को राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया। उस समय तक हमें नदियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परन्तु तब यह कार्य हाथ में लिया गया हमने 52,000 वर्ग मील का विमान द्वारा सर्वेक्षण किया। उसके बाद 4,500 मील के बांध बनाए गए, इस प्रकार अन्य कई कार्य किये। करीब 4,500 गांवों को जल स्तर से ऊंचा किया गया और उन्हें बाढ़ आदि से विमुक्त किया गया।

हमने हिराकुंड बांध और दामोदर बांध बनाए। इससे बाढ़ के नियन्त्रण करने में मदद मिली। हमने इन पर 200 करोड़ रुपये व्यय किये हैं।

इस देश में बहुत सी नदियां हैं अतः इन नदियों पर बाढ़ नियन्त्रण करना बहुत कठिन काम है और इसके लिए काफी मात्रा संसाधन की आवश्यकता है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि उड़ीसा की भूमि बहुत उपजाऊ है परन्तु फिर भी यहां सूखा, बाढ़ व तूफान आदि प्रत्येक वर्ष आते रहते हैं। हमें मालूम है कि चिलका झील में मिट्टी बैठ रही है परन्तु हमारे पास कोई योजना नहीं है। मुझे इसका पता नहीं है कि मिट्टी बैठने से वह क्षेत्र अधिक जलप्लावित हो रहा है। मैं इसके बारे में राज्य सरकार को लिख रहा हूं।

सुबरनरेखा नदी में बाढ़ बार 2 आती रहती हैं। मैंने कुछ समय पहले यह सुझाव दिया था कि नदी के दोनों और बाढ़ नियन्त्रण तट का निर्माण किया जाये। पहले तो उड़ीसा के इंजीनियरों ने इसका कुछ तकनीकी कारणों से विरोध किया। परन्तु बाद में वे मान गए। यह भी आवश्यक है कि वहां जलाशय किसी ऊंची जगह में बनाया जाये ताकि तट सुरक्षित रह सकें और यह बांध बिहार क्षेत्र में निर्माण किया जाना चाहिए। मैं बिहार सरकार को कहूँगा कि इसको बहुउद्देशीय परियोजना बनाए ताकि हमें बिजली सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण की सुविधाएं मिल सकें।

Shri Rabi Ray (Puri) : The news has just appeared in the newspaper that the hon. Minister may go Orrissa. I want to know when he is going.

श्री कु० ल० राव : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के पूर्वी तट पर तूफान प्रत्येक वर्ष आया करते हैं। औसतन 11 तूफानों में से 4 या 5 भयंकर होते हैं। हम इनको रोक नहीं सकते हैं। हम इनकी केवल भविष्यवाणी ही कर सकते हैं। आज वर्तमान तकनीकी ज्ञान में इतनी वृद्धि हुई है कि तूफान की तीव्रता को दो या तीन दिन पहले बताया जा सकता है। परन्तु इसके लिए राडार और टोह विमानों की आवश्यकता होगी। कम से कम पूर्वी तट पर चार स्टेशन होने चाहिए। इसके लिए आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध होने चाहिए। मैं मंत्रालय को अनुमोदन और मंजूरी के लिए लिख रहा हूँ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तूफान उस समय आते हैं जब फसल पक कर तैयार होती है। ये तूफान अक्तूबर और नवम्बर में आते हैं। ये दो महीने ऐसे होते हैं जब तूफान नहीं आने चाहिए। इस बार तूफान के कारण फसल को बहुत हानि पहुँची है।

किसी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रधान मंत्री ने अपनी सहानुभूति नहीं भेजी है। यह ठीक नहीं है। उन्होंने एक पत्र भेजा था और प्रधान मंत्री सहायता कोष से धन भेजा था।

आसाम की नदी की समस्या सबसे अधिक उलझी हुई है। यह न केवल इस देश की अपितु विश्व की सबसे जटिल समस्या है। ब्रह्मपुत्र के बाढ़ पर नियन्त्रण करना इंजीनियरों के सम्मुख एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए मैंने कई अमरीकी विशेषज्ञ बुलाए थे। उनकी रिपोर्ट मिल चुकी है परन्तु अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मुख्य कठिनाई यह है कि इस नदी का 550 मील का भाग हमारे देश में है। इसका आदि का भाग तिब्बत में है और अन्त का भाग पाकिस्तान में है। अतएव बाढ़ नियन्त्रण की दृष्टि से इस पर कार्य करना कठिन है।

कोसी नदी के सम्बन्ध में कई भ्रान्तियां है। यह ठीक है कि बांध के दोनों ओर रहने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परन्तु कोसी से राष्ट्र को और विशेषकर बिहार को बहुत लाभ पहुँचा है। अगर कोसी परियोजना को पूरा नहीं किया जाता तो देश के उस भाग में स्थिरता नहीं रह सकती थी। मुख्य प्रश्न यह है कि बांधों के बीच में 300 गांव हैं। जब कोसी नदी में बाढ़ आती है तब वे इससे प्रभावित होते हैं। वास्तव में जब बांध का

निर्माण किया गया था तब से इतनी भयंकर बाढ़ नहीं आई थी। पहले बाढ़ आई थी तो गांव वाले दूसरी जगह चले गए थे। चूंकि यह इतनी भयंकर नहीं थी अतएव वे वापिस आ गए। परन्तु इस बार की बाढ़ बड़ी भयंकर थी। अतएव मुख्य बात यह है कि इस मामले को गम्भीरता से लिया जाये। बांध को नजदीकी से बनाने का काम भी हाथ में लेने का विचार है। परन्तु इस पर कार्य शुरु करने से पहले हमें इसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा।

कुछ सदस्य ड्रेजर के बारे में कह रहे हैं। बाढ़ नियन्त्रण कार्य में इसका प्रयोग सीमित है। कोसी क्षेत्र में एक ड्रेजर का उपयोग हो रहा है। अगर यह लाभदायक पाया गया तो हम और अधिक ड्रेजर खरीदेंगे।

राजस्थान में गगर नदी पर बाढ़ नियन्त्रण कार्य हो रहा है। इस पर सफलता पाने के बाद राजस्थान की बाढ़ समस्या को समाप्त किया जा सकता है।

बाढ़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में काफी सुझाव मिले हैं। इन सब पर गम्भीर विचार किया जायेगा और मुझे आशा है कि एक दिन इस गम्भीर समस्या को सुलझा दिया जायेगा। बाढ़ से करीब 500 लाख एकड़ भूमि प्रभावित होती है और हमने करीब एक चौथाई भूमि को इससे छुटकारा दिलाया है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि आंध्र प्रदेश में तूफान से प्रभावित लोगों की मुसीबतों को आंकने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा जायेगा परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : दल को प्रत्येक राज्य में जाने के लिए समय लगेगा।

श्री रंगा : क्या वे वहां तब जायेंगे जब मकानों का निर्माण हो जायेगा और लोगों में कुछ जान आ जायेगी? तब ये लोग कहेंगे कि सब ठीक है। मुझे पता नहीं था कि वित्त मंत्री ने यह दल भेजा है।

श्री मोरारजी देसाई : दल को प्रत्येक राज्य में एक ही समय नहीं भेजा जा सकता है। दल में प्रत्येक स्थान में जाने वाले वही अधिकारी होने चाहिए।

श्री रंगा : क्या हमको यह बात समझायी जायेगी कि सरकार के पास अधिकारियों की इतनी कमी है कि वह अपने अधिकारियों को तूफान की विपत्ति के तीन सप्ताह बाद भी वहां नहीं भेज पा रही है।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे माननीय मित्र यह नहीं समझते कि एकरुपता बनाए रखने के लिए इन्हीं अधिकारियों को सभी स्थानों पर जाना होगा। उन्हें बातचीत द्वारा यह निर्णय करना है कि वहां कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

श्री रंगा : क्या मैं जान सकता हूँ कि उन्हें आंध्र प्रदेश पहुंचने में कितना समय लगेगा?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि सूखा, तूफान व बाढ़ की स्थिति में राहत कार्य के लिए राज्य सरकार शीघ्र कार्य करती है। और जो कुछ भी व्यय होता है उसका 75% ....(व्यवधान)।

Shri Rabi Ray : That has become out-moded.

श्री जगजीवन राम : केन्द्रीय सरकार के दल के वहां न पहुंचने तक राहत कार्य को रोका नहीं जा सकता है। केन्द्रीय दल तो केवल यह देखने के लिए जाती है कि जो कुछ राहत कार्य के लिए दिया गया है, क्या उससे अतिरिक्त व्यय भी किया जा सकता है।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : Mr. Speaker, after the Prime Minister returned after a tour or South America, she visited Bihar. But she did not visited Khagaria Division of North Monghyr, which is the most affected area of serious floods from rivers like Ganga, Koshi, Gandak etc. In the same way the Prime Minister forgets this area in her speech on flood-affected areas. I want to know why she did not visit that place.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): I only want to say that I have sympathy with all the States. I have got information from Dr. Rao and other officials about that place.

सभापति द्वारा स्थानापत्र प्रस्ताव संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The substitute motion was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं श्री समर गुह के स्थानापत्र प्रस्ताव संख्या 4 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

सभा में स्थानापत्र प्रस्ताव संख्या 4 पर मतदान हुआ

पक्ष में 26   विपक्ष में 50

The Lok Sabha divided : Ayes 26,   Noes 50

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय द्वारा चिन्तामणि पाणिग्रही का स्थानापत्र प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The substitute motion was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा श्री वार का स्थानापत्र प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The substitute motion was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा श्री नि०चं० चटर्जी का स्थानापत्र प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The substitute motion was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा श्री रवि राय का स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The substitute motion was put and negatived.

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चौबीसवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

'जन सत्ता' और 'लोक सत्ता' समाचार पत्र ग्रुप को ऋण।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं गुजरात में 'जन सत्ता' और 'लोक सत्ता' समाचार पत्र ग्रुप को ऋण देने के बारे में सरकारी निर्णय सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखना चाहती हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 22 नवम्बर 1968/अग्रहायण 1, 1890 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 22, 1968/Agrahayana 1, 1890 (Saka).